



04235

239



भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए

राज्य के वित्त
(प्रतिवेदन संख्या-1)



हिमाचल प्रदेश सरकार

**भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए

**राज्य के वित्त
(प्रतिवेदन संख्या-1)**

हिमाचल प्रदेश सरकार



विषय सूची

विषय	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना	-	v
कार्यकारी सारांश	-	vii
अध्याय-1		
राज्य सरकार के वित्त		
चालू वर्ष के राजकोषीय लेन-देन का सारांश	1.1	1
राज्य के संसाधन	1.2	5
राजस्व प्राप्तियां	1.3	8
संसाधनों का उपयोग	1.4	12
व्यय की गुणवत्ता	1.5	19
सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण	1.6	22
परिसम्पत्तियां एवं देयताएं	1.7	24
ऋण धारणीयता	1.8	26
राजकोषीय असंतुलन	1.9	28
निष्कर्ष एवं सिफारिशें	1.10	31
अध्याय-2		
वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
परिचय	2.1	33
विनियोजन लेखे का सारांश	2.2	33
वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.3	34
विभागीय आंकड़ों का मिलान न करना	2.4	41
व्यक्तिगत निक्षेप लेखों का परिचालन	2.5	41
चयनित अनुदान की समीक्षा के परिणाम	2.6	42
निष्कर्ष एवं सिफारिशें	2.7	43
अध्याय-3		
वित्तीय विवरण		
उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.1	45
स्वायत्त निकायों के लेखाओं/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को प्रस्तुत करने में विलम्ब	3.2	46
दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि	3.3	46
मुख्य उच्चत शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष	3.4	47
लेखापरीक्षा प्रभावपूर्णता-उत्तरदायित्व का अपरदन	3.5	48
निष्कर्ष एवं सिफारिशें	3.6	49

परिशिष्ट

परिशिष्ट संख्या	विषय	परिच्छेद	पृष्ठ
परिशिष्ट-1	<u>राज्य रूपरेखा</u>		
	क: सामान्य आंकड़े	-	51
	ख: वित्तीय आंकड़े	-	51
परिशिष्ट-1.1	भाग-क: सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप	-	52
	भाग-ख: वित्त लेखे की रूपरेखा	-	53
परिशिष्ट-1.2	भाग-क: राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपनाई गई कार्यपद्धति	-	54
	भाग-ख: राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005	-	56
परिशिष्ट-1.3	राज्य सरकार के वित्त पर समयावली आंकड़े	1.3, 1.4.3, 1.6.4 तथा 1.7.2	57
परिशिष्ट-1.4	भाग-क: वर्ष 2010-11 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	1.1 तथा 1.7.1	60
	भाग-ख: 31 मार्च 2011 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति	1.1 तथा 1.7.1	63
परिशिष्ट-1.5	2010-11 के दौरान राज्य बजट से बाहर कार्यक्रम/स्कीमों के अंतर्गत राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित निधियों को दर्शाने वाली विवरणी	1.2.2	65
परिशिष्ट-2.1	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहां बचतें प्रत्येक में ₹ एक करोड़ अथवा कुल प्रावधान के पांच मामलों में 20 प्रतिशत से अधिक थी	2.3.1	67
परिशिष्ट-2.2	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहां व्यय प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक तथा कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक था	2.3.2	68
परिशिष्ट-2.3	विगत वर्षों के प्रावधान की तुलना में आधिक्य के नियमितिकरण की आवश्यकता	2.3.5	69
परिशिष्ट-2.4	2010-11 के दौरान प्रावधान की तुलना में आधिक्य के नियमितिकरण की आवश्यकता	2.3.6	70
परिशिष्ट-2.5	मामले जहां अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए	2.3.7	71

परिशिष्ट-2.6	विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहां अनुपूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए	2.3.7	72
परिशिष्ट-2.7	निधियों का आधिक्य/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	2.3.8	73
परिशिष्ट-2.8	वर्ष के दौरान किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी	2.3.10	75
परिशिष्ट-2.9	वर्ष के दौरान शत प्रतिशत अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी	2.3.10	76
परिशिष्ट-2.10	वास्तविक बचत से अधिक का अभ्यर्पण (₹50 लाख अथवा इससे अधिक)	2.3.11	77
परिशिष्ट-2.11	व्यय का तीव्र प्रवाह	2.3.13	78
परिशिष्ट-2.12	(i) 2006-11 के लिए सार आकस्मिक तथा विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का वर्ष-वार ब्यौरा (ii) सार आकस्मिक बिलों के प्रति विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत करने में लम्बन की विभागवार स्थिति	2.4.1	79
परिशिष्ट-2.13	31 मार्च 2011 को प्रतिकूल/नकारात्मक शेष को दर्शाने वाली विवरणी	2.5	80
परिशिष्ट-3.1	31 मार्च 2011 को बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	3.1	81
परिशिष्ट-3.2	स्वायत्त निकायों का प्रदर्शन दर्शाने वाली विवरणी	3.2	85
परिशिष्ट-3.3	दुर्विनियोजन, गबन आदि के मामलों का विभागवार/अवधिवार ब्यौरा	3.3	86
परिशिष्ट-3.4	चोरी, सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हानि मामलों का विभागवार/श्रेणीवार ब्यौरा	3.3	87
परिशिष्ट-3.5	गत तीन वर्षों की मुख्य उच्चत शीर्षों के अन्तर्गत उच्चत शेष की स्थिति	3.4	88
परिशिष्ट-3.6	चयनित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के मार्च 2011 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/परिच्छेदों का वर्ष-वार ब्यौरा	3.5	89
परिशिष्ट-3.7	31 मार्च 2011 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों में बताई गई अनियमितताओं को दर्शाने वाली विवरणी	3.5	90

1870

1870

प्रस्तावना

1. यह प्रतिवेदन संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत राज्यपाल को प्रस्तुत करने के लिए तैयार किया गया है।
2. इस प्रतिवेदन के अध्याय-1 एवं 2 में 31 मार्च 2011 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य सरकार के वित्त लेखे तथा विनियोग लेखे की जांच से उजागर मामलों के लेखापरीक्षा परिणाम समाविष्ट हैं।
3. अध्याय-3 'वित्तीय विवरण' चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं एवं निदेशों सहित विहंगावलोकन तथा राज्य सरकार की अनुपालना की स्थिति को उपलब्ध करवाता है।
4. निष्पादन लेखापरीक्षा तथा विभिन्न विभागों के लेन-देनों की लेखापरीक्षा के परिणाम तथा सांविधिक निगमों, बोर्डों एवं सरकारी कम्पनियों की लेखापरीक्षा से उजागर हुई अभ्युक्तियों से समाविष्ट प्रतिवेदन तथा राजस्व प्राप्तियों पर अभ्युक्तियों से समाविष्ट प्रतिवेदन पृथक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं।
5. भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा की गई है।



कार्यकारी सारांश



कार्यकारी सारांश

भूमिका

हिमाचल प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2005 में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम को अधिनियमित किया जिसको 2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा पुनः संशोधित किया गया ताकि राजस्व घाटे में प्रगतिशील कमी द्वारा राजकोषीय प्रबन्धन एवं राजकोषीय स्थिरता में दूरदर्शिता, राजकोषीय धारणीयता के साथ विवेकी ऋण प्रबन्धन समरूपता, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में अधिकतर पारदर्शिता तथा मध्यावधि ढांचे में राजकोषीय नीति के संचालन को सुनिश्चित किया जा सके।

राज्य सरकार ने राजकोषीय पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व पर संस्थागत तंत्र को स्थापित करने में बहुत अच्छा कार्य किया है जैसा कि वर्ष प्रतिवर्ष बजट परिणाम के प्रस्तुतिकरण से स्पष्ट होता है। ये प्रतिफल सूचक लक्ष्यों के प्रति विभागवार निष्पादन के मापन कार्य के सीमित उद्देश्य की पूर्ति करने की ओर प्रवृत्त होते हैं। तथापि, ये राज्य विधायिका तथा अन्य पणधारियों के लाभ हेतु ऋण स्थिति तथा रोकड़ प्रबन्धन, आदि सहित वित्तीय प्रबन्धन की स्थिति का 'विशाल चित्र' प्रस्तुत नहीं करते हैं।

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के सिविल लेखापरीक्षा प्रतिवेदन इस अन्तर को पूर्ण करने के लिए सहायता करते हैं। नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों में राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन विधान के पांच वर्षों से अधिक अवधि के लिए सरकार के वित्त पर टिप्पणियां की जा चुकी हैं तथा पहले ही पांच प्रतिवेदन प्रकाशित किये जा चुके हैं। चूंकि ये टिप्पणियां सिविल लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का भाग हैं, यह अनुभव किया गया कि राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा निष्कर्ष अनुपालना एवं निष्पादन लेखापरीक्षा में लेखापरीक्षा निष्कर्षों की स्थूल समिति में निगोपन रहे। यह सुविचारित परन्तु समस्त समावेशित सूचना का स्पष्ट परिणाम था कि इन निष्कर्षों के वित्तीय प्रबन्धन भाग की ओर उपयुक्त ध्यान नहीं दिया गया। एक बार फिर केन्द्र-स्तर तक राज्य के वित्त को लाने की आवश्यकता को मान्यता देते हुए राज्य सरकार के वित्त पर एकाकी प्रतिवेदन को इस चुनौती के लिए उपयुक्त लेखापरीक्षा प्रत्युत्तर माना गया है। तदनुसार, प्रतिवेदन वर्ष 2009 से आगे नियंत्रक-महालेखापरीक्षक ने "राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन" नामक शीर्षक से एक पृथक खण्ड प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। यह इस प्रयास का तीसरा संस्करण है।

प्रतिवेदन

मार्च 2011 को समाप्त वर्ष हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के लेखापरीक्षित लेखों पर आधारित इस प्रतिवेदन में राज्य सरकार के वार्षिक लेखों की विश्लेषणात्मक समीक्षा उपलब्ध करवाई गई है। प्रतिवेदन की रचना तीन अध्यायों में की गई है।

अध्याय 1 वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह 31 मार्च 2011 तक हिमाचल प्रदेश सरकार की राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करता है। यह ऑफ बजट रूट के माध्यम से राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित केन्द्रीय निधियों के संक्षिप्त लेखे के अतिरिक्त वचनबद्ध व्यय, उधार प्रतिरूप की प्रवृत्तियों में अन्तर्दृष्टि प्रदान करता है।

अध्याय 2 विनियोजन लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है तथा यह विनियोगों का अनुदानवार विवरण तथा ढंग, जिसमें सेवा प्रदान करने वाले विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों को व्यवस्थित किया गया, प्रदान करता है।

अध्याय 3 विभिन्न सूचना अपेक्षाओं तथा वित्तीय नियमावली सहित हिमाचल प्रदेश सरकार की अनुपालना की एक वस्तुसूची है। प्रतिवेदन में निष्कर्षों के समर्थन में अनेक स्रोतों से एकत्रित किये गये अतिरिक्त डाटा को भी सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा परिणाम एवं सिफारिशें

राजकोषीय शुद्धि को वापसी: राज्य ने 2010-11 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन अधिनियम/तेरहवें वित्त आयोग में यथा निर्धारित आठ लक्ष्यों में से तीन प्राप्त कर लिये थे। राजकोषीय शुद्धि पथ को वापसी की पर्याप्त संभावना है यदि कर अनुपालना में वृद्धि, कर संचालन लागतों को कम करने, राजस्व बकायों का संग्रहण तथा अनुत्पादक व्यय की काट-छांट करने के प्रयास किए जाते हैं तो घाटे को कम किया जा सकता है।

कर-भिन्न राजस्व के संग्रहण में सुधार करने के प्रयास किए जाने चाहिए ताकि भारत सरकार से उधार निधियों के आश्रय को कम किया जा सके।

भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियां: भारत सरकार ने राज्य कार्यान्वयन एजेन्सियों को ₹1352 करोड़ का प्रत्यक्ष रूप से अंतरण किया जिसके द्वारा राज्य संसाधनों की कुल उपलब्धता में ₹24,348 करोड़ से ₹25,700 करोड़ की वृद्धि हुई। तथापि, भारत सरकार से प्रत्यक्ष रूप से निधियों की प्राप्ति/अंतरण का अनुश्रवण करने के लिए कोई भी एजेन्सी नहीं थी और इसलिए लेखापरीक्षा द्वारा इन निधियों हेतु राज्य सरकार के उत्तरदायित्व को निर्धारित करने के लिए इन निधियों की प्रयुक्ति को सत्यापित किया जाना है।

इन निधियों का उचित लेखाकरण सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र की स्थापना की जानी है और अद्यतन सूचना राज्य सरकार तथा महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा इसकी प्रभावी उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए प्रमाणित की जानी चाहिए।

पूंजीगत व्यय को उच्च प्राथमिकता न देना: पूंजीगत व्यय में बढ़ती हुई प्रवृत्ति आर्थिक सेवाओं के साथ-साथ सामाजिक सेवाओं में सुधार का सूचक है। यद्यपि 2010-11 के दौरान निवेश में आंशिक वृद्धि हुई, जबकि पूंजीगत व्यय में वास्तव में ₹154 करोड़ की कमी हुई।

प्रभावी बजटीय प्रणाली को सुनिश्चित करने और सरकारी धन की प्रयुक्ति कैसे विवेकपूर्ण रूप से की जा रही है पर निगरानी रखने हेतु एक अनुश्रवण तंत्र होना चाहिए ताकि धन के लिए मूल्य को अभिप्रेत लाभार्थियों को इसकी सम्पूर्णता में चेनलाईज्ड किया जा सके।

सरकारी निवेशों की समीक्षा: उत्तरदायित्व की निष्पादन आधारित प्रणाली सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों में स्थापित की जानी चाहिए जिससे लाभ प्राप्त और सेवा में दक्षता सुधार हो सके।

सरकार को कम्पनियों/निगमों, जो कम वित्तीय परन्तु उच्च सामाजिक-आर्थिक प्रतिफलों से सम्पन्न तथा तर्कसंगत हो यदि उच्च लागत उधारों को चेनलाईज्ड किया जाना मूल्यवान हो, की पहचान करते हुए निवेशों में धन के लिए बेहतर मूल्य को सुनिश्चित करना चाहिए।

राजकोषीय शुद्धि हेतु पहल: राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम ने 2010-11 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 49.70 प्रतिशत के अन्दर समेकित ऋण (गारंटियों सहित) को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य की सिफारिश की थी, जिसे राज्य सिफारिशों के अनुसार लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहा है और इसका समेकित ऋण 31 मार्च 2011 को सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 58 प्रतिशत रहा।

अतः राज्य सरकार को अपने कार्यकलापों को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि कम से कम राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय नियंत्रण: ₹2237.64 करोड़ के अधिक व्यय का भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमन करना अपेक्षित है। बजट को व्यपगत होने से रोकने हेतु निक्षेप लेखों तथा व्यक्तिगत निक्षेप लेखों में निधियों का अवरोधन निधियों के दुरुपयोग के जोखिम को बढ़ाता है तथा इसे रोकने की आवश्यकता है।

वर्ष के अंत में व्यय के तीव्र प्रवाह को रोकने के लिए व्यय को योजनाबद्ध किया जाना चाहिए तथा वर्ष भर समान रूप से खर्च किया जाना चाहिए। वित्तीय प्रबन्धन में ऐसी कमियों को रोकने के लिए बजटीय नियंत्रणों का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए।

अनुश्रवण तंत्र को सुदृढ़ करने की आवश्यकता: ₹81.30 करोड़ के सार आकस्मिक बिलों का दीर्घ समयावधियों हेतु समायोजन नहीं किया गया था जो दुर्विनियोजन के जोखिम को बढ़ाता है।

सार आकस्मिक बिलों के समायोजन का ध्यानपूर्वक अनुश्रवण किया जाना चाहिए जिसके लिए अनुश्रवण तंत्र को विकसित किए जाने की आवश्यकता है।

वित्तीय विवरण: विभिन्न अनुदानग्राही संस्थाओं से ऋणों व अनुदानों के प्रति नौ वर्षों तक तथा उससे अधिक की मध्य अवधियों हेतु 9,547 मामलों के सम्बन्ध में ₹907.68 करोड़ राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्रों को भेजने में विलम्ब हुआ। हानियों तथा दुर्विनियोजनों के कई दृष्टांत थे जो विभागों में अपर्याप्त नियंत्रण को दर्शाते हैं जिसे सुदृढ़ किए जाने की आवश्यकता है।

दुर्विनियोजनों तथा हानियों से सम्बन्धित मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र के बनावट को आवश्यकता है।



अध्याय-1
राज्य सरकार के वित्त

हिमाचल प्रदेश राज्य को इसके पर्वतीय भू-भाग के कारण, जिसमें अवसंरचना की असुविधा व कार्य सम्पादन लागतें अन्तर्निहित हैं तथा अभिशासन की अपेक्षाकृत उच्चतर लागत भी आती है, विशेष राज्य¹ का दर्जा प्राप्त है। इसके बावजूद विगत दशक में राज्य में पर्याप्त आर्थिक वृद्धि देखी गई है तथा इसका वर्ष 2001-02 से 2010-11 की अवधि हेतु सकल राज्य घरेलू उत्पाद की मिश्रित वृद्धि दर लगभग 13 प्रतिशत रही है (परिशिष्ट-1)। वर्ष 2001-11 के दौरान इसकी जनसंख्या 13 प्रतिशत तक बढ़ गई है तथा वर्ष 2010 व 2011 के मध्य प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि 16 प्रतिशत रही है। राज्य सरकार के वित्तीय लेखे 19 विवरणियों में रखे जाते हैं जिसकी संरचना व रूपरेखा **परिशिष्ट-1.1** में दी गई है। यह अध्याय हिमाचल प्रदेश सरकार के चालू वर्ष के दौरान वित्त के विस्तृत परिदृश्य को प्रदान करता है तथा गत पांच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों के दृष्टिगत विगत वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय पूर्णयोगों में विवेचनात्मक परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। अध्याय का **परिशिष्ट-1.2** राज्य की राजकोषीय स्थिति के निर्धारणार्थ अपनाई गई कार्यपद्धति की रूपरेखा संक्षेप में प्रस्तुत करता है और **परिशिष्ट-1.3** वर्ष 2006-11 की अवधि हेतु राज्य सरकार के वित्त से सम्बन्धित मुख्य राजकोषीय परिवर्तनों/पैरामीटरों तथा राजकोषीय अनुपात पर समयावली आंकड़े प्रस्तुत करता है।

1.1 चालू वर्ष के राजकोषीय लेन-देन का सारांश

तालिका 1.1 विगत वर्ष (2009-10) की तुलना में चालू वर्ष (2010-11) के दौरान राज्य सरकार के राजकोषीय लेन-देन का सारांश प्रदर्शित करती है जबकि **परिशिष्ट-1.4** विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति सहित प्राप्तियों एवं संवितरणों का विवरण प्रदान करता है।

तालिका-1.1: चालू वर्ष के राजकोषीय परिचालनों का सारांश

2009-10		2010-11	2009-10		2010-11		(₹ करोड़ में)
प्राप्तियां			संवितरण		गैर योजनागत	योजनागत	जोड़
10,346	राजस्व प्राप्तियां	12,711	11,151	राजस्व व्यय	12,294	1,652	13,946*
2,574	कर राजस्व	3,643	4,377	सामान्य सेवाएं	5249	30	5279
1,784	कर-भिन्न राजस्व	1,695	3,902	सामाजिक सेवाएं	4081	898	4979
862	संघीय करों/शुल्कों का भाग	1,715	2,868	आर्थिक सेवाएं	2959	723	3682
5,126	भारत सरकार से अनुदान	5,658	4	सहायता अनुदान एवं अंशदान	6	--	6
प्रवर्ग-ख: पूंजीगत							
	विविध पूंजीगत प्राप्तियां	646	1,943	पूंजीगत परिव्यय	15	1,774	1,789
34	ऋणों एवं अग्रिमों की वसूलियां	73	70	संवितरित ऋण एवं अग्रिम	4	223	227
2,553	लोक ऋण प्राप्तियां	2,411	867	लोक ऋण की चुकौती	--	870	870
-	आकस्मिकता निधि	-	-	आकस्मिकता निधि	--	--	--
6,821	लोक लेखा प्राप्तियां	8,507	6,421	लोक लेखा संवितरण	--	--	7,162
979	अथ रोकड़ शेष	281	281	अन्त रोकड़ शेष	--	--	635
20,733	योग	24,629	20,733	योग			24,629


¹ विशेष दर्जा न प्राप्त करने वाले राज्यों जो 70 प्रतिशत अनुदान तथा 30 प्रतिशत ऋण के अनुपात में केन्द्रीय सहायता प्राप्त करते हैं, के विपरीत हिमाचल प्रदेश को दिए गए विशेषाधिकारों में भारत सरकार से 90 प्रतिशत अनुदान तथा 10 प्रतिशत ऋण के अनुपात में वित्तीय सहायता सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त, उद्योग को प्रेरित करने हेतु इसके शासन क्षेत्र के भीतर विनिर्माण का पुनः पता लगाने/पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण आबकारी शुल्क रियायतें भी उपलब्ध हैं।

* बुक समायोजन के रूप में ₹699.96 करोड़ (₹643.08 करोड़+₹56.88 करोड़)की राशि सम्मिलित है।

- विशेष दर्जा प्राप्त राज्य होने से राजस्व प्राप्तियों का 45 प्रतिशत भारत सरकार से अनुदानों के रूप में आता है। यद्यपि पूर्व वर्ष की तुलना में वर्ष 2010-11 में राजस्व प्राप्तियां 23 प्रतिशत तक बढ़ी, राजस्व व्यय 25 प्रतिशत तक बढ़ गया।
- राज्य का स्वकीय कर राजस्व विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में ₹1,069 करोड़ (42 प्रतिशत) तक बढ़ा जबकि कर-भिन्न राजस्व में ₹89 करोड़ (पांच प्रतिशत) की आंशिक कमी हुई। स्वकीय कर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः अधिक बिक्री/व्यापार कर, राज्य आबकारी, वाहन कर, भूमि/परिसम्पत्ति की बिक्री पर स्टॉम्प एवं पंजीकरण फीस तथा बिजली आदि पर कर एवं शुल्क के संग्रहण के कारण थी।
- राजस्व व्यय में विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में ₹2,795 करोड़ (25 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई। यह मुख्यतः पांचवें वेतन आयोग के कार्यान्वयन, महंगाई भत्ता की किशतों की अदायगी एवं ऋणों के बुक समायोजन के कारण थी।
- राजस्व घाटा वर्ष 2009-10 में ₹805 करोड़ से वर्ष 2010-11 में ₹1,235 करोड़² होने से ₹430 करोड़ (53 प्रतिशत) तक की वृद्धि हुई। चालू वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में राजस्व घाटा विगत वर्ष में 1.9 की तुलना में 2.4 है।
- लोक ऋण की चुकौती में चालू वर्ष में ₹3.00 करोड़ की आंशिक वृद्धि हुई है।
- ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण में विगत वर्ष की तुलना में पर्याप्त रूप से 224 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। यह विद्युत परियोजनाओं को दिए गए ऋण के कारण उच्चतर हुई।
- यद्यपि वर्ष 2010-11 में अथ शेष विगत वर्ष की तुलना में 71 प्रतिशत तक कम था किन्तु अन्त शेष में वर्ष 2009-10 की तुलना में वर्ष 2010-11 में 126 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

चार्ट 1.1 कुछ महत्वपूर्ण राजकोषीय पैरामीटरों के लिए बजट आकलनों तथा वास्तविकों को प्रदर्शित करता है।

चार्ट-1.1: चयनित राजकोषीय पैरामीटर: वास्तविकों की तुलना में बजट आकलन



स्रोत: प्राप्ति व व्यय (अगस्त 2010) तथा वित्त लेखे की समीक्षा

² बुक समायोजन के रूप में ₹699.96 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

चार्ट 1.1 में प्रदर्शित है कि वर्ष 2010-11 के दौरान आकलित व्यय ₹12093 करोड़ के प्रति राजस्व व्यय ₹1853 करोड़ (15 प्रतिशत) तक उच्चतर रहा। ₹505 करोड़ के राजस्व घाटे के आकलन के प्रति चालू वर्ष के दौरान ₹1235 करोड़ का घाटा रहा। ₹2438 करोड़ व ₹202 करोड़ के आकलित राजकोषीय तथा प्राथमिक घाटे के प्रति राजकोषीय घाटा तथा प्राथमिक घाटा क्रमशः ₹2532 करोड़ व ₹582 करोड़ था।

2010-11 हेतु उपलब्धियों की तुलना में हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन³ (संशोधन) अधिनियम, 2011⁴ में निर्धारित चयनित परिवर्तनों हेतु निर्धारित मुख्य राजकोषीय लक्ष्यों एवं मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी⁵ में किये गये प्रक्षेपणों के संदर्भ में वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य का प्रदर्शन नीचे तालिका 1.1क में सारांशित किया गया है:

तालिका-1.1क: चयनित परिवर्तनों हेतु मूल राजकोषीय लक्ष्य

(₹ करोड़ में)

राजकोषीय पूर्वानुमान	राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम/तेरहवें वित्त आयोग में प्रक्षेपण	निम्नवत् में राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रक्षेपण	वास्तविक	निम्नलिखित की तुलना में वास्तविक की प्रतिशतता विभिन्नता	
		मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी		तेरहवें वित्त आयोग ⁶	मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी
स्वकीय कर राजस्व	3,087	2,956	3,643	*	*
कर-भिन्न राजस्व	1,394	1,779	1,695	*	4.72
गैर-योजनागत राजस्व व्यय	8,305	10,796	12,294	48.03	13.87
पूँजीगत व्यय	---	---	1,789	--	--
राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा (-) अधिशेष (+)	---	(-)4.36	(-)9.72	(-)9.72	(-)5.36
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा (-)/ अधिशेष (+)	3.5 (2010-11)	(-)5.08	(-) 4.83	(-)8.33	*
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में समेकित ऋण (गारंटियों सहित)	49.7 (2010-11 तक)	56	58	8.3	2
राज्य के पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष की राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में बकाया गारंटियां	40 प्रतिशत से नीचे	17	38	*	21

* लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया गया।

- यद्यपि मध्यावधि राजकोषीय योजनागत विवरणी तथा बारहवें वित्त आयोग के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में राजस्व एवं राजकोषीय घाटे के स्तर को

⁵ बुक समायोजन के रूप में ₹699.96 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

³ हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन।

⁴ 2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा संशोधित।

⁵ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी।

⁶ तेरहवां वित्त आयोग।

* एक समावजन के रूप में ₹699.96 करोड़ (₹643.08 करोड़+₹56.88 करोड़) की राशि सम्मिलित है।

विभिन्न मंजी से बजट भाषण में वर्ष 2010-11 में राजकोषीय समकनाथ निम्नांकित वचनबद्धता की थी:

- कुल राजस्व व्यय ₹12093.42 करोड़ तथा कुल व्यय ₹15078.92 करोड़ आकलित किया गया था।
- कुल अपेक्षित पूंजीगत प्राप्तियां ₹2798.77 करोड़ थी तथा ऋण चुकौतियाँ सहित कुल पूंजीगत व्यय ₹2985.50 करोड़ आकलित किया गया था।
- कुल आकलित ब्याज भुगतान ₹2236.30 करोड़ था तथा पूंजन व्यय ₹1850 करोड़ था; तथा
- राजकोषीय धारा सकल राज्य धरोखे उत्पाद का 5.08 प्रतिशत अपेक्षित था जबकि राजस्व धारा ₹504.87 करोड़ पर स्थिर रही।

तथापि, वित्तीय वर्ष 2010-11 की समाप्ति पर राजस्व व्यय तथा कुल व्यय ₹13946.05 करोड़ तथा ₹15961.60 करोड़ पर रही जो बजटीय प्रक्षेपणों से क्रमशः ₹1852.63 करोड़ तथा ₹882.68 करोड़ तक उच्चतर था। पूंजीगत प्राप्तियां ₹645.85 करोड़ रही जो आकलनों से कम थी। पूंजन व्यय में बजट से ₹255.39 करोड़ की वृद्धि हुई तथा ₹2105.39 करोड़ पर रही। राजस्व धारा ₹1235 करोड़ रही जो ₹730 करोड़ तक उच्चतर था। इस प्रकार, इस सम्बन्ध में किए गए बजटीय पूर्वनिर्माणों के अनुसार इन प्रत्याशाओं को वांछित स्तर तक प्राप्त नहीं किया गया।

बजट भाषण 2010-11 में की गई वचनबद्धताएं

- राज्य का समतुल्य ऋण, जो सकल राज्य धरोखे उत्पाद का 58 प्रतिशत है, वर्ष के दौरान तेरहवें वित्त आयोग तथा मध्यवर्षीय राजकोषीय योजनागत विवरणी द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्यों क्रमशः 49.7 तथा 56 प्रतिशत से भी उच्चतर है।
- वर्ष 2009-10 में राज्य का राजस्व धारा ₹805 करोड़ था जो चार्ले वर्ष में बृद्धकर ₹1,235 करोड़* (53 प्रतिशत) हो गया। राजकोषीय धारा वर्ष 2009-10 में ₹2,784 करोड़ से चार्ले वर्ष में ₹252 करोड़ की कमी से ₹2532 करोड़ हो गया (अर्थात् सकल राज्य धरोखे उत्पाद का 4.83 प्रतिशत) जो राजकोषीय उतरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम में निर्धारित प्रक्षेपणों (सकल राज्य धरोखे उत्पाद का 3.50 प्रतिशत) से उच्चतर है जैसा कि उपरोक्त तालिका में दर्शाया गया है।
- प्राप्त करने हेतु निर्धारित लक्ष्यों की वर्ष 2007-08 में प्राप्त कर लिया था (अर्थात् 2008 की समय सीमा से पहले), राज्य की वर्ष 2008-09, 2009-10 व 2010-11 के दौरान पुनः राजस्व एवं राजकोषीय धारों का सामना करना पड़ा।


1.2 राज्य के संसाधन

1.2.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन


राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों के दो प्रवाह⁷ हैं जो राज्य सरकार के संसाधनों का गठन करते हैं।

तालिका 1.1 चालू वर्ष के दौरान राज्य की प्राप्तियों एवं संवितरणों को प्रस्तुत करती है जैसा कि इसके वार्षिक वित्त लेखे में अभिलिखित है जबकि चार्ट 1.2 राज्य के वर्ष 2006-11 के दौरान प्राप्तियों के विभिन्न घटकों की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करता है। चार्ट 1.3 चालू वर्ष के दौरान राज्य के संसाधनों के संयोजन को दर्शाता है।

चार्ट-1.2: प्राप्तियों की प्रवृत्तियां



चार्ट-1.3: 2010-11 के दौरान प्राप्तियों का संयोजन



उपरोक्त चार्ट प्रदर्शित करते हैं कि विगत वर्ष की अपेक्षा 2010-11 में राज्य सरकार की कुल प्राप्तियों में ₹19,754 करोड़ से ₹24,348 करोड़ की 23 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई। इसमें से 52 प्रतिशत

⁷ राजस्व प्राप्तियां: इनमें स्वकीय कर राजस्व, कर-भिन्न राजस्व, संघीय करों व शुल्कों का राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान सम्मिलित हैं।

पूंजीगत प्राप्तियां: इनमें विनिवेश से प्राप्तियां, ऋण व अग्रिमों की वसूली, आन्तरिक स्रोतों से ऋण प्राप्त अर्थात् लोक लेखा से उपचय सहित बाजार ऋण, वित्तीय संस्थाओं/वाणिज्यिक बैंकों से उधार तथा भारत सरकार से ऋण व अग्रिम सम्मिलित हैं।

राज्य कार्यान्वयन एजेंसी में गैर-सरकारी संगठन सहित कोई भी संगठन/संस्था शामिल है जिसे राज्य सरकार द्वारा राज्य में विभिन्न कार्यक्रमों अथवा सर्व शिक्षा अभियान हेतु राज्य कार्यान्वयन संस्था तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आदि हेतु राज्य स्वास्थ्य मिशन के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियों की प्राप्ति के लिए प्राधिकृत किया जाता है।

राज्य का 1.2 प्रतिशत करती है कि ₹636.25 करोड़ (अंतरित की गई कुल निधियों का 47 प्रतिशत) राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारण्टी कार्यक्रम, ₹137.87 करोड़ (10 प्रतिशत) सर्व शिक्षा अभियान और ₹199.30 करोड़ खात: विन लेख

क्र.सं.	कार्यक्रम/स्कीम का नाम	राज्य में कार्यान्वयन एजेंसी का नाम	2010-11 के दौरान भारत सरकार द्वारा जारी की गई कुल निधियाँ
1.	सर्व शिक्षा अभियान	मिशन निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान	137.87
2.	राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	636.25
3.	इन्दिरा आवास योजना	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	22.60
4.	पंचक स्थलों का विकास	हिमाचल प्रदेश पंचक विकास बोर्ड	23.31
5.	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	ग्रामख अभियान	199.30
6.	एकीकृत जलसंधारण कार्यक्रम	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	107.81
योग			1127.14

(₹ करोड़ में)

तालिका-1.2: राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियाँ

तालिका 1.2 में प्रस्तुत किया गया है। ₹1352.19 करोड़ की राशि का अंतरण किया है। मुख्य कार्यक्रमों/स्कीमों को दी गई महत्वपूर्ण राशियों को सरकार ने राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों (परीशिष्ट-1.5 में विवरणित) को प्रत्यक्ष रूप से लगाया व्यय अन्य राजकीय परिसरों/प्राथमिकी का काम आकलन किया जाता है। 2010-11 के दौरान भारत इन निधियों के प्रवाह को चिन्तित नहीं करते हैं तथा उस सीमा तक राज्य की प्राप्ति एवं व्यय तथा उनसे है। चूंकि इन निधियों को राज्य बजट/राज्य कोष प्रणाली के माध्यम से नहीं भेजा जाता है, वार्षिक विन लेख कार्यान्वयन हेतु राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को प्रत्यक्ष रूप से काफी बड़ी मात्रा में निधियों का अंतरण कर रही केन्द्रीय सरकार विवेचनात्मक रूप से परवानगी सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में विभिन्न स्कीमों/कार्यक्रमों के

1.2.2 राज्य बजट से बाहर राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों को अंतरित निधियाँ

37 प्रतिशत के मध्य थी। ₹5,265 करोड़ से 2010-11 में ₹8,507 करोड़ तक स्थिरतापूर्वक बढ़ गई जो कुल प्राप्ति की 35 तथा ₹2,103 करोड़ से 2010-11 में ₹3,130 करोड़ तक बढ़ गई। लोक लेखा प्राप्ति 2006-07 में ₹12,711 करोड़ तक 62 प्रतिशत तक स्थिरतापूर्वक बढ़ गई जबकि अन्य पूर्वागत प्राप्ति 2006-07 में प्राप्ति के 47 तथा 49 प्रतिशत के मध्य थी। राजस्व प्राप्ति 2006-07 में ₹7,835 करोड़ से 2010-11 में तथा एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियाँ (लोक लेखा प्राप्ति सहित 2006-11 के दौरान कुल में राजस्व प्राप्ति का अंश 2006-11 के दौरान लगभग स्थिर रहा। दूसरी और पूर्वागत प्राप्ति (बाजार उधार ₹12,711 करोड़) राजस्व प्राप्ति से प्राप्त हुए, शेष 48 प्रतिशत उधारों से प्राप्त हुए। राज्य की कुल प्राप्ति

9 अथ शेष: ₹26.71 करोड़; भारत सरकार से प्राप्ति: ₹137.87 करोड़; राज्य से प्राप्ति: ₹85.46 करोड़ और अन्य प्राप्ति: ₹0.46 करोड़।

करना आवश्यक है।

अभियान के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए समय पर राज्य अंश की जाती करने के लिए समय पर कार्रवाई शुरू के जारी करने की प्रक्रिया में लिए गए समय के कारण था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य में सर्व शिक्षा लेखापरीक्षा में इसे इंगित किए जाने पर राज्य परियोजना निदेशक ने बताया (जून 2011) कि विलम्ब राज्य अंश से 48 से 98 दिनों के विलम्ब के पश्चात् राज्य अंश जारी किया गया जो दिशा निर्देशों के विपरीत था।

तथापि, अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 2010-11 के दौरान केन्द्रीय अंश के जारी होने की तिथि मास के अन्दर राज्य अंश को सर्व शिक्षा अभियान को जारी किया जाना अपेक्षित था।

(iii) **निर्धियों को जारी करने में विलम्ब:** दिशा निर्देशों के अनुसार केन्द्रीय अंश के जारी होने के एक


बुरी तरह प्रभावित किया था।

समय पर प्रयुक्त के लिए उपयुक्त कदम उठाने हेतु विभाग के उदासीन दृष्टिकोण ने स्कीम के कार्यान्वयन को निषादन/प्रभावी न होने के कारण निर्धियों की प्रयुक्ति नहीं हो सकी। तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्धियों की राज्य परियोजना निदेशक ने बताया (अप्रैल 2011) कि स्कूलों के अधिकारशील होने, रिक्त पदों तथा कार्यो का दिया गया जिसका उपयोग राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा के कार्यान्वयन पर किया जा सकता था।

(i) यह पाया गया कि ₹254.82 करोड़ के अनुमोदित परियोजना से राज्य परियोजना निदेशक वर्ष 2010-11 के दौरान ₹250.50 करोड़ ही प्राप्त कर सका जिसके प्रति राज्य केवल ₹218.40 करोड़ (87 प्रतिशत) ही खर्च कर सका और ₹32.10 करोड़ अप्रयुक्त रह गए। इस प्रकार अनुमोदित योजना के अनुसार निर्धियों की अप्रयुक्ति के कारण राज्य को ₹4.32 करोड़ की अगली अनुदान जारी करने से वंचित कर

केन्द्रीय व राज्य सरकार ने विन पोषित किया। लेखापरीक्षा परिणाम निम्नवत् है: सार्वभौमिक प्रारम्भिक शिक्षा को पहुँचाती है। वर्ष 2010-11 के दौरान इस स्कीम को 65:35 के अनुपात में एकीकृत पर्यवेक्षण स्कीम है जो 6-14 आयु समूह के सभी बच्चों को शिक्षा मुहैया करवाने के लिए देश में सर्व शिक्षा अभियान: जनवरी 2001 में शुरू किया गया सर्व शिक्षा अभियान भारत सरकार की एक विस्तृत एवं

उत्तरदायित्व को निर्धारित करने के लिए लेखापरीक्षा द्वारा इन निर्धियों की प्रयुक्ति का सत्यापन किया जाना है। विशेष वर्ष में वास्तविक रूप में कितना व्यय हुआ है और इसलिए इन निर्धियों हेतु राज्य सरकार के कार्यान्वयन एवं निम्नियों द्वारा कार्यान्वयन की जा रही है तथा भारत सरकार द्वारा सीधे निर्धियन हो रहा है, पर किसी उपलब्ध ब्याज है जिससे पता चल पाए कि मुख्य पर्यवेक्षण स्कीमों व अन्य महत्वपूर्ण स्कीमों, जो राज्य सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अंतर्गत निर्धियों के अनुश्रवणार्थ कोई भी एजेन्सी नहीं है और न ही कोई तत्काल कुल उपलब्धता ₹24,348 करोड़ से बढ़कर ₹25,700 करोड़ हो गई। उपरोक्त से यह स्पष्ट होता है कि भारत सरकार द्वारा राज्य कार्यान्वयन एवं निम्नियों की प्रत्यक्ष रूप से ₹1352.19 करोड़ के अंतरण से राज्य संस्थाओं की (15 प्रतिशत) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हेतु दिए गए 15 प्रतिशत। इस प्रकार, वर्ष 2010-11 के दौरान भारत



चार्ट-1.4: राजस्व प्रणितियों की प्रवृत्तियाँ

तथा चार्ट 1.4 तथा 1.5 में भी विवक्षित किया गया है। 2006-11 की अवधि हेतु राजस्व प्रणितियों की प्रवृत्ति एवं संयोजन को परिशिष्ट-1.3 में प्रस्तुत किया गया है। स्वकीय कर व कर-भिन्न प्रणितियाँ, केन्द्रीय कर अंतरण तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान शामिल हैं। वित्त लेख की विवरणी-11 राज्य सरकार की राजस्व प्रणितियों का व्यौरा देती है। राजस्व प्रणितियों में इसका

1.3 राजस्व प्रणितियाँ


कारण लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका। बताया कि वन आवृत क्षेत्र के अन्तर्गत अनुमति न मिलने, बहुत से बैंकेजों में कार्यस्थलों पर भूमि विवाद के शीतक लक्ष्य को प्राप्त करने में विफल रही। संशोधन अधिकारी, हिमाचल प्रदेश ग्राम सड़क विकास एजेंसी ने अपेक्षा विद्यमान सड़कों के उन्नयन की अधिक लम्बाई को आवृत कर सका, राज्य सड़कों की नई सम्पर्कता के सम्पर्कता उपलब्ध करवा सका व 379.286 किलोमीटर का उन्नयन किया। यद्यपि राज्य किए गए प्रक्षेपणों की 250 किलोमीटर की सड़कों के उन्नयन के लक्ष्य के प्रति राज्य चालू वर्ष के दौरान 280.17 किलोमीटर की नई सम्पर्कता तथा (ii) स्कीम के अंतर्गत ₹150 करोड़ के अनुमानित व्यय से सड़कों की 344 किलोमीटर की नई सम्पर्कता तथा जारी की गई जिसमें से राज्य ने 31 मार्च 2011 तक ₹146.63 करोड़ खर्च किए।

(1) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत चालू वर्ष के दौरान राज्य सरकार को ₹199.30 करोड़ की राशि से जोड़ना है। लेखापरीक्षा परिणाम निम्नवत हैं:

राज्य के सम्बन्ध में स्कीम का उद्देश्य 250 व्यक्तियों या इससे अधिक की जनसंख्या वाली बस्तियों को सड़क पूरे वर्ष सम्पर्कता उपलब्ध करवाने के लिए दिसम्बर 2000 में आरम्भ किया गया था। हिमाचल प्रदेश पहड़ी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है जिस सड़क से न जोड़ी गई बस्तियों की

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

चार्ट-1.5: 2006-11 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का संयोजन



राजस्व प्राप्तियां 10 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर 2006-07 में ₹7,835 करोड़ से 2009-10 में ₹10,346 करोड़ तक स्थिरतापूर्वक बढ़ी, किन्तु वर्ष 2010-11 के दौरान इसमें गत वर्ष की तुलना में 23 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। कर-भिन्न राजस्व के अंश में विगत वर्ष की अपेक्षा पांच प्रतिशत की कमी प्रदर्शित हुई जबकि भारत सरकार से सहायता अनुदान में 10 प्रतिशत तक की वृद्धि हुई।

जबकि 2010-11 के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 42 प्रतिशत राज्य के स्वकीय संसाधनों से प्राप्त हुआ है जिसमें कर एवं कर-भिन्न शामिल है, शेष 58 प्रतिशत केन्द्रीय अंतरणों द्वारा अंशदान किया गया जिसमें केन्द्रीय कर एवं शुल्क (13 प्रतिशत) का राज्यांश तथा भारत सरकार से सहायता अनुदान (45 प्रतिशत) शामिल है।

केन्द्रीय कर अंतरण: केन्द्रीय कर अंतरण में 2009-10 में ₹862 करोड़ से 2010-11 में ₹1,715 करोड़ तक ₹853 करोड़ (99 प्रतिशत) की वृद्धि हुई तथा वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों का 13 प्रतिशत संस्थापित हुआ। वृद्धि मुख्यतः निगम कर (₹316 करोड़), निगम कर के अतिरिक्त आय कर (₹157 करोड़), सीमा शुल्क (₹179 करोड़) व संचयी आबकारी शुल्क (₹121 करोड़) में वृद्धि के कारण हुई।

सहायता अनुदान: भारत सरकार से सहायता अनुदान में वृद्धि 2009-10 में ₹5,126 करोड़ से 2010-11 में ₹5,658 करोड़ तक होने से ₹532 करोड़ रही।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां नीचे तालिका 1.3 में प्रदर्शित की गई हैं:

तालिका-1.3: सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्तियां

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजस्व प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	7,835	9,142	9,308	10,346	12,711
राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि दर (प्रतिशत)	19.45	16.68	1.82	11.15	22.86
राजस्व प्राप्ति/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत)	25.88	26.91	24.13	23.90	24.24
उत्प्लावकता अनुपात¹⁰					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से सम्बन्धित राजस्व उत्प्लावकता	1.68	1.36	0.13	0.91	1.08
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सन्दर्भ में राज्य की स्वकीय कर उत्प्लावकता	0.91	1.49	1.06	1.21	1.97

* 2004-05 के आधार मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद

¹⁰ उत्प्लावकता अनुपात मूल अस्थिरता में दिए गए परिवर्तन के सम्बन्ध में राजकोषीय अस्थिरता की अनुक्रियाशीलता की प्रत्यास्थता अथवा अवस्था को इंगित करता है। उदाहरणार्थ 0.6 की राजस्व उत्प्लावकता का अर्थ है कि यदि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में एक प्रतिशत तक वृद्धि होती है तो राजस्व प्राप्तियां 0.6 प्रतिशत बिन्दुओं तक वृद्धि की ओर अभिमुख होगी।

चालू स्तर निर्मांकित गणितों में प्रदर्शित किया गया है:

माल की आपूर्ति एवं सेवाओं में लागत वसूली (राजस्व व्यय की प्रतिशतता के रूप में राजस्व प्राप्ति) का

क्रमशः 18 प्रतिशत एवं 22 प्रतिशत तक उच्चतर था।

कर-भिन्न राजस्व तेरहवें वित्त आयोग में किए गए प्रक्षेपणों (₹3,087 करोड़ तथा ₹1,394 करोड़) की अपेक्षा कर-भिन्न राजस्व (₹1,695 करोड़) की वास्तविक वसूली पांच प्रतिशत तक कम थी। राज्य का स्वकीय कर/मध्यवर्षीय राजकोषीय योजना विवरणी में किए गए प्रक्षेपणों ₹1779 करोड़ की तुलना में राज्य के

क्रमशः ₹122 करोड़ तथा ₹16 करोड़ की गिरावट दर्शाई।

अंशदाता धी, इससे वित्त वर्ष (2009-10) की अपेक्षा विद्युत क्षेत्र तथा ब्याज, लाभांश एवं लघु में ₹134 करोड़ (कर-भिन्न राजस्व का आठ प्रतिशत) रहे। यद्यपि 2010-11 में कर-भिन्न राजस्व के ये मुख्य अंशदाता थे, इससे वित्त वर्ष (2009-10) की अपेक्षा विद्युत क्षेत्र तथा ब्याज, लाभांश एवं लघु में ₹1,093 करोड़ (कर-भिन्न राजस्व का 64 प्रतिशत) तथा ब्याज प्राप्ति, लाभांश एवं लघु (पांच प्रतिशत) रहे तथा। वर्ष 2010-11 के दौरान राज्य के कर-भिन्न राजस्व के मुख्य अंशदाता विद्युत क्षेत्र: कर-भिन्न राजस्व वित्त वर्ष के दौरान ₹1,784 करोड़ से घटकर वर्ष 2010-11 में ₹1,695 करोड़

कर-भिन्न राजस्व

वर्द्ध हुई।

संग्रहण में वित्त वर्ष (2009-10) की अपेक्षा 2010-11 में क्रमशः ₹614 करोड़ तथा ₹263 करोड़ तक की कर (₹93 करोड़-कर राजस्व का तीन प्रतिशत) से है। बिजली, व्यापार आदि कर तथा विद्युत कर व शुल्क के का वार प्रतिशत, स्टैम्प एवं पंजीकरण फीस (₹133 करोड़-कर राजस्व का चार प्रतिशत) तथा माल व यात्री विद्युत पर कर एवं शुल्क (₹302 करोड़-कर राजस्व का आठ प्रतिशत), वाहन कर (₹163 करोड़-कर राजस्व का 17 प्रतिशत), (₹2,101 करोड़-कर राजस्व का 58 प्रतिशत), राज्य आबकारी (₹562 करोड़-कर राजस्व का 15 प्रतिशत), औसत दर से बढ़ा। 2010-11 के दौरान राज्य के स्वकीय कर में मुख्य अंशदान बिजली, व्यापार आदि पर कर राज्य का कर राजस्व 2006-07 में ₹1,656 करोड़ से 2010-11 में ₹3,643 करोड़ तक 22 प्रतिशत वार्षिक

कर राजस्व

इसके स्वकीय संसाधनों के अनुसरण किया जाना चाहिए।

गतिशीलता में राज्य के निष्पादन का निष्पत्ति इसके स्वकीय कर एवं कर-भिन्न स्रोतों से राजस्व से समाविष्ट संग्रहण तथा योजनागत स्कीमों आदि हेतु केन्द्रीय सहयोग के आधार पर की जाती है, अतिरिक्त संसाधनों की केन्द्रीय करों तथा सहयोग अनुदान में राज्यांश की गणना वित्तियोग की सिफारिशों, केन्द्रीय कर प्राप्ति के

1.3.1 राज्य के स्वकीय संसाधन

4.12 प्रतिशत से 3.23 प्रतिशत तक नीचे आ गई है।

उत्प्लावकता की अपेक्षा उच्चतर था क्योंकि सकल राज्य धरने उत्पाद की प्रतिशतता चालू वर्ष में 2009-10 में के सम्बन्ध में राज्य के स्वकीय कर उत्प्लावकता वर्ष 2010-11 के दौरान कर-भिन्न राजस्व के कारण राजस्व उत्प्लावकता अनुपात वर्ष 2006-07 में 0.91 से बढ़कर 2010-11 में 1.97 हो गया। सकल राज्य धरने उत्पाद 22.86 प्रतिशत हो गया। इसके अतिरिक्त, सकल राज्य धरने उत्पाद के संदर्भ में राज्य के स्वकीय कर 2009-10 से इससे बढ़ती हुई प्रवृत्ति प्रदर्शित की और यह वर्ष 2010-11 के दौरान 11.15 प्रतिशत से बढ़कर 16.68 प्रतिशत तथा 2008-09 में 1.82 प्रतिशत तीव्र गिरावट सहित वृद्धि दर में स्थिर गिरावट रही। तथापि, राजस्व प्राप्ति के सहयोग अनुदान में कमी के कारण 2006-07 में 19.45 प्रतिशत से 2007-08 में ₹12,711 करोड़ हो गई। यह उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि वर्ष 2006-09 के दौरान कर-भिन्न राजस्व व राज्य की राजस्व प्राप्ति 13 प्रतिशत की औसत दर पर 2006-07 में ₹7,835 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में

तालिका-1.4: लागत वसूली का चालू स्तर

क्रमांक	विभाग	2006-07			2010-11		
		प्राप्ति	व्यय	प्रतिशतता	प्राप्ति	व्यय	प्रतिशतता
1.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	5.47	397.46	1.38	8.43	763.00	1.10
2.	लघु सिंचाई	0.48	123.38	0.39	0.75	245.25	0.31
3.	माध्यमिक शिक्षा	34.31	418.88	8.19	6.79	858.15	0.79
4.	विश्वविद्यालय एवं उच्चतर शिक्षा	3.38	78.53	4.30	3.71	183.67	2.01
5.	विद्युत	910.08	311.82	291.86	1093.21	792.88 ^s	137.88
6.	पथ परिवहन	0.02	55.78	0.04	0.80	95.27	0.84
स्रोत:	वित्त लेखे						
^s	इसमें ₹643.08 करोड़ सम्मिलित है जिसे अब राज्य सरकार के मुख्य शीर्ष 6003-आंतरिक ऋण से स्थानांतरित किया गया है ताकि हि.प्र. राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा जारी ऋण के गलत वर्गीकरण को ठीक किया जा सके।						

राज्य के मुख्य विभागों हेतु व्यय-प्राप्ति अनुपात को देखने से विदित होता है कि उपरोक्त सभी विभागों में वर्ष 2006-07 तथा 2010-11 के मध्य स्थिति खराब रही क्योंकि व्यय में प्रबल वृद्धि हुई है जबकि प्राप्ति में विद्युत को छोड़कर केवल आंशिक वृद्धि हुई है।

1.3.2 कर के अपवंचन, बट्टे खाते में डालने/माफी, प्रत्यर्पण एवं राजस्व बकायों के कारण राजस्व हानि

कर का अपवंचन

वर्ष के दौरान कटौती किए गए कर के अपवंचन के मामले, पूर्ण किए गए निर्धारणों तथा लम्बित मामलों का ब्यौरा निम्नवत् है:

तालिका-1.5: कर का अपवंचन

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2010 को लंबित मामले	वर्ष के दौरान उजागर मामले	31 मार्च 2011 तक योग	मामलों की संख्या जिनकी निर्धारण/जांच पूरी कर ली गई तथा शास्ति आदि सहित अतिरिक्त मांग की गई		31 मार्च 2011 तक लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	मांग राशि (₹ लाख में)	
1.	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	120	3013	3,133	3,023	483.31	110
2.	राज्य आबकारी	2	325	327	323	10.59	4
3.	यात्री एवं माल पर कर	333	1006	1,339	1,043	32.83	296
4.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	19	262	281	262	18.40	19
योग		474	4,606	5080	4,651	545.13	429

यह स्पष्ट है कि 429 मामले निपटान के लिए लंबित पड़े हैं। इस प्रकार इन मामलों का शीघ्र निपटान करने के लिए कार्रवाई की जानी आवश्यक है।

प्रत्यर्पण

वर्ष 2010-11 के आरम्भ में लम्बित प्रत्यर्पण मामलों, प्राप्त दावों, अनुमत प्रत्यर्पणों तथा वर्ष 2010-11 की समाप्ति पर लम्बित मामलों की संख्या का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका-1.6: प्रत्यर्पण मामले

क्रमांक	विवरण	बिक्री कर/वैट		स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	वर्ष के आरम्भ में बकाया दावे	17	80.05	--	--	1	11.05
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	49	10.71	1	0.01	4	11.11
3	वर्ष के दौरान किए गए प्रत्यर्पण	29	4.23	1	0.01	3	10.93
4	वर्ष के अन्त में बकाया शेष	37	86.53	--	--	2	11.23

संग्रहण लागत

वर्ष 2010-11 के दौरान बिक्री, व्यापार आदि कर ₹21.85 करोड़, राज्य आबकारी ₹5.84 करोड़, वाहन, माल व यात्री कर ₹0.97 करोड़ तथा स्टॉम्प शुल्क व पंजीकरण फीस ₹1.04 करोड़ के संग्रहण पर व्यय था। सकल संग्रहण के प्रति व्यय की प्रतिशतता क्रमशः 1.03, 1.04, 0.37 व 1.48 थी। राज्य में सकल संग्रहण के प्रति व्यय की प्रतिशतता बिक्री, व्यापार आदि पर करों के मामले को छोड़कर, अखिल भारतीय औसत से नीचे रही जो वर्ष 2010-11 हेतु संग्रहण की अखिल भारतीय औसत प्रतिशतता से 0.07 प्रतिशत उच्चतर थी। अखिल भारतीय औसत प्राप्ति हेतु पूर्वोक्त व्यय को कम करने के लिए प्रयत्न किये जाने की आवश्यकता है।

राजस्व बकाया

वर्ष 2006-07 में राजस्व बकाया ₹430 करोड़ से ₹247 करोड़ तक कम होकर वर्ष 2010-11 के अन्त में ₹183 करोड़ रह गया। इसमें से ₹49.38 करोड़ पांच वर्षों से अधिक अवधि हेतु बकाया थे। बकाया मुख्यतः बिक्री, व्यापार कर/वैट आदि (₹162.72 करोड़), माल एवं यात्री कर (₹7.83 करोड़), राज्य आबकारी (₹7.11 करोड़) तथा वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क (₹5.34 करोड़) के कारण था।

राजस्व की वसूली के लिए सरकार द्वारा शीघ्र कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

1.4 संसाधनों का उपयोग


राज्य सरकार के स्तर पर व्यय के आवंटन का विश्लेषण महत्व रखता है क्योंकि मुख्य व्यय का उत्तरदायित्व उनको सौंपा गया है। राजकोषीय उत्तरदायित्व विधानों के ढांचे के भीतर घाटे अथवा उधार द्वारा वित्तपोषित लोक व्यय जुटाने में बजटीय प्रतिबन्ध है। इसलिए यह सुनिश्चित किया जाना महत्वपूर्ण है कि राज्य स्तर पर चालू राजकोषीय शुद्धि तथा समेकन प्रक्रिया व्यय की लागत, विशेषकर विकास एवं सामाजिक क्षेत्रों को निर्दिष्ट व्यय पर नहीं है।

व्यय के आवंटन का विश्लेषण नीचे विवेचित किया गया है:

1.4.1 व्यय वृद्धि एवं संयोजन

चार्ट 1.6 पांच वर्षों (2006-11) की अवधि के कुल व्यय की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करता है तथा 'आर्थिक वर्गीकरण' एवं 'कार्यकलापों द्वारा व्यय' दोनों के सम्बन्ध में इसका संयोजन क्रमशः चार्ट 1.7 तथा 1.8 में चित्रित किया गया है।

चार्ट-1.6: कुल व्यय: प्रवृत्तियां एवं संयोजन



- राज्य का कुल व्यय¹¹ 2006-07 में ₹8,780 करोड़ से 2010-11 में ₹15,962 करोड़ तक 16 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर से बढ़ गया। इसमें विगत वर्ष की तुलना में 2010-11 में 21 प्रतिशत (₹2,798 करोड़) की वृद्धि हुई। विगत वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान कुल व्यय में ₹2,798 करोड़ की वृद्धि राजस्व व्यय तथा ऋणों व अग्रिमों में क्रमशः ₹2,795 करोड़ तथा ₹157 करोड़ की वृद्धि के कारण थी जबकि पूंजीगत व्यय में ₹154 करोड़ की कमी हुई।
- राजस्व व्यय 2006-07 में ₹7,644 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में 16 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर ₹13,946 करोड़⁵ हो गया। विगत वर्ष की तुलना में 2010-11 के दौरान राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतः सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति (₹617 करोड़), जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (₹136.41 करोड़), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (₹153.32 करोड़), सामाजिक कल्याण एवं पोषाहार (₹151.65 करोड़),

¹¹ वित्त लेखे की विवरणी 12 तथा 13 लघु शीर्ष द्वारा क्रमशः विस्तृत राजस्व व्यय तथा पूंजीगत व्यय को चित्रित करती है। राज्य अपने प्रभुसत्ता-सम्पन्न कार्यों को पूरा करने, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं को प्रदान करने के अपने विद्यमान स्वरूप का अनुरक्षण करने, पूंजीगत व्यय एवं निवेशों द्वारा इन सेवाओं के नेटवर्क का प्रसार करने तथा अपने ऋण सेवा दायित्वों को पूरा करने के लिए संसाधन जुटाते हैं।

⁵ बुक समायोजन के रूप में ₹699.96 करोड़ की राशि सम्मिलित है।


अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का कल्याण (₹11.15 करोड़), आर्थिक क्षेत्र में परिवहन (₹201.37 करोड़), ऊर्जा (₹608.24 करोड़), ग्रामीण विकास (₹62.21 करोड़), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹39.76 करोड़) पर व्यय के कारण थी।

- पूंजीगत व्यय 37 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर 2006-07 में ₹1110 करोड़ से बढ़कर 2008-09 में ₹2,079 करोड़ हो गया किन्तु विगत वर्ष की अपेक्षा वर्ष 2009-10 तथा 2010-11 के दौरान क्रमशः ₹136 करोड़ (सात प्रतिशत) तथा ₹154 करोड़ (आठ प्रतिशत) कम हुआ। 2010-11 के दौरान पूंजीगत निवेश में विगत वर्ष की तुलना में ₹2,736 करोड़ से ₹2,928 करोड़ की आंशिक वृद्धि हुई। पूंजीगत व्यय के प्राथमिकीकरण हेतु वित्तीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम में विशिष्ट मानकों का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। सामाजिक क्षेत्र में जलापूर्ति एवं स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास (₹329.11 करोड़), सामान्य शिक्षा (₹144.01 करोड़) तथा आर्थिक क्षेत्र में परिवहन (₹464.79 करोड़), सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण (₹308.58 करोड़) तथा विद्युत परियोजनाएं (₹160 करोड़) लाभार्थी क्षेत्र थे जहां पूंजीगत व्यय किया गया था। ऋणों एवं अग्रिमों ने कुल व्यय का ₹227 करोड़ (1.42 प्रतिशत) संगठित किया जो विगत वर्ष की अपेक्षा ₹157 करोड़ अधिक था।


1.4.2 कार्यकलापों द्वारा कुल व्यय की प्रवृत्तियां

कार्यकलापों के सम्बन्ध में कुल व्यय को ब्याज भुगतान, सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएं, सहायता अनुदान तथा ऋणों एवं अग्रिमों सहित सामान्य सेवाओं पर संघटित व्यय के रूप में माना जाएगा। कुल व्यय में इन घटकों के प्रासंगिक अंश को क्रमशः चार्ट 1.7 व 1.8 में इंगित किया गया है।

चार्ट-1.7: कुल व्यय: इसके घटकों के अंश की प्रवृत्तियां



चार्ट-1.8: कुल व्यय: 'क्रियाकलापों' से प्रवृत्तियां



व्यय के इन घटकों के प्रासंगिक अंश की गति से प्रदर्शित हुआ कि व्यय के सभी घटकों में अंतर्वर्षीय विभिन्नताएं थीं। सामान्य सेवाओं पर व्यय (ब्याज भुगतानों सहित), जिसे अविकासात्मक के रूप में माना जाता है, लगातार 2006-07 में 38.28 प्रतिशत से 2010-11 में 33.53 प्रतिशत तक घट गया। दूसरी ओर विकासात्मक व्यय अर्थात् सामाजिक एवं आर्थिक सेवा पर लगातार 2010-11 में 65 प्रतिशत लेखाबद्ध किया गया। आर्थिक सेवाओं तथा सामाजिक सेवाओं का भाग मुख्यतः सामान्य शिक्षा (₹606 करोड़) तथा परिवहन (₹201 करोड़) पर व्यय में वृद्धि के कारण था।

1.4.3 राजस्व व्यय का प्रभाव

राजस्व व्यय का कुल व्यय में सर्वाधिक भाग होता है। इसे सेवाओं तथा भुगतानों को चालू स्तर पर रखने, विगत दायित्वों हेतु खर्च किया जाता है तथा इस प्रकार यह राज्य की अधोसंरचना एवं सेवा नेटवर्क के लिए किसी प्रकार की वृद्धि में परिणत नहीं होता। समग्र राजस्व व्यय इसकी वृद्धि दर, सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा राजस्व प्राप्तियों के प्रति राजस्व व्यय का अनुपात तथा इसकी उत्प्लावकता को परिशिष्ट-1.3 में इंगित किया गया है। गैर-योजनागत राजस्व व्यय 2006-07 में ₹6,319 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में 18 प्रतिशत की वार्षिक औसत दर पर ₹12,294 करोड़ और योजनागत राजस्व व्यय 2008-09 में ₹877 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में ₹1,652 करोड़ हो गया।

योजनागत तथा गैर-योजनागत व्यय के अनुसार 2010-11 के दौरान कुल व्यय के विखण्डन से उद्घाटित हुआ कि गैर-योजनागत व्यय का प्रमुख भाग ₹12,313 करोड़ (कुल व्यय का 77 प्रतिशत) था जबकि शेष ₹3,649 करोड़ (23 प्रतिशत) योजनागत व्यय के रूप में था।

राजस्व व्यय 2009-10 में ₹11,151 करोड़ से 2010-11 में ₹13,946 करोड़⁵ तक 25 प्रतिशत बढ़ गया। गैर-योजनागत राजस्व व्यय ने 2006-11 की अवधि में 18 प्रतिशत की औसत दर से अंतर्वर्षीय विभिन्नता दिखाई है तथा लगातार सर्वाधिक अनुपात में अंश जारी रहा जो राजस्व व्यय के 83-91 प्रतिशत के मध्य परिवर्ती था। चालू वर्ष के दौरान गैर-योजनागत राजस्व व्यय में ₹2,381 करोड़ की वृद्धि मुख्यतः शिक्षा (₹442 करोड़), पेंशन (₹757 करोड़) तथा स्थानीय निकायों को सहायता (₹131 करोड़) में वृद्धि के कारण थी।

⁵ बुक समायोजन के रूप में ₹699.96 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रति गैर-योजनागत राजस्व व्यय का अनुपात 2006-11 के दौरान 21 प्रतिशत से 23 प्रतिशत तक बढ़ गया। गैर-योजनागत राजस्व व्यय के प्रति राजस्व व्यय की उत्प्लावकता 2006-07 में 0.93 प्रतिशत से 2008-09 में 0.67 प्रतिशत कम हो गई किन्तु 2009-10 में 1.15 प्रतिशत की वृद्धि हुई। इसमें आगे चालू वर्ष के दौरान 1.04 प्रतिशत की कमी हुई जबकि राजस्व प्राप्तियों के संदर्भ में इसमें 2008-09 में 7.59 से 2010-11 में 1.09 की कमी हुई। अन्य शब्दों में राजस्व प्राप्ति में प्रति एक प्रतिशत वृद्धि हेतु 2010-11 में गैर-योजनागत राजस्व व्यय 1.09 प्रतिशत तक बढ़ गया। गैर-योजनागत राजस्व व्यय (₹12294 करोड़) राज्य सरकार द्वारा मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (₹10,796 करोड़) में किये गये निर्धारण से न केवल अधिक रहा बल्कि तेरहवें वित्त आयोग (₹8,305 करोड़) द्वारा 2010-11 हेतु किये गये मानकीय निर्धारण से भी ₹3,989 करोड़ तक अधिक रहा।

दूसरी ओर योजनागत राजस्व व्यय में 2006-07 में 12.10 प्रतिशत से परिवर्ती उतार-चढ़ाव प्रदर्शित हुआ है जो 2007-08 में (9.28 प्रतिशत) तथा 2008-09 के दौरान (27.04 प्रतिशत) ऋणात्मक हो गया। तथापि, यह 2009-10 के दौरान ₹361 करोड़ बढ़ गया तथा विगत वर्ष की तुलना में 41.16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। परन्तु चालू वर्ष में यह पुनः 33.44 प्रतिशत कम हो गया।

1.4.4 वचनबद्ध व्यय

राजस्व लेखों में राज्य सरकार के वचनबद्ध व्यय में ब्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पेंशन तथा उपदान का मुख्यतया समावेश होता है। तालिका 1.7 तथा चार्ट 1.9 इन घटकों पर क्रमशः 2006-11 एवं 2008-11 के दौरान व्यय की प्रवृत्तियों को प्रदर्शित करते हैं।

तालिका-1.7: वचनबद्ध व्यय के घटक

वचनबद्ध व्यय के घटक	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	
					बजट आकलन	वास्तविक
वेतन एवं मजदूरी, जिसमें से	3,057 (39)	3,577 (39)	3,940 (42)	4,788 (46)	4591	5951 (47)
गैर-योजनागत शीर्ष	2,577 (33)	3,173 (35)	3,813 (41)	4,645 (45)		5784 (46)
योजनागत शीर्ष*	480 (6)	404 (4)	127 (1)	143 (1)		167 (1)
ब्याज अदायगियां	1,669 (21)	1,703 (17)	1,894 (20)	1,956 (19)	2236	1950 (15)
पेंशन पर व्यय	912 (12)	949 (10)	1,154 (12)	1,348 (13)	1850	2105 (17)
उपदान	343 (4)	328 (4)	369 (4)	403 (4)	407	439 (3)
योग	5,981	6,557	7,357	8,495		10445

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

लघु कोष्ठकों के आंकड़े राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं।

* केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अन्तर्गत योजना शीर्ष में प्रदत्त वेतन एवं मजदूरी भी सम्मिलित है।


व्यय भूगणना में 2006-07 में ₹1,669 करोड़ से 2010-11 में ₹1,950 करोड़ तक 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा चालू वर्ष के दौरान ₹छ:करोड़ की कमी हुई। उधारा का मुख्य खात पांच से 13.99 प्रतिशत तक की परिवर्ती व्यय दरों पर बाजार ऋण है। व्यय भूगणना वर्ष 2010-11 हेतु तेरहवें विन आयोग के प्रक्षेपणां (₹1,776 करोड़) से अधिक था परन्तु मध्यवर्षीय राजकोषीय योजना विवरणां (₹2,236 करोड़) से कम था।

● व्यय भूगणना

व्यय भूगणना पर व्यय 2006-07 में ₹912 करोड़ से 2010-11 में ₹2,105 करोड़ विगत वर्ष की तुलना में 17 प्रतिशत लेखाबद्ध था। चालू वर्ष हेतु प्रथम भूगणना पर वास्तविक व्यय तेरहवें विन आयोग (₹1,445 करोड़) दर्ज की गई। प्रथम भूगणना में 2010-11 के दौरान राज्य की राजस्व प्राप्ति का लगभग तथा चालू वर्ष के दौरान ₹757 करोड़ तक बढ़ गया जिसमें विगत वर्ष की अपेक्षा 56 प्रतिशत की वृद्धि दर प्रथम भूगणना पर व्यय 2006-07 में ₹912 करोड़ से 2010-11 में ₹2,105 करोड़ विगत वर्ष की तुलना में

● प्रथम भूगणना

2010-11 के दौरान अकेले वेतन एवं मजदूरी पर व्यय राज्य की राजस्व प्राप्ति का 47 प्रतिशत से अधिक लेखाबद्ध था। इसमें 2009-10 में ₹4,788 करोड़ से 2010-11 में ₹5,951 करोड़ तक की लगभग 24 प्रतिशत की वृद्धि हुई। मीर-योजनागत शीर्ष के अंतर्गत 2010-11 के दौरान वेतन व्यय विगत वर्ष की अपेक्षा ₹1,139 करोड़ (25 प्रतिशत) तक बढ़ गया जबकि योजनागत शीर्ष पर वेतन व्यय विगत वर्ष की अपेक्षा ₹24 करोड़ (17 प्रतिशत) तक बढ़ गया। मीर-योजनागत वेतन व्यय 2006-11 के दौरान वेतन पर कुल व्यय का 88 तथा 97 प्रतिशत के मध्य था। वेतन व्यय चालू वर्ष के दौरान मध्यवर्षीय राजकोषीय योजना विवरणां (₹4,455 करोड़) तथा तेरहवें विन आयोग (₹3,838 करोड़) में किये गये प्रक्षेपणां से क्रमशः ₹1,496 करोड़ तथा ₹2,113 करोड़ तक बढ़ गया जिसमें राज्य सरकार की व्यय देने की आवश्यकता है।



चार्ट-1.9: 2008-11 के दौरान मीर-योजनागत राजस्व व्यय में वचनबद्ध व्यय का अंश (लेबलों में मूल्य ₹ करोड़ में)

● उपदान

राज्य सरकार विभिन्न संस्थाओं/निकायों/निगमों आदि के लिए उपदानों का भुगतान कर रही है। उपदान 2006-07 में ₹343 करोड़ से 2010-11 में ₹439 करोड़ तक 28 प्रतिशत तथा विगत वर्ष की अपेक्षा नौ प्रतिशत तक बढ़ गये तथा राजस्व प्राप्तियों एवं कुल व्यय प्रत्येक का लगभग तीन प्रतिशत संघटित था। उपदानों के मुख्य घटक खाद्य एवं आपूर्ति वस्तुएं (₹80.55 करोड़); परिवहन (₹90 करोड़) तथा विद्युत (₹140 करोड़) थे। उपदान 2010-11 में ₹439 करोड़ मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (₹407 करोड़) में किये गये प्रक्षेपणों की तुलना में अधिक था।

1.4.5 राज्य सरकार द्वारा स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थानों को वित्तीय सहायता

विगत वर्षों से प्रासंगिक चालू वर्ष के दौरान स्थानीय निकायों एवं अन्य को अनुदानों एवं ऋणों के रूप में प्रदान की गई सहायता की प्रमात्रा तालिका 1.8 में दर्शाई गई है।

तालिका-1.8: स्थानीय निकायों, आदि को वित्तीय सहायता

संस्थानों को वित्तीय सहायता	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थान	117.50	176.49	203.49	231.14	311.25
नगर निगम तथा नगरपालिकाएं	46.74	70.66	82.46	115.92	92.26
जिला परिषद् तथा अन्य पंचायती राज संस्थान	100.58	134.13	188.45	217.92	256.28
विकास एजेंसियां	93.44	37.74	44.45	48.61	52.14
अस्पताल तथा अन्य धर्मार्थ संस्थान	0.12	0.10	4.85	41.25	48.11
अन्य संस्थान ¹²	41.11	47.65	58.55	63.25	89.35
योग	399.49	466.77	582.25	718.09	849.39
राजस्व व्यय की प्रतिशतता के अनुसार सहायता	5.23	5.63	6.17	6.44	6.09

(₹ करोड़ में)

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

स्थानीय निकायों एवं अन्य संस्थाओं को दिए गए अनुदानों में 2006-11 वर्षों में लगातार बढ़ती हुई प्रवृत्ति पाई गई। यह विगत वर्ष की अपेक्षा चालू वर्ष के दौरान ₹131.30 करोड़ (18 प्रतिशत) तक बढ़ गए। राजस्व व्यय में अनुदानों के अंश की 2006-10 की अवधि के दौरान 5.23 प्रतिशत तथा 6.44 प्रतिशत के मध्य बढ़ती हुई प्रवृत्ति पाई गई। तालिका 1.8 से प्रकट होने वाली दूसरी महत्वपूर्ण प्रवृत्ति यह है कि अन्य संस्थाओं का अंश 2006-07 में ₹41.11 करोड़ से 2010-11 में ₹89.35 करोड़ तक लगातार बढ़ गया है इससे यह प्रदर्शित होता है कि विभिन्न राज्य सरकारी संस्थाओं को अत्यधिक वित्तीय सहायता तदर्थ आधार पर दी जा रही है। 2010-11 के दौरान कुछ घटकों के अंतर्गत तीव्र वृद्धि मुख्यतः विश्वविद्यालय एवं शैक्षणिक संस्थाओं (₹80.11 करोड़) तथा जिला परिषद् व पंचायती राज संस्थाओं (₹38.36 करोड़) को अधिक अनुदान जारी करने के कारण थी।

¹² अन्य संस्थानों में वे संस्थाएं सम्मिलित हैं, जिन्होंने वर्ष के दौरान तदर्थ अथवा एक ही बार अनुदान प्राप्त किए।

जा सकता।

उपरोक्त तालिका इंगित करती है कि विकासोन्मुख व्यय को उचित प्राथमिकता दी गई थी। तथापि, जब तक वित्तीय परिव्यय को प्रत्यक्ष परिसम्पत्तियों में स्पष्ट नहीं कर दिया जाता तब तक परिणाम का निर्धारण नहीं किया

- पूर्वागत व्यय का अनुपात तीन प्रतिशत से अधिक तक घट गया।
 - विकास व्यय¹ कुल व्यय के अनुपात के रूप में दो प्रतिशत तक बढ़ा। व्यय में वृद्धि मुख्यतः आर्थिक सेवाओं पर थी क्योंकि आर्थिक सेवाएं व्यय का व्यय अनुपात तीन प्रतिशत तक बढ़ गया।
 - सरकार ने 2007-08 की तुलना में कुल व्यय पर सकल राज्य धरोखे उत्पाद का एक बड़ा अनुपात खर्च किया।
- वर्ष 2010-11 में हिमाचल प्रदेश के व्यय ढांचे का मिलान वर्ष 2007-08 के साथ करने से पाया गया कि :

राज्य द्वारा राजकोषीय प्राथमिकता	कुल विकास व्यय/सकल राज्य धरोखे	विकास व्यय/कुल व्यय	क्षेत्र व्यय/कुल व्यय	पूर्वागत व्यय/कुल व्यय	उत्पाद	
					सकल राज्य धरोखे उत्पाद	विकास व्यय में विकासोन्मुख राजस्व व्यय, विकासोन्मुख पूर्वागत व्यय तथा संवितरित ऋण एवं अभिमान सम्मिलित है।
हिमाचल प्रदेश का औसत (अनुपात) 2010-11	30.45	66.38	35.03	11.21		
हिमाचल प्रदेश का औसत (अनुपात) 2007-08	28.62	63.97	35.62	14.55		

तालिका-1.9: 2007-08 व 2010-11 के दौरान राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता

सरकार की राजकोषीय प्राथमिकता का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.9 सालों वर्ष के दौरान विकास व्यय, सामाजिक क्षेत्र व्यय तथा पूर्वागत व्यय के सम्बन्ध में राज्य

1.5.1 लोक व्यय की पर्याप्तता

हेतु परिव्यय-निष्कर्ष सम्बन्धी का निर्धारण) में सम्मिलित है।

लोक सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु पर्याप्त प्रावधान); व्यय उपयोग की दक्षता तथा प्रभावशालिता (चयन सेवाओं) प्रतिबन्धित करती है। व्यय की गुणवत्ता में सुधार मूल रूप से तीन पहलुओं अर्थात् व्यय की पर्याप्तता (अर्थात् राज्य में बेहतर सामाजिक एवं शैक्षिक अवसरों की उपलब्धता सामान्यतया इसके व्यय की गुणवत्ता को

1.5 व्यय की गुणवत्ता

1.5.2 व्यय उपयोग की दक्षता

सामाजिक क्षेत्र में कुल व्यय की अपेक्षा पूंजीगत व्यय के अनुपात में 2006-07 में 0.25 से 2010-11 में 0.17 की गिरावट आई। सामान्य शिक्षा के मामले में कुल व्यय की अपेक्षा पूंजीगत व्यय के अनुपात 2006-07 में 0.20 से 2010-11 में 0.05 की कमी हुई जबकि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 2006-07 में 0.10 से 2010-11 में 0.08 तक तथा जलापूर्ति, स्वच्छता तथा आवास एवं शहरी विकास में 0.44 से 0.30 तक की कमी आई जिसका अर्थ 2010-11 में पूंजीगत व्यय को कम प्राथमिकता देना था।

तालिका-1.10: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय उपयोग की दक्षता

(प्रतिशत में)

सामाजिक/आर्थिक अवसंरचना	2006-07			2010-11		
	कुल व्यय के प्रति पूंजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में निम्नांकित का अंश		कुल व्यय के प्रति पूंजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय में निम्नांकित का अंश	
		वेतन एवं मजदूरी	परिचालन व अनुरक्षण		वेतन एवं मजदूरी	परिचालन व अनुरक्षण
सामाजिक सेवाएं						
सामान्य शिक्षा	0.20	0.88	--	0.05	0.85	--
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	0.10	0.83	--	0.08	0.82	--
जलापूर्ति, स्वच्छता एवं आवास व शहरी विकास	0.44	0.35	5.86	0.30	0.47	0.51
सामाजिक सेवाओं पर कुल औसत अनुपात	0.25	0.69	1.95	0.14	0.71	0.17
आर्थिक सेवाएं						
कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	0.05	0.52	0.01	0.06	0.51	--
सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	0.58	0.68	0.59	0.54	0.78	0.46
ऊर्जा (विद्युत)	--	0.01	--	0.17	0.01	--
परिवहन	0.32	0.63	1.37	0.29	0.62	0.63
आर्थिक सेवाओं पर कुल औसत अनुपात	0.23	0.46	0.49	0.27	0.48	0.27
सामाजिक सेवाओं+आर्थिक सेवाओं का कुल औसत अनुपात	0.24	0.58	1.22	0.21	0.60	0.22
स्रोत: वित्त लेखे तथा महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय						

इसी भान्ति, उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि आर्थिक क्षेत्र में कुल व्यय की अपेक्षा पूंजीगत व्यय के अनुपात में 2006-07 में 0.23 से 2010-11 में 0.27 की आंशिक वृद्धि हुई। वर्ष 2006-07 में विद्युत क्षेत्र में कोई पूंजीगत व्यय नहीं किया गया जबकि 2010-11 में इसका अनुपात 0.17 था। कुल व्यय की अपेक्षा पूंजीगत व्यय का अनुपात इस अवधि के दौरान सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण में 0.58 से 0.54 तक कम हुआ जबकि कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलापों में 0.05 से 0.06 तक आंशिक रूप से बढ़ गया। जलापूर्ति, स्वच्छता एवं शहरी विकास में वेतन एवं मजदूरी का अनुपात 2006-07 में 0.35 से 2010-11 में 0.47 तक, सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण में 0.68 से 0.78 तक बढ़ गया। जलापूर्ति, स्वच्छता एवं शहरी विकास तथा सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण में परिचालन व अनुरक्षण व्यय का अनुपात वर्ष 2006-07 के दौरान ऐसे व्यय की तुलना में 2010-11 में कम हुआ।

1.5.3 व्यय की प्रभावशालिता अर्थात् परिव्यय-परिणाम सम्बन्ध

सरकारी स्रोतों से उपलब्ध ब्यौरे के अनुसार (परिशिष्ट-1) हिमाचल प्रदेश में गरीबी रेखा से नीचे तथा साक्षरता दर से सम्बन्धित लोगों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में अपेक्षाकृत बेहतर है। तथापि, लोक व्यय

में प्रभावशालिता सुनिश्चित करने हेतु राज्य को अपेक्षित परिणामों को प्राप्त करने के लिए प्रदाय तंत्र को सुधारने की आवश्यकता है। राज्य सरकार से सरकारी व्यय की गुणवत्ता, प्रसार तथा प्रभाव के अनुसार परिणामों हेतु व्यय को सम्बद्ध करने की अपेक्षा की जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली से सम्बन्धित निष्पादन लेखापरीक्षा की गई तथा लेखापरीक्षा परिणाम सिविल लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2010-11 में सम्मिलित किए गए हैं जो पृथक रूप से राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किया जा रहा है। लेखापरीक्षा की मुख्य-मुख्य बातें निम्नवत् हैं:

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

भारत सरकार ने निर्धन वर्गों के लिए वहनयोग्य मूल्यों पर जनता को खाद्यान्नों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जून 1997 में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, अप्रैल 2000 में अन्नपूर्णा योजना तथा दिसम्बर 2000 में अन्त्योदय अन्न योजना जैसी विभिन्न स्कीमें आरम्भ की। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने राज्य में सभी राशन कार्ड धारकों के लिए विशेष रूप से उपदान स्कीम भी आरम्भ की (अप्रैल 2007)। 2006-11 अवधि के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली की निष्पादन लेखापरीक्षा से उद्घाटित हुआ कि राज्य सरकार ने 2.32 लाख गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को आवृत्त किया था जो 2006-07 के दौरान राज्य में किए गए निर्धन परिवारों के सर्वेक्षण में पहचान किए गए परिवारों से अधिक थे जिसके परिणामस्वरूप भारत सरकार पर खाद्य उपदान का अनावश्यक वित्तीय बोझ पड़ा। राज्य सरकार ने इस प्रणाली में विद्यमान जाली राशन कार्डों की समस्या से निपटने के लिए कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किए। अन्त्योदय अन्न योजना के अंतर्गत 1.07 लाख अन्त्योदय परिवारों की अपेक्षित आवृत्ति के प्रति भारत सरकार के मार्च 2000 में निर्धारित प्रक्षेपित जनसंख्या अनुमानों के आधार पर 1.96 लाख परिवारों को आवृत्त किया गया जिसके परिणामस्वरूप 0.89 लाख परिवारों की अधिक आवृत्ति हुई। राज्य सरकार ने वितरण के मामले में भारत सरकार के मानकों की अपेक्षा खाद्यान्नों को जारी करने का उच्चतर पैमाना निर्धारित किया था जिससे खाद्यान्नों का अधिक वितरण हुआ परिणामस्वरूप भारत सरकार पर ₹10.98 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ा। 2006-11 के दौरान निर्धारित परचून मूल्य पर खाद्यान्नों का लाभ राज्य में गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को नहीं दिया गया, उन पर ₹35.11 करोड़ का अतिरिक्त बोझ डाला गया। गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली में भी कमियां थी जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को 2066.47 मीट्रिक टन घटिया दालें तथा 1368.26 मीट्रिक टन घटिया खाद्यान्नों की आपूर्ति की गई। लाभार्थियों को समय पर वस्तुओं की उचित मात्रा का वितरण व गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अपेक्षित अन्तरालों पर बैठकों को आयोजित न करने के कारण सतर्कता समितियों के अनुश्रवण तंत्र की कार्यप्रणाली भी अप्रभावी थी।

इस प्रकार, घटिया खाद्यान्नों की आपूर्ति से सम्बन्धित मामलों के अतिरिक्त निर्धन परिवारों के सर्वेक्षण में पहचान किए गए परिवारों से अधिक गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को आवृत्त करना, स्कीम के अन्तर्गत आवृत्ति हेतु अपात्र परिवारों का समावेशन, खाद्य उपदान के सम्बन्ध में वित्तीय प्रभाव वाले भारत सरकार के मानकों की अपेक्षा खाद्यान्नों को जारी करने का उच्चतर पैमाना निर्धारित करना आदि चिन्ता के क्षेत्र थे तथा सरकार को इन पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

1.6 सरकारी व्यय एवं निवेश का वित्तीय विश्लेषण

राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन पूर्व ढांचे में राज्य से अपने राजकोषीय घाटे (एवं उधार) को न केवल न्यून स्तर पर रखने की अपेक्षा की जाती है बल्कि इसके पूंजीगत व्यय/निवेश (ऋणों तथा अग्रिमों सहित) आवश्यकताओं को पूरा करने की भी अपेक्षा की जाती है। इसके अतिरिक्त, बाजार आधारित संसाधनों पर पूर्ण निर्भरता के परिवर्तन में राज्य सरकार को इसके निवेशों पर पर्याप्त आय अर्जित करने के लिए उपायों को तथा इसकी उधार निधियों की लागत को वसूल करने की आवश्यकता है बजाए इसके कि अन्तर्निहित उपदान के रूप में इसके बजट से उसको वहन किया जाए तथा वित्तीय प्रचालनों में पारदर्शिता प्रदान करने के लिए अपेक्षित कदम उठाए जाएं। यह प्रवर्ग विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान सरकार द्वारा किए गए निवेशों तथा अन्य पूंजीगत व्यय का विस्तृत वित्तीय विश्लेषण को प्रदर्शित करता है।

1.6.1 अपूर्ण परियोजनाएं

31 मार्च 2011 तक अपूर्ण परियोजनाओं के सम्बन्ध में विभागवार सूचना तालिका 1.11 में दी गई है।

तालिका-1.11: अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार रूपरेखा

(₹ करोड़ में)					
विभाग	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	आरम्भिक बजटीय लागत	परियोजनाओं की संशोधित कुल लागत	31.03.2011 को संचित वास्तविक व्यय	लागत वृद्धि
1.	2.	3.	4.	5.	6. (5-3)
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	11	37.46	71.67	86.14	48.68

स्रोत: वित्त लेखे

सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य से सम्बन्धित अपूर्ण परियोजनाओं का ब्यौरा उपरोक्त तालिका 1.11 में प्रस्तुत किया गया है। सभी अपूर्ण परियोजनाओं जिनकी संशोधित लागतें उपलब्ध हैं, के सम्बन्ध में ₹49 करोड़ की अधिक लागत आई। विलम्ब विश्लेषणों से तीन तथा 11 वर्षों के मध्य की समय वृद्धि का पता चला। ये परियोजनाएं भूमि विवादों, निधियों की कमी, न्यायालय से सम्बन्धित मामलों, विद्युत आपूर्ति न मिलने आदि कारणों से अपूर्ण पड़ी हुई थीं।

लम्बित मामलों का हल निकालने तथा अधिक समय व लागत को रोकने हेतु आगे शीघ्रता से परियोजनाओं को पूरा करने के लिए तथा यह सुनिश्चित करने के लिए भी कि अभिप्रेत लाभार्थियों को परिकल्पित लाभ शीघ्रतिशीघ्र मिले, प्रयास करने की आवश्यकता है।

1.6.2 निवेश एवं प्रतिफल

राज्य सरकार द्वारा निवेशों के लिए कोई मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं। 31 मार्च 2011 तक राज्य सरकार ने सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों एवं सहकारी समितियों में ₹2,864 करोड़ का निवेश किया था (तालिका 1.12)। इस निवेश पर विगत पांच वर्षों में 1.78 प्रतिशत की औसत आय थी, जबकि सरकार ने 2006-11 के दौरान अपने उधारों पर 8.81 प्रतिशत की औसत ब्याज दर का भुगतान किया।

31 मार्च 2011 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों की कुल राशि ₹483.28 करोड़ थी। अग्रिम में दिये गये ₹555.87 करोड़ के प्रति 2010-11 के दौरान केवल ₹72.59 करोड़ लौटाये गये, जिससे विगत वर्ष की अपेक्षा चूकौती में ₹38.74 करोड़ की वृद्धि हुई। 2010-11 के दौरान ऋणों के मुख्य प्राप्तकर्ताओं में विद्यत

ऋणों की प्रमाणा/ब्याज प्राप्ति/उधार लागत	2008-09	2009-10	2010-11
अथ शेष	224.85	293.49	329.31
वर्ष के दौरान दी गई अग्रिम राशि	89.61	69.67	226.56
वर्ष के दौरान लौटाई गई राशि	20.97	33.85	72.59
अंत शेष	293.49	329.31	483.28
विन में बकाया शेष विनके लिए शर्तें एवं निबन्धन निर्धारित किए गए हैं	--	--	--
निवल वृद्धि	68.64	35.82	153.97
ब्याज प्राप्ति	11	11	11
बकाया ऋणों व अग्रिमों के प्रति प्रतिशत के रूप में ब्याज प्राप्ति	4.2	3.5	2.28
राज्य सरकार की बकाया राजकोषीय दायित्वों के प्रति प्रतिशत के रूप में ब्याज	9.8	9.0	8.22
अदायगी	(-) 5.6	(-) 5.5	(-) 5.94
ब्याज अदायगी तथा ब्याज प्राप्ति के मध्य अंतर (प्रतिशत)			

(₹ करोड़ में)

तालिका-1.13: राज्य सरकार द्वारा दिए गए अग्रिम ऋण पर प्राप्त औसत ब्याज

विगत तीन वर्षों के दौरान ब्याज भुगतानों की तुलना में ब्याज प्राप्ति का प्रदर्शन करती है। को ऋण एवं अग्रिम भी प्रदान कर रही थी। तालिका 1.13 31 मार्च 2011 तक बकाया ऋणों एवं अग्रिमों, सहकारी समितियों, निगमों एवं कम्पनियों में निवेशों के अतिरिक्त राज्य सरकार इन बहूत सी संस्थाओं/संगठनों

1.6.3 राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम

(₹48.67 करोड़) तथा हिमाचल प्रदेश हेतु ऋणों का निगम सीमित (₹21.06 करोड़) थी। उत्पाद विपणन एवं विधायन निगम सीमित (₹53.05 करोड़), हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम निगम (₹117.48 करोड़), कृषि उद्योग डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (₹76.18 करोड़), हिमाचल प्रदेश बागवानी कम्पनियों में मुख्य प्राप्तकर्ता जिन्होंने 31 मार्च 2011 तक संविदा हेतु उठाई वे हिमाचल प्रदेश वितीय ऋणों में ₹572.80 करोड़ तथा हिमाचल प्रदेश विद्युत बोर्ड: ₹383.18 करोड़) की संविदा हेतु उठाई थी। सहकारी सांविधिक निगमों/बोर्डों ने मार्च 2011 के अन्त तक ₹955.98 करोड़ (हिमाचल प्रदेश पशु परिवहन निगम: एक केन्द्रीय सांविधिक क्षेत्र के उपक्रम समलज्ज बल विद्युत निगम (₹1068.14 करोड़) में किया गया। दो मुख्य निवेश छ: सांविधिक निगमों/बोर्डों (₹874.54 करोड़), 21 सहकारी कम्पनियों (₹839.22 करोड़) तथा

निवेश/प्राप्तकल/उधार लागत	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
वर्ष के अंत में निवेश	1,861	2,033	2,369	2,663	2,864
प्राप्तकल	1.80	0.52	89.58	73.49	64.11
प्राप्तकल (प्रतिशत)	0.10	0.03	3.78	2.76	2.24
सहकारी उधारों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	9.40	9.09	9.19	8.59	7.78
ब्याज दर व प्राप्ति के मध्य अंतर (प्रतिशत)	9.30	9.06	5.41	5.83	5.54

(₹ करोड़ में)

तालिका-1.12: निवेश प्राप्तकल

परियोजनाएं (₹192.97 करोड़) थी। बकाया ऋणों एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज की प्रतिशतता की तुलना में उधारों पर सरकार द्वारा अदा किये जा रहे ब्याज की औसत दर में भारी अंतर था। 2008-11 के दौरान कमी लगभग स्थिर थी। 2010-11 के दौरान बकाया ऋणों की प्रतिशतता के रूप में सरकार ने ब्याज प्राप्तियों की 2.28 प्रतिशत आय प्राप्त की। तथापि, इस अवधि के दौरान इसने उधारों पर आठ प्रतिशत ब्याज का भुगतान किया।

1.6.4 रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेष का निवेश

तालिका 1.14 वर्ष के दौरान रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों में से राज्य सरकार द्वारा किये गये निवेशों को दर्शाती है।

तालिका-1.14: रोकड़ शेष तथा रोकड़ शेषों का निवेश

विवरण	1 अप्रैल 2010 तक	31 मार्च 2011 तक	(₹ करोड़ में)	
			वृद्धि (+)/ कमी (-)	
रोकड़ शेष	281.16	634.86	(+)	353.70
रोकड़ शेषों से निवेश				
क. भारत सरकार के खजाना बिल	582.60	906.53	(+)	323.93
ख. भारत सरकार की प्रतिभूतियां	4285.64	4935.51	(+)	649.87
चिह्नित शेषों से निवेश का निधिवार विखंडन		--	--	--
वसूल किया गया ब्याज	63.70	49.60	(-)	14.10

राज्य सरकार के रोकड़ शेष चालू वर्ष की समाप्ति पर 2009-10 में ₹281.16 करोड़ से 2010-11 में ₹634.86 करोड़ होने पर ₹353.70 करोड़ तक बढ़ गये। राज्य सरकार ने भारत सरकार खजाना बिलों में ₹906.53 करोड़ तथा भारत सरकार की प्रतिभूतियों में ₹4935.51 करोड़ का निवेश किया और 2010-11 के दौरान ₹49.60 करोड़ का ब्याज अर्जित किया। राज्य सरकार भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित दैनिक नकदी शेष का अनुरक्षण करने में समर्थ थी और इसने अर्थोपाय अग्रिमों का लाभ नहीं उठाया (परिशिष्ट-1.3)।

1.7 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

1.7.1 परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की वृद्धि एवं संयोजन

सरकार की विद्यमान लेखाकरण प्रणाली में सरकार के स्वामित्व वाली भूमि व भवनों जैसी अचल परिसम्पत्तियों का व्यापक लेखाकरण नहीं किया जाता है। तथापि, सरकार के लेखे सरकार की वित्तीय देयताओं तथा किये गये व्यय में से सृजित की गई परिसम्पत्तियों को प्रदर्शित करते हैं। **परिशिष्ट-1.4** 31 मार्च 2011 तक ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों का 31 मार्च 2010 को उनकी तदनुसूची स्थिति की तुलना में सार को दर्शाता है। जबकि इस परिशिष्ट में देयताओं में मुख्यतः आंतरिक उधारों, भारत सरकार से ऋणों एवं अग्रिमों, लोक लेखे एवं आरक्षित निधियों से प्राप्तियों का समावेश होता है, परिसम्पत्तियों में मुख्यतः पूंजीगत परिव्यय तथा राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋणों एवं अग्रिमों व रोकड़ शेषों का समावेश होता है।

1.7.2 राजकोषीय देयताएं

राज्य की बकाया राजकोषीय देयताओं की प्रवृत्तियों को परिशिष्ट-1.3 में प्रदर्शित किया गया है। तथापि, विगत वर्षों की तुलना में चालू वर्ष के दौरान राजकोषीय देयताओं का संयोजन तालिका 1.15 में प्रदर्शित किया गया है।

तालिका-1.15: राजकोषीय देयताएं-मूल पैरामीटर

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजकोषीय देयताएं (₹ करोड़ में)	18,071	19,419	21,819	23,713	26,415
वृद्धि दर (प्रतिशत)	3.67	7.46	12.36	8.68	11.39
निम्न के प्रति राजकोषीय देयताओं का अनुपात					
सकल राज्य घरेलू उत्पाद* (प्रतिशत)	59.69	57.17	56.56	54.78	50.38
राजस्व प्राप्तियां (प्रतिशत)	230.64	212.42	234.41	229.20	207.81

* आधार वर्ष 2004-05 पर संशोधित सकल राज्य घरेलू उत्पाद।

राज्य की समग्र राजकोषीय देयताएं 2006-07 में ₹18,071 करोड़ से बढ़कर 2010-11 में ₹26,415 करोड़ हो गई। राज्य की राजकोषीय देयताओं में समेकित निधि देयताएं एवं लोक लेखा देयताएं समाविष्ट हैं। समेकित निधि देयता (₹18,654 करोड़) में बाजार ऋण (₹9,224 करोड़), भारत सरकार से ऋण (₹960 करोड़) तथा अन्य ऋण (₹8,470 करोड़ जिनमें भारत सरकार के एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष सुरक्षा पर ₹4,936 करोड़ शामिल हैं) सम्मिलित हैं। लोक लेखा देयताओं (₹7,761 करोड़) में लघु बचतें तथा भविष्य निधियां (₹6,102 करोड़), ब्याज वहन करने वाली देयताएं तथा ब्याज वहन न करने वाली देयताएं जैसा कि निक्षेप (₹1,581 करोड़) एवं आरक्षित निधियां (₹78 करोड़) शामिल हैं। 2010-11 के दौरान राजकोषीय देयताओं में वृद्धि दर 11.39 प्रतिशत थी। सकल राज्य घरेलू उत्पाद के संदर्भ में राजकोषीय देयताओं का अनुपात 2006-07 में 59.69 प्रतिशत से निरन्तर रूप से घट कर 2010-11 में 50.38 प्रतिशत हो गया। ये देयताएं 2010-11 के अंत में राजस्व प्राप्तियों के 2.08 गुणा पर स्थिर थी। राज्य सरकार द्वारा बाजार ऋणों व अन्य ऋणों तथा ऋण दायित्वों को चुकाने के लिए बारहवें वित्त आयोग द्वारा यथा सिफारिश एक समेकित निक्षेप निधि को स्थापित किया जाना अपेक्षित था। राज्य सरकार ने अभी तक निक्षेप निधि को स्थापित नहीं किया है।

1.7.3 गारंटियों¹⁴ की स्थिति-आकस्मिक देयताएं

अधिकतम राशि जिसके लिए राज्य द्वारा गारंटियां दी गई थी तथा विगत तीन वर्षों की बकाया गारंटियां जैसा कि वित्त लेखे की विवरणी 9 में दर्शाया गया है, तालिका 1.16 में दी गई है।

¹⁴ गारंटियां कर्जदार, जिसकी गारंटी दी गई है, द्वारा चुक के मामले में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयताएं हैं।

तालिका-1.16: हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा दी गई गारंटियां

गारंटियां	2008-09	2009-10	2010-11
गारंटीकृत अधिकतम राशि	6,076	4361	6232
गारंटियों की बकाया राशि	2,291	1949	3910
वर्ष की कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रति गारंटीकृत अधिकतम राशि की प्रतिशतता	65	42	49

(₹ करोड़ में)

राज्य विधानसभा द्वारा संविधान के अनुच्छेद 293(1) के अंतर्गत ऐसी सीमाएं निर्धारित करने जिनके अन्तर्गत सरकार राज्य की समेकित निधि की प्रतिभूति पर गारंटी दे सकती है, के संदर्भ में कोई कानून पारित नहीं किया गया है। तथापि, मार्च 2011 में संशोधित हिमाचल प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में प्रावधान है कि कुल बकाया गारंटियों को चालू वर्ष से पूर्व वर्ष में राजस्व प्राप्तियों के 40 प्रतिशत तक सीमित किया जाना है। चूंकि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के अधिनियमन से राज्य सरकार द्वारा दी गई बकाया गारंटियां 2009-10 तक अधिनियम में निर्धारित की गई सीमा में थी। विभिन्न निगमों तथा अन्य द्वारा उठाए गये ऋणों पर बकाया गारंटियां 2010-11 की समाप्ति पर ₹3,910 करोड़ थी जो विगत वर्ष की राजस्व प्राप्तियों का 38 प्रतिशत थी तथा ये गारंटियां राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005 के संशोधन द्वारा निर्धारित 40 प्रतिशत की अनुमत सीमा में थी। गारंटियों के मुख्य प्राप्तकर्ता, जिनके प्रति राशियां 31 मार्च 2011 को बकाया थी, छः सांविधिक बोर्ड/निगम (₹3,460 करोड़), सात सरकारी कम्पनियां (₹164 करोड़), एक सहकारी बैंक (₹269 करोड़) तथा दो स्थानीय/स्वायत्त निकाय (₹17 करोड़) थे। दी गई गारंटियों से उत्पन्न आकस्मिक देयताओं को पूरा करने के लिए राज्य सरकार द्वारा गारंटी विमोचन निधि को स्थापित किया जाना अपेक्षित था जैसा कि बारहवें वित्तयोग द्वारा सिफारिश की गई थी। तथापि, राज्य सरकार ने अभी तक ऐसी किसी भी निधि को स्थापित नहीं किया है।

1.8 ऋण धारणीयता

राज्य सरकार के ऋण की मात्रा के अतिरिक्त विभिन्न सूचकों, जो राज्य की ऋण धारणीयता¹⁵ को निश्चित करते हैं, का विश्लेषण करना महत्वपूर्ण है। यह संवर्ग ऋण स्थिरीकरण¹⁶; ऋण-रहित प्राप्तियों¹⁷ की

¹⁵ ऋण धारणीयता को एक समयावधि में स्थिर ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात का अनुरक्षण करने के लिए राज्य की क्षमता के रूप में परिभाषित किया गया है तथा इसकी ऋण व्यवस्था करने की क्षमता के बारे चिन्ता भी अभिव्यक्त करती है। इसलिए ऋण धारणीयता चालू अथवा वचनबद्ध दायित्वों को पूरा करने के लिए तरल सम्पत्तियों की पर्याप्तता तथा ऐसे उधारों से होने वाली आय के साथ अतिरिक्त उधारों की लागतों के मध्य संतुलन रखने के लिए क्षमता का उल्लेख भी करती है। इसका अर्थ है कि राजकोषीय घाटे में वृद्धि का ऋण सेवा के लिए क्षमता में वृद्धि के साथ मेल होना चाहिए।

¹⁶ स्थिरता हेतु आवश्यक शर्त स्पष्ट करती है कि यदि आर्थिक वृद्धि की दर ब्याज दर अथवा लोक उधार को लागत से अधिक होती है तो ऋण-सकल घरेलू उत्पाद अनुपात के स्थिर रहने की सम्भावना है बशर्ते कि प्राथमिक शेष या तो शून्य अथवा धनात्मक अथवा सामान्य रूप से ऋणात्मक है। यदि दर विस्तार (सकल राज्य घरेलू उत्पाद वृद्धि दर-ब्याज दर) तथा प्रमात्रा विस्तार (ऋण* दर विस्तार) दिया गया हो तो ऋण धारणीयता स्थिति स्पष्ट करती है कि यदि प्राथमिक घाटे सहित प्रमात्रा विस्तार शून्य है, ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात स्थिर होगा अथवा ऋण अन्ततः स्थिर होगा। दूसरी ओर, यदि प्रमात्रा विस्तार सहित प्राथमिक घाटा ऋणात्मक होता है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में वृद्धि होगी तथा यदि यह धनात्मक है तो ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात में अन्ततः गिरावट होगी।

¹⁷ वृद्धिशील ब्याज देयताओं तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को आवृत्त करने के लिए राज्य की वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्याप्तता। ऋण धारणीयता का महत्वपूर्ण रूप से सरलीकरण किया जा सकता था यदि वृद्धिशील गैर-ऋण प्राप्तियां वृद्धिशील ब्याज भार तथा वृद्धिशील प्राथमिक व्यय को पूरा कर सके।

कुल ऋण प्राप्तियों के प्रति ऋण विभाजन (मूलधन+ब्याज भुगतान) के अनुपात के रूप में परिभाषित किया गया है तथा उस सीमा को इंगित करता है जिसके लिए ऋण प्राप्तियों का निवल उधार निधियों की उपलब्धता दर्शाते हुए ऋण विभाजन में उपयोग किया जाता है।

उपरोक्त तालिका 1.17 से प्रकट होता है कि प्राथमिक घाटे सहित प्रभावा विस्तार वर्ष 2008-09 में धनात्मक था परन्तु 2009-10 में यह ऋणात्मक हो गया जबकि 2010-11 में यह पुनः धनात्मक हो गया जिससे यह इंगित होता है कि चालू वर्ष में ऋण-सकल राज्य धरल उपाय अर्थात् अनुपात अन्ततः घट रहा है। 2010-11 के दौरान उपलब्ध निवल उधार निधियाँ धनात्मक थी जिससे यह इंगित होता है कि निवल ऋण प्राप्तियों के ₹752 करोड़ का पूर्व ऋण दापितियों को पूरा करने के बजाय अन्य प्रयोजनों हेतु उपयोग किया गया। राज्य सरकार की परिपक्वता रूपरेखा इंगित करती है कि कुल लोक ऋण का 40 प्रतिशत (₹7420.38 करोड़) आगामी पांच वर्षों में चुकौती योग्य है, जबकि शेष 60 प्रतिशत ऋण (₹11233.98 करोड़) की पांच वर्षों से अधिक अवधि में अदायगी की जानी अपेक्षित है।



लघु कोष्ठक के आंकड़े प्रतिशतता का सूचित करते हैं।

ऋण धारणीयता के सूचक	2008-09	2009-10	2010-11
ऋण स्थिरता	472	(-) 40	2577
(प्रभावा विस्तार+ प्राथमिक घाटे)	(-) 1,726	(-) 506	252
गैर-ऋण प्राप्तियों की पर्यायता (संसाधन अंतराल)	507	341	752
उधार निधियों की निवल उपलब्धता	0.203	0.189	0.153
ब्याज अदायगीयों का भार (ब्याज अदायगी/राजस्व प्राप्ति अनुपात)	987.20 (6.40)	869.69 (5.08)	952.61(5)
0-1	3,654.02 (23.26)	2444.40 (14.29)	3121.30(17)
1-3	2,733.06 (17.40)	3238.28 (18.92)	3346.47(18)
3-5	2,167.37 (13.80)	2568.84 (15.01)	3087.09(16)
5-7	6,766.17 (43.07)	7991.73 (46.70)	8146.89(44)
7 तथा इससे ऊपर			

तालिका-1.17: ऋण धारणीयता: सूचक एवं पूर्वनिर्धारित

हेतु इन सूचकों के अनुसार राज्य की ऋण धारणीयता का विश्लेषण करती है। सरकार की ऋण धारणीयता का निर्धारण करता है। तालिका 1.17 2008-11 से आरम्भ तीन वर्षों की अवधि ब्याज भुगतानों द्वारा परिमित) और राज्य सरकार की प्रतिपूर्तियों की परिपक्वता रूपरेखा के अनुसार राज्य पर्यायता; उधार निधियों की निवल उपलब्धता; ब्याज भुगतानों का भार (राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के प्रति

वर्ष 1.10 तथा 1.11 से उद्घाटित होता है कि समस्त राजस्व, राजकोषीय तथा प्राथमिक लेखाओं में चालू वर्ष के दौरान भारी घाटे की स्थिति देखने को मिली। 2006-07 से 2007-08 में राजस्व अधिशेष स्थिति से राज्य की 2008-09 में ₹130 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ जो आगे बढ़कर 2009-10 में ₹805 करोड़ हो गया जो 519 प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है और यह पूर्ववर्ति चालू वर्ष में भी जारी रही जिससे राजस्व घाटा बढ़कर ₹1235 करोड़ (53.41 प्रतिशत) हो गया। कर-पिन राजस्व में ₹89 करोड़ की कमी हुई जबकि कर राजस्व में ₹1069 करोड़ तक वृद्धि हुई, संघीय करों/शुल्कों के भाग में ₹853 करोड़ की वृद्धि थी तथा भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान में विगत वर्ष की तुलना में ₹532 करोड़ की वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप 2010-11 के दौरान राजस्व प्राप्ति में ₹2,365 करोड़ की शीर्ष वृद्धि लेखाबद्ध हुई। प्राप्ति में



घाटे-1.11: सकल राजस्व घरेलू उत्पाद से समाविष्ट घाटे के सूचकांक की प्रवृत्तियाँ (सकल राजस्व घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में आंकड़े)

घाटे-1.10: घाटे के सूचकांक की प्रवृत्तियाँ (₹ करोड़ में)

घाटे 1.10 तथा 1.11 2006-11 की अवधि में घाटे के सूचकांक की प्रवृत्ति को प्रदर्शित करते हैं:

1.9.1 घाटे की प्रवृत्तियाँ

एवं राजकोषीय घाटों के वार्षिक स्तरों का निरूपण भी प्रदर्शित करता है। उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम/नियमावली के अंतर्गत निर्धारित किए गए लक्ष्यों की तुलना में राजस्व माफा तथा वित्तीय व्यवस्था के तरीके को प्रदर्शित करता है तथा वित्तीय वर्ष 2010-11 हेतु राजकोषीय उपयोग किया जाता है, इसकी वित्तीय स्थिति के महत्वपूर्ण सूचक हैं। यह प्रवर्ग इन घाटों की प्रवृत्ति, प्रकृति, सूचक है। इसके अतिरिक्त, जिस ढंग से घाटे का वित्त प्रबन्धन किया जाता है तथा जुटाए गए संसाधनों का व्यय के मध्य अनुदान को प्रदर्शित करता है। घाटे की प्रकृति सरकार के राजकोषीय प्रबन्धन के विवेक का वित्त में समग्र राजकोषीय असंतुलन की सीमा को दर्शाता है। सरकारी लेखों में घाटा इसकी प्राप्ति एवं तीन मूल राजकोषीय पैरामीटर-राजस्व, राजकोषीय एवं प्राथमिक घाटा-विशेष अवधि के दौरान राज्य सरकार के

1.9 राजकोषीय असंतुलन

5 वृक समायोजन के रूप में ₹699.96 करोड़ की राशि समायोजित है।

गालिका 1.18 से पता चलता है कि राज्य की राजकोषीय स्थिति 2008-09, 2009-10 एवं 2010-11 के दौरान भारी घाटे में फंस गई। 2010-11 के दौरान ₹2,532 करोड़ का राजकोषीय घाटा मुख्यतः बाजार से उधारों (₹389 करोड़), लघु बचतों, भाव्य निधियों आदि (₹888 करोड़), एनएसएसएफ को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियों (₹650 करोड़), वितीय संस्थाओं से ऋण (₹526 करोड़) और निक्षेप एवं अग्रिम (₹333 करोड़) के कारण था। 2010-11 के दौरान बाजार उधार, वितीय संस्थाओं से ऋण तथा लघु बचतों, भाव्य निधियों आदि ने मिलकर घाटे का 70 प्रतिशत अंशदान किया जो भाव्य में ब्याज भार में वृद्धि करेगा।

विवरण	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
राजकोषीय घाटे का अपघटन					
1 राजस्व घाटा	(+) 191	(+) 850	(-) 130	(-) 805	(-) 1235
2 पूंजीगत व्यय	1,110	1,414	2,079	1,943	1,789
3 निवल ऋण व अग्रिम	(-) 3	(-) 12	69	36	154
राजकोषीय घाटे की वितीय व्यवस्था *	(-) 0.01	(0.04)	(0.19)	(0.09)	(0.29)
1 बाजार ऋण	467	1,322	1,752	1,177	389
2 भारत सरकार से ऋण	(-) 91	(-) 5	(-) 44	13	(-) 23
3 एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	670	134	60	396	650
4 वितीय संस्थानों से ऋण	(-) 309	(-) 599	(-) 406	78	526
5 लघु बचतों, भाव्य निधियों आदि	322	540	515	546	888
6 निक्षेप एवं अग्रिम	(-) 500	(-) 366	217	265	333
7 उचल एवं विविध	(-) 7	2	53	117	137
8 प्रेषण	73	50	(-) 2	75	48
9 अन्य	297	(-) 526	151	117	(-) 416
10 समय अविशेष/घाटा	(-) 922	(-) 552	(-) 2,278	(-) 2,278	(-) 2,532
* वर्ष के दौरान संवितरणों/बहिर्गमनों से समायोजित से सभी निवल आंकड़े हैं।					

(₹ करोड़ में)

गालिका-1.18: राजकोषीय घाटा एवं उसकी वितीय व्यवस्था के घटक

किया गया है।

राजकोषीय घाटा के वितीय व्यवस्था में संयोजनात्मक अंतरण हुआ है जैसा कि गालिका 1.18 में प्रतिबिम्बित

1.9.2 राजकोषीय घाटा एवं उसकी वितीय व्यवस्था के घटक

के दौरान राजस्व घाटा तथा राजकोषीय घाटा सकल राज्य धरने उत्पाद का 2.36 तथा 4.83 प्रतिशत था। ₹582 करोड़ ही गया, जिसमें 30 प्रतिशत की कमी हुई। ब्याज अदायगियों में ₹ छ: करोड़ की कमी हुई। वर्ष तक होने से ₹252 करोड़ की कमी हुई। 2009-10 में ₹828 करोड़ का प्राथमिक घाटा 2010-11 में घटकर गया। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय घाटा 2009-10 में ₹2,784 करोड़ से 2010-11 के दौरान ₹2,532 करोड़ के प्रति राजस्व व्यय में ₹2,795 करोड़ (25 प्रतिशत) की वृद्धि हुई जो राजस्व घाटे की वृद्धि की ओर ले

1.9.3 घाटे/अधिशेष की गुणवत्ता

राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का अनुपात तथा राजस्व व पूंजीगत व्यय (ऋणों एवं अग्रिमों सहित) राज्य के वित्त में घाटे की गुणवत्ता को दर्शाता है। राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे के प्रति अनुपात उस सीमा को सूचित करता है जिसके लिए चालू उपभोग हेतु उधार निधियों का उपयोग किया गया है। इसके अतिरिक्त, राजकोषीय घाटे के प्रति राजस्व घाटे का निरन्तर उच्च अनुपात भी सूचित करता है कि राज्य का परिसम्पत्ति आधार भी लगातार संकुचित हो रहा था तथा उधारों का भाग (राजकोषीय देयताएं) किसी परिसम्पत्ति का समर्थन नहीं रखता था। प्राथमिक घाटे का विभाजन (तालिका-1.19) उस सीमा को सूचित करेगा जिसके लिए पूंजीगत व्यय में वृद्धि के सम्बन्ध में घाटा हो रहा है जो राज्य की अर्थव्यवस्था की उत्पादकता क्षमता का सुधार करने में वांछनीय हो सकता है।

तालिका-1.19: प्राथमिक घाटा/अधिशेष-कारकों का विभाजन

वर्ष	गैर-ऋण प्राप्तियां	प्राथमिक राजस्व व्यय	पूंजीगत व्यय	ऋण व अग्रिम	कुल प्राथमिक व्यय	प्राथमिक राजस्व अधिशेष	प्राथमिक घाटा (-)/ अधिशेष (+)
1	2	3	4	5	6 (3+4+5)	7 (2-3)	8 (2-6)
2006-07	7,858	5,975	1,110	26	7,111	1883	747
2007-08	9,168	6,589	1,414	14	8,017	2579	1,151
2008-09	9,329	7,544	2,079	90	9,713	1785	(-) 384
2009-10	10380	9195	1943	70	11208	1185	(-) 828
2010-11	13430	11996	1789	227	14012	1434	(-)582

- वर्ष 2006-07 से आगे राज्य की गैर-ऋण प्राप्तियां प्राथमिक राजस्व व्यय से उच्चतर थी जो इस व्यय हेतु पर्याप्त थी। वर्ष 2007-08 से प्राथमिक राजस्व व्यय की तुलना में गैर-ऋण प्राप्तियां 2007-08 में ₹2,579 करोड़ से निरन्तर गिरकर 2009-10 में ₹1,185 करोड़ हो गई परन्तु 2010-11 में ₹249 करोड़ की वृद्धि दर्ज की।
- कुल प्राथमिक व्यय में 2006-11 की अवधि के दौरान ₹7111 करोड़ से ₹14012 करोड़ होने से ₹6901 करोड़ की वृद्धि हुई जो प्राथमिक राजस्व व्यय 2006-07 में ₹5975 करोड़ से 2010-11 में ₹11996 करोड़ होने पर ₹6,021 करोड़ तथा पूंजीगत व्यय में 2006-07 में ₹1110 करोड़ से 2010-11 में ₹1789 करोड़ होने पर ₹679 करोड़ की वृद्धि के कारण थी।
- वर्ष 2006-08 की अवधि के दौरान राज्य के पास प्राथमिक अधिशेष था किन्तु यह 2008-09 में ₹384 करोड़ के घाटे में चला गया जो पुनः 2009-10 में बढ़कर ₹828 करोड़ हो गया परन्तु 2010-11 के दौरान सुधार हुआ है। वर्ष 2010-11 के दौरान प्राथमिक घाटा मुख्यतः एक ओर पूर्व वर्ष की तुलना में ₹89 करोड़ (पांच प्रतिशत) तक की कर-भिन्न राजस्व में गिरावट तथा दूसरी ओर पूर्व वर्ष की तुलना में ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण में महत्वपूर्ण वृद्धि अर्थात् ₹157 करोड़ (224 प्रतिशत) के कारण था। वर्ष 2010-11 के दौरान राजस्व घाटे में वृद्धि का कारण महंगाई भत्ते तथा संशोधित वेतन का भुगतान था।

5 एक समाधान के रूप में ₹699.96 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

राजकोषीय शुद्धि को वापसी: राज्य ने वर्ष 2010-11 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन अधिनियम/तेरहवें विन आयोग में यथा निर्धारित आठ लक्ष्यों में से तीन प्राप्त कर लिये थे। राजकोषीय शुद्धि पक्ष को वापसी की पर्याप्त सम्भावना है यदि कर अनुपालना में वृद्धि, कर संचालन लागतों को कम करने, राजस्व बकायों का संग्रहण तथा अनुपादक व्यय की काट-छांट करने के प्रयास किए जाते हैं तो घाटे को कम किया है।

राज्य सरकार ने कार्यावाही के पश्चात् एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् भी निधियों की अभी तक स्थापित नहीं बँक के साथ गारंटी विमोचन तथा समिकत निक्षेप निधियों की स्थापित करने की सिफारिश की थी। तथापि, बारहवें विन आयोग ने 2005-10 की कार्यावाही के दौरान दायित्वों के प्रभाव को कम करने हेतु भारतीय रिजर्व को के लिए अपूर्ण परियोजनाओं को शीघ्र पूर्ण करने हेतु प्रयास किए जाने की आवश्यकता है।

31 मार्च 2011 को 11 अपूर्ण परियोजनाएँ थी जिनमें ₹86 करोड़ का अवरोधन हुआ। समय व लागत वृद्धि को मानकों से उच्चतर था।

राजकोषीय दायित्व पूर्व वर्ष की तुलना में 11 प्रतिशत तक बढ़ गए। राजकोषीय दायित्व सकल राज्य धरेल उत्पाद के 50 प्रतिशत अनुपात की तुलना में तेरहवें विन आयोग द्वारा की गई सिफारिश के 49.7 प्रतिशत के (₹4,591 करोड़) में किये गये प्रक्षेपणों से अधिक था।

चालू वर्ष के दौरान वेतन व्यय मध्यावधि राजकोषीय योजना विवरणी (₹4,455 करोड़) तथा बजट प्राकल्पन की वृद्धि हुई जबकि पूर्व वर्ष की तुलना में पूर्णता व्यय में आठ प्रतिशत (₹154 करोड़) की कमी हुई।

व्यय राजस्व व्यय का 88 प्रतिशत संघटित हुआ। योजनागत राजस्व व्यय में पूर्व वर्ष की तुलना में 33 प्रतिशत वर्ष 2010-11 के दौरान राजस्व व्यय कुल व्यय का 87 प्रतिशत संघटित हुआ जबकि गैर-योजनागत राजस्व लक्ष्य के प्रति 2010-11 में 4.83 प्रतिशत था।

प्रतिशतता के रूप में राजकोषीय घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजटीय प्रबन्धन अधिनियम के 3.5 प्रतिशत ₹828 करोड़ से 2010-11 में ₹582 करोड़ होने पर ₹246 करोड़ कम हुआ। सकल राज्य धरेल उत्पाद की वृद्धि के परिणामस्वरूप 2010-11 में ₹2532 करोड़ का राजकोषीय घाटा हुआ। प्राथमिक घाटा 2009-10 में पूर्णता व्यय में कमी तथा निवल ऋण एवं अग्रिमों के संवितरण में वृद्धि को जोड़ने के साथ राजस्व घाटे में ₹1235 करोड़ की वृद्धि हुई।

25 प्रतिशत ही गई। इसके परिणामस्वरूप राजस्व घाटे में वर्ष 2009-10 के दौरान ₹805 करोड़ की तुलना में ग्राह्यता (₹12711 करोड़) केवल 23 प्रतिशत बढ़ी जबकि राजस्व व्यय (₹13946 करोड़) की वृद्धि दर राज्य की राजकोषीय स्थिति से उद्घाटित हुआ कि वर्ष के दौरान पूर्व वर्ष की तुलना में राज्य की राजस्व मूल राजकोषीय पैरामीटरों अर्थात् राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा तथा प्राथमिक घाटा के सम्बन्ध में अवसिकृत

1.10 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

राजकोषीय शीर्षक है। पहल: राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम नं 2010-11 तक सकल राज्य धरल उत्पन्न का 49.70 प्रतिशत के अन्दर सममित श्रेण (गारंटियाँ सहित) को प्राप्त करने के लिए लक्ष्य की सिफारिश की थी जो राज्य सिफारिशों के अनुसार लक्ष्य को प्राप्त करने में असमर्थ रहा है और इसका सममित श्रेण 31 मार्च 2011 को सकल राज्य धरल उत्पन्न का 58 प्रतिशत रहा। अतः राज्य सरकार को अपने कार्यकलापों को बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि कम से कम राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम द्वारा निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके।

बृहत्तर मूल्य को सुनिश्चित करना चाहिए। उच्च लागत उधारों को बचाने के लिए किया जाना मूल्यवान हो, की पहचान करते हुए निवेशों में धन के लिए कम्पनियों/निगमों, जो कम वित्तीय परन्तु उच्च सामाजिक-आर्थिक प्रतिक्रिया से सम्पन्न तथा तकसंगत हो यदि में स्थापित की जानी चाहिए जिससे लाभ प्राप्त और सेवा में दक्षता सुधार हो सके। सरकार को सरकारी निवेशों की समीक्षा: उत्तरदायित्व की निष्पादन आधारित प्रणाली सरकारी कम्पनियों/सांविधिक निगमों किया जा सके।

अनुश्रवण तंत्र होना चाहिए ताकि धन के लिए मूल्य को अधिकृत लाभार्थियों को इसकी सम्पूर्णा में बचाने के लिए करने और सरकारी धन की प्रयुक्ति कैसे विवेकपूर्ण रूप से की जा रही है, पर निगरानी रखने हेतु एक वृद्धि हुई है जबकि पूंजीगत व्यय में ₹154 करोड़ तक की कमी हुई। प्रभावी बजटीय प्रणाली को सुनिश्चित सामाजिक सेवाओं में सुधार का सूचक है। यद्यपि 2010-11 के दौरान पूर्व वर्ष की तुलना में निवेश में आंशिक पूंजीगत व्यय को उच्च प्राथमिकता न देना: पूंजीगत व्यय में बढ़ती प्रवृत्ति आर्थिक सेवाओं के साथ-साथ सरकार के उत्तरदायित्व को निर्धारित करने के लिए इन निधियों की प्रयुक्ति सत्यापित की जानी है।

भारत सरकार द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अंतरित निधियाँ: भारत सरकार ने राज्य कार्यन्वयन एजेंसियों को का अनुश्रवण करने के लिए कोई भी एजेंसी नहीं थी और इसलिए लेखापरीक्षा द्वारा इन निधियों हेतु राज्य ₹24,348 करोड़ से ₹25,700 करोड़ की वृद्धि हुई। भारत सरकार से प्रत्यक्ष रूप से निधियों की प्राप्ति/अंतरण ₹1352 करोड़ का प्रत्यक्ष रूप से अंतरण किया। इस प्रकार, राज्य संसाधनों की कुल उपलब्धता में

सरकार से उधार निधियों के आश्रय को कम किया जा सके। किया जा सकता है। कर-भिन राजस्व के संग्रहण में सुधार करने के प्रयास भी किए जाने चाहिए ताकि भारत

अध्याय-2
वित्तीय प्रबंधन एवं
बजटीय नियंत्रण

बचतों के लिए कारण प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2011)।

कमांक	अनुदान संख्या व नाम	मूल	अनुपूर्वक	जोड़	वास्तविक व्यय	बचत
राजस्व-प्रभातित						
1.	29-विन	22321996	6	22322002	19497748	2824254 अथवा ₹282.43 करोड़
पूँजीगत-प्रभातित						
2.	29-विन	10260389	1	10260390	8696449	1563941 अथवा ₹156.39 करोड़
		32582385	7	32582392	28194197	4388195 अथवा ₹438.82 करोड़

(₹ हजार में)

तालिका-2.2: ₹150 करोड़ से अधिक की बचतों सहित अनुदानों/विनियोजनों की सूची

बैसा कि तालिका-2.2 में दर्शाया है।
₹438.82 करोड़ (66 प्रतिशत) की पर्याप्त बचतें हुईं जहाँ बचत प्रत्येक मामले में ₹150 करोड़ से अधिक थी (पारिशिष्ट-2.1)। ₹663.83 करोड़ की कुल बचतों में से दो विनियोजनों से सम्बन्धित मात्र दो मामलों में ₹ एक करोड़ तक बचतें हुईं तथा पांच मामलों में कुल प्रवधान के 20 प्रतिशत से अधिक रही विनियोजन लेखापरीक्षा के परिणाम से उद्घाटित हुआ कि 20 मामलों में बचतें प्रत्येक मामले में

2.3.1 आवंटित अग्रताओं की तुलना में विनियोजन

2.3 विनियोजन उन्मूलन एवं बचत प्रबंधन

में विनियोजन हेतु स्पष्टीकरण सितम्बर 2011 तक प्रतीक्षित थे।
थ (जुलाई 2011)। इसमें से 411 उप-शीर्षों (बचत: 168 उप-शीर्षों; आधिक्य: 243 उप-शीर्षों) के सम्बन्ध में सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारियों से 1,040 उप-शीर्षों के सम्बन्ध में बचतों/आधिक्य के लिए कारण मांगे गये (राजस्व-दत्तमत) तथा जनजातीय विकास (राजस्व-दत्तमत) में पाया गया।

(दोनों राजस्व एवं पूँजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत-दत्तमत), विद्युत विकास (राजस्व-दत्तमत), विनियोजन (राजस्व-दत्तमत), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण (राजस्व-दत्तमत), सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता अनुदानों/विनियोजनों के प्रति आवंटनों की तुलना में महत्वपूर्ण आधिक्य व्यय क्रमशः भू-राजस्व एवं विनियोजन (दोनों राजस्व एवं पूँजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत-प्रभातित) में पाड़े गईं। इसी प्रकार वर्ष 2010-11 के दौरान नगरिक आपूर्ति (राजस्व-दत्तमत), शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवासीय (राजस्व-दत्तमत) तथा एवं पूँजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत-दत्तमत), योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप योजना (पूँजीगत-दत्तमत), खाद्य एवं वर्ष के दौरान अनुदानों/विनियोजनों के प्रति ₹25 करोड़ से अधिक की महत्वपूर्ण बचतें शिक्षा (दोनों राजस्व के आधिक्य के फलस्वरूप थी।

तथा एक विनियोजन तथा पूँजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत पांच अनुदानों तथा एक विनियोजन में ₹2,237.63 करोड़ विनियोजन में ₹663.83 करोड़ की बचत द्वारा प्रतिबन्धित किया गया, राजस्व प्रवर्ग के अंतर्गत 19 अनुदानों राजस्व प्रवर्ग के अंतर्गत 13 अनुदानों व पांच विनियोजनों तथा पूँजीगत प्रवर्ग के अंतर्गत 20 अनुदानों व एक वर्ष 2010-11 के दौरान अनुदानों/विनियोजनों के अंतर्गत पाया गया ₹1,573.80 करोड़ का समग्र आधिक्य,

2.3.2 अधिक व्यय

18 मामलों में ₹10,839.60 करोड़ का कुल व्यय अनुमोदित प्रावधानों से प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक तथा कुल प्रावधान (चार मामले) के 20 प्रतिशत से अधिक रहा जिसके परिणामस्वरूप ₹2,233.53 करोड़ का अधिक व्यय हुआ। ब्यौरा **परिशिष्ट-2.2** में दिया गया है। विभागों से अधिक व्यय के लिए कारण प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2011)।

निम्नलिखित मामलों में गत पांच वर्षों में निरन्तर अधिक व्यय पाया गया जैसा कि **तालिका-2.3** में दर्शाया गया है:

तालिका-2.3: 2006-11 के दौरान निरन्तर अधिक व्यय को इंगित करने वाली अनुदानों की सूची

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	अधिक व्यय की राशि				
		2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
(₹ करोड़ में)						
राजस्व-दत्तमत						
1.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन	161.42	126.38	134.46	215.36	219.60
2.	14-पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	4.63	7.76	4.08	5.70	13.94

निरन्तर अधिक व्यय प्रदर्शित करता है कि विभागों में बजटीय नियंत्रण या तो प्रभावी नहीं थे अथवा उचित रूप से अनुपालन नहीं किया गया था तथा इस प्रकार एक सुदृढ़ वित्तीय प्रबन्धन के लिए इन शीर्षों के अंतर्गत निधियों की आवश्यकता का निर्धारण अधिक व्यय के ऐसे दृष्टांतों की पुनरावृत्ति से बचने हेतु अधिक यथार्थवादी होना चाहिए।

2.3.3 बिना प्रावधान के व्यय

बजट नियमावली के अनुसार निधियों के प्रावधान के बिना स्कीम/सेवा पर व्यय नहीं किया जाना चाहिए। तथापि, यह देखा गया कि मामलों में मूल आकलनों/अनुपूरक मांग में बिना किसी प्रावधान तथा इस आशय के बिना किसी पुनर्विनियोजन आदेशों के ₹736.31 करोड़ का व्यय किया गया जैसा कि **तालिका-2.4** में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका-2.4: 2010-11 के दौरान बिना प्रावधान के किया गया व्यय

अनुदानों/विनियोजनों की संख्या व नाम	बिना प्रावधान के व्यय राशि	टिप्पणियां
05-भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन- 2245/80/102/01	149.95	कारण प्रतीक्षित थे।
07-पुलिस तथा समवर्गी संगठन- 4055/211/03	0.31	कारण प्रतीक्षित थे।
13- सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता - (i) 4701/01/799/01 तथा 03 (ii) 4701/15/799/01, 02 तथा 03	0.18 0.60	कारण प्रतीक्षित थे।
23-विद्युत विकास- 4801/01/190/08	24.24	कारण प्रतीक्षित थे।

1	चक्रा, धर्मशाला, कल्याण तथा कडंजम।	
2	धर्मशाला तथा कल्याण।	
3	चक्रा: ₹1.14 करोड़; कल्याण: ₹1.09 करोड़; केरल-II: ₹ एक लाख; पालमपुर: ₹7.82 करोड़ तथा शिमला-II: ₹4.64 करोड़।	
4	विभिन्न संदर्भों के निर्माण/सुधार/मेटलिंग/टर्मिंग तथा प्रति-जननिकास कार्य: 14; स्नातक महाविद्यालय/विद्यालयी/परीक्षा केंद्रों के निर्माण/सुधार/आवासीय भवन/खाना गैराम/धाराबन्दी और चारदीवारी का निर्माण; पांच तथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम/इ-हॉर स्टेडियम/मिनी स्टेडियम/बाबा दल के लिए डबल सी स्नानागार का निर्माण; चार।	

(ii) 2010-11 के दौरान की गई पांच लोक निर्माण मण्डलों के अधिष्ठात्री अधिकृतियों की लेखापरीक्षा से उद्घोषित हुआ कि इन मण्डलों द्वारा 35 निक्षेप कार्यों के निष्पादनार्थ जुलाई 2001 व मार्च 2010 के मध्य विभिन्न विभागों/एजेंसियों से प्राप्त ₹14.70 करोड़ वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों की प्राप्ति (14 मामलों), कार्यस्थलों को न सौंपना (तीन मामलों), कार्यस्थलों की अनुपलब्धता (पांच मामलों), आकलन की त्रुटि न किना कार्यों के अन्तिम लेखा शीर्ष को दर्शाना नियमों के विपरीत था।

इस प्रकार वित्तीय वर्ष 2008-09 और 2009-10 में ₹16.59 करोड़ के व्यय की इसकी वास्तविक प्रत्यक्ष के फरवरी 2011)।

इसे इंगित किए जाने पर संबंधित अधिष्ठात्री अधिकृतियों ने तथ्यों की स्वीकार किया (अप्रैल 2010-15.06 करोड़ की शेष राशि निक्षेप के अंतर्गत अभी भी अप्रयुक्त पड़ी थी (मार्च 2011)।

अनुवर्ती वित्तीय वर्ष 2009-10 और 2010-11 के दौरान ₹1.53 करोड़ का व्यय किया गया था तथा यह आगे देखा गया कि ₹16.59 करोड़ की राशि में से जो निक्षेप के अंतर्गत रखी गई थी, वे मण्डलों द्वारा आगे अंतर्गत किया तथा राशि को अंतर्गत रखा गया।

व्यय के रूप में दिखाया गया। मण्डलों ने उनके नियंत्रणाधीन उप-मण्डलों को ₹16.59 करोड़ की इस राशि को मार्च 2009 (₹11.26 करोड़) तथा मार्च 2010 (₹5.33 करोड़) में आहरित की गई और लेखों में इसे अंतिम किए गए (मार्च 2009 और मार्च 2010)। अधिष्ठात्री अधिकृतियों द्वारा ₹16.59 करोड़ की समस्त राशि की मरम्मत व अनुसंधान हेतु सम्बन्धित अधिष्ठात्री अधिकृतियों द्वारा साख पत्रों के माध्यम से ₹16.59 करोड़ जारी फरवरी 2011) कि वित्तीय वर्ष 2008-09 और 2009-10 के अंत में भवन, पुल के निर्माण तथा 14 संदर्भों चार लोक निर्माण मण्डलों के अधिभूतियों की संवीक्षा से उद्घोषित हुआ (अप्रैल 2010-प्रत्यक्ष की गई):

निर्दिष्ट उद्देश्यों हेतु पूर्णतः खर्च की गई और न ही वित्तीय वर्ष 2010-11 के समापन से पूर्व खजाना में जाना चाहिए जब तक तत्काल वित्तपोषण आवश्यक न हो। निम्नवर्त मामलों के सम्बन्ध में आहरित राशियां न तो विभावल प्रदेश खजाना नियमावली के नियम 5.71 (सी)(5) के अनुसार खजाने से धन का आहरण नहीं किया

2.3.4 बजट अनुदान होने से बचाने हेतु निधियों का आहरण

क्र.सं.	वर्ष	राशि
29-वित्त-	(i) 2049/01/101/20, 55, 61, 65-67 तथा 70-78	146.48
	(ii) 2049/01/122/01	414.41
	(iii) 2049/60/101/01	0.04
	(iv) 7610/202/04	0.10
		736.31
	कारण प्रतीक्षित है।	

करना (दो मामले), कोडल औपचारिकताओं जैसे निविदाओं का आमंत्रण आदि को अंतिम रूप न देना (आठ मामले), कार्यस्थल विवाद (दो मामले) और उपयुक्त कार्यस्थल को अंतिम रूप न देना (एक मामला) जैसे कारणों से कार्य आरम्भ न होने के कारण अप्रयुक्त रहे।

लेखापरीक्षा में इसे इंगित किये जाने पर सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ताओं ने तथ्यों को स्वीकार किया (अप्रैल 2010-फरवरी 2011)। इस प्रकार सम्बन्धित मण्डलों द्वारा पूर्व-अपेक्षित औपचारिकताओं को सुनिश्चित किए बिना तथा अवसंरचना हेतु संस्वीकृत कार्यों के निष्पादनार्थ अपेक्षित कार्यस्थलों तथा भूमि आदि की उपलब्धता के बिना विभिन्न विभागों/एजेंसियों से निक्षेप शीर्ष के अन्तर्गत अप्रयुक्त पड़ी निधियों को प्राप्त किया गया था।

इस प्रकार ₹14.70 करोड़ की निक्षेप राशि एक तथा 11 वर्षों के मध्य अवधियों हेतु अप्रयुक्त रही तथा जिस उद्देश्य के लिए निधियां संस्वीकृत की गई थी, वह पूरा नहीं हो सका।

2.3.5 विगत वर्षों से सम्बन्धित प्रावधानों के अतिरिक्त आधिक्य जिसका नियमन करना अपेक्षित

भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अनुसार राज्य सरकार को राज्य विधानसभा से अनुदान/विनियोजन के अतिरिक्त आधिक्य को नियमित करवाना अनिवार्य है। यद्यपि अनुच्छेद के अंतर्गत व्यय नियमनार्थ कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, परन्तु व्यय के आधिक्य का नियमन लोक लेखा समिति द्वारा विनियोजन लेखे पर चर्चा पूर्ण होने के पश्चात् किया जाता है। तथापि, 2008-2010 वर्षों हेतु ₹1,444.32 करोड़ की राशि के व्यय आधिक्य का नियमन अभी किया जाना था जिसका ब्यौरा परिशिष्ट-2.3 में दिया गया है। नियमन के लिए लम्बित आधिक्य व्यय की वर्षवार राशि नीचे सारांशित की गई है।

तालिका-2.5: विगत वर्षों से सम्बन्धित प्रावधानों के अतिरिक्त आधिक्य जिसका नियमन करना अपेक्षित

वर्ष	निम्नांकित की संख्या अनुदानों	प्रावधान के अतिरिक्त विनियोजनों	आधिक्य राशि	नियमन स्थिति
2008-09	11	3	556.52	लेखापरीक्षा टिप्पणियां वित्त विभाग/हिमाचल प्रदेश विधानसभा को भेज दी गई। लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन पर अभी चर्चा की जानी है।
2009-10	19 (21 मामले)	1	887.80	वित्त विभाग से स्वयंमेव उत्तर अभी भी प्रतीक्षित है। लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन पर अभी चर्चा की जानी है।
योग			1,444.32	

2.3.6 वर्ष 2010-11 के दौरान प्रावधान के अतिरिक्त आधिक्य जिसका नियमन करना अपेक्षित

2010-11 के दौरान परिशिष्ट-2.4 में दिए गए विवरण के अनुसार विधानमंडल द्वारा प्राधिकृत अनुदान/विनियोजन की तुलना में 26 अनुदानों/विनियोजनों में कुल ₹2237.64 करोड़ का अधिक व्यय किया गया।

संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत अधिक व्यय का विनियमन करना अपेक्षित है।

शाल प्रशिक्षण अस्पताल सौभागिनगर था।
(66 प्रशिक्षण) का अस्पताल किया गया जिसमें सात स्कीमों (₹53.87 करोड़) (प्राशिक्षण-2.9) में अस्पताल किया गया। इन 19 स्कीमों में ₹386.10 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹253.78 करोड़ (प्राशिक्षण-2.8) के सम्बन्ध में पर्याप्त अस्पताल (मामले जहाँ कुल प्रावधान का 50 प्रशिक्षण से अधिक स्कीमों/कार्यक्रमों का या तो कार्यान्वयन न करने अथवा धीमे कार्यान्वयन से 19 उप-शीर्षों

2.3.10 पर्याप्त अस्पताल

“किराया, दरों व कर बिलों की अधिक/कम प्राप्ति” सामान्य प्रकृति के थे।
“संचालन”, “दैनिक भौगिक स्टाफ की अधिक/कम नियुक्ति”, “स्टाफ द्वारा अधिक/कम दौरा करना” तथा 26 प्रशिक्षण) के सम्बन्ध में ऐसे पुनर्विनिर्माण हेतु दिए गए कारण जैसे “प्रशिक्षण कार्यक्रमों का कम हुआ कि 999 मई जहाँ पुनर्विनिर्माण मांगा गया था, (विनिर्माण लेख/आदेशों में बताई गई 3,897 मई में से और यह क्यों आवश्यक था। तथापि, वित्त विभाग द्वारा जारी पुनर्विनिर्माण के आदेशों की संवीक्षा से उद्घाटित यात्रा भत्ता का अनुमान नहीं लगाया जा सका तथा इसकी लागत को वहन करने हेतु प्रावधान नहीं किया गया इसके अतिरिक्त, यदि “यात्रा भत्ता” के अंतर्गत आधिक्य होते हैं तो यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्यों अतिरिक्त अनावश्यक अथवा अपर्याप्त सिद्ध हुआ”, आदि जैसे अस्पष्ट शब्दों के वाक्यांशों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। को पुनर्विनिर्माण विवरणों में स्पष्ट किया जाना चाहिए तथा “अतिप्राक्कलन के कारण”, “पुनर्विनिर्माण विभाजन प्रदेश बजट नियमावली के परिच्छेद 13.3 (ख) के अनुसार अतिरिक्त व्यय तथा बचतों हेतु कारणों

2.3.9 अस्पष्ट पुनर्विनिर्माण

नहीं किया जा सका।
गया था, सूचित करता है कि निधियों को सम्बन्धित स्कीमों के अंतर्गत आकलित व योजनाबद्ध के अनुसार खर्च चार मामलों में पाई गई ₹100 करोड़ और इससे अधिक की पर्याप्त बचतों/आधिक्य जहाँ पुनर्विनिर्माण किया 55 उप-शीर्षों में आधिक्य/बचत ₹ दो करोड़ से अधिक की थी जिसका ब्यौरा प्राशिक्षण-2.7 में दिया गया है।

सिद्ध हुआ जिसके परिणामस्वरूप 211 उप-शीर्षों में ₹10 लाख से अधिक की बचतों/आधिक्य हुआ। इनमें से की आवश्यकता है, अनुदान के भीतर निधियों का अंतरण है। अतिरिक्त पुनर्विनिर्माण अधिक अथवा अपर्याप्त पुनर्विनिर्माण, विनिर्माण की एक इकाई से जहाँ बचत प्रत्याशित है, दूसरी इकाई को जहाँ अतिरिक्त निधियों

2.3.8 निधियों की अधिक/अनावश्यक पुनर्विनिर्माण

न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा खर्च किए गए।
को छोड़ते हुए अपर्याप्त सिद्ध हुआ। अनावृत आधिक्य में से ₹631.76 करोड़ (32 प्रशिक्षण) अकेले सामाजिक ₹469.36 करोड़ का अनुपूर्क प्रावधान ₹1993.12 करोड़ (प्राशिक्षण-2.6) के कुल अनावृत आधिक्य व्यय प्राशिक्षण-2.5 में दिया गया है। 12 मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक) प्राव अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय मूल प्रावधान के स्तर से ऊपर नहीं आया जिसका ब्यौरा वर्ष के दौरान तीन मामलों में, प्रत्येक मामले में ₹10 लाख से अधिक, प्राव समय ₹3.72 करोड़ का अनुपूर्क

2.3.7 अनावश्यक/अपर्याप्त अनुपूर्क प्रावधान

हिमाचल प्रदेश बजट नियमावली (अध्याय 11 का परिच्छेद 11.2) के अनुसार सभी बतों, जब कभी प्रत्याशित हों, व्यय करने वाले विभाग द्वारा 15 जनवरी तक विवरणों को अवश्य अपूर्णित की जानी चाहिए। तथापि, यह देखा गया है कि निम्नलिखित अनुदानों में ₹174.88 करोड़ की कुल बतों में से केवल ₹148.02 करोड़

2.3.12 प्रत्याशित बतों का अपूर्णता न करना

अधिक में अपूर्णता के लिए कारण प्रतीक्षित थे (सितम्बर 2011)।

परिणामस्वरूप ₹12.71 करोड़ का अधिक अपूर्णता हुआ। ज्यों ही **परिशिष्ट-2.10** में दिया गया है। बतों से इन मामलों में पाई गई ₹327.42 करोड़ की बतों के प्रति अपूर्णता राशि ₹340.13 करोड़ थी जिसके अधिक थी जो इन विभागों में बजटीय नियंत्रण की कमी अथवा अपूर्ण बजटीय नियंत्रण को इंगित करता है। पाई राशि (प्रत्येक मामले में ₹50 लाख अथवा अधिक) सम्बन्धित शीर्षों के प्रति पाई गई वास्तविक बतों से वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए अपूर्णता आदेश की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि नौ मामलों में अपूर्णता की

2.3.11 वास्तविक बतों से अधिक अपूर्णता

मार्च 2011 के अंतिम कार्य दिवस पर निधियों का अपूर्णता अपूर्ण वित्तीय नियंत्रण को दर्शाता है जो आवश्यकता वाले क्षेत्रों में अन्य विकासगत उद्देश्यों हेतु निधियों की अग्रयुक्ति की ओर आसुर करता है।

क्रमांक	अनुदान	मुख्य शीर्ष	अपूर्णता की कुल प्राप्ति	राशि की प्रतिशतता
1.	03	2014-स्वायं प्रशासन	15.67	16
2.	08	2202-सामान्य शिक्षा	33.05	1
3.	08	4202-शिक्षा, क्रीडा, कला और संस्कृति पर पूंजीगत परियोजना	30.57	23
4.	13	4711-बाह्य नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परियोजना	12.82	3
5.	15	5002-भारतीय रेलवे वाणिज्यिक लाइनों पर पूंजीगत परियोजना	25.00	15
6.	22	2408-खास संग्रहण एवं गोदाम	22.50	19
7.	25	5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परियोजना	15.32	46
8.	28	2217-शहरी विकास	25.93	22
9.	29	2049-ब्याज अदायगी	288.11	13
10.	29	6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण	146.70	14
			615.67	

(₹ करोड़ में)

तालिका-2.6: 31 मार्च 2011 को ₹10 करोड़ से अधिक वाले निधियों के अपूर्णता के मामले

तालिका-2.6 में दिया गया है:

31 मार्च 2011 को ₹10 करोड़ से अधिक के अपूर्णता के मामले भी थे। ऐसे मामलों का ज्यों ही नीचे

अभ्यर्पित की गई जिसके परिणामस्वरूप ₹26.86 करोड़ (15 प्रतिशत) का अभ्यर्पण नहीं हुआ जैसा कि तालिका 2.7 में ब्यौरा दिया गया है।

तालिका-2.7: अभ्यर्पित न की गई ₹ एक करोड़ और उससे अधिक की बचत से सम्बन्धित मामले

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	बचत	अभ्यर्पण	बचत जो अभ्यर्पित नहीं की गई
1.	29-वित्त	156.39	146.70	9.69
2.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	18.49	1.32	17.17
	योग	174.88	148.02	26.86

2.3.13 व्यय का तीव्र प्रवाह

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के अनुसार विशेष रूप से वित्तीय वर्ष के समापन मास में व्यय के तीव्र प्रवाह से बचना चाहिए। इसके विपरीत परिशिष्ट-2.11 में सूचीबद्ध 24 उप-शीर्षों के सम्बन्ध में ₹10 करोड़ से अधिक का व्यय तथा वर्ष हेतु कुल व्यय का 50 प्रतिशत से भी अधिक मार्च 2011 के मास में खर्च किया गया। तालिका-2.8 मुख्य शीर्षों को दर्शाती है जहां व्यय 50 प्रतिशत से अधिक या तो वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही अथवा अंतिम मास के दौरान किया गया।

तालिका-2.8: वित्तीय वर्ष 2010-11 के अंत में व्यय के तीव्र प्रवाह के मामले

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	मुख्य शीर्ष (दत्तमत)	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2011 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1.	2059 (बी)	157.85	102.95	65	65.02	41
2.	2217 (बी)	85.97	45.98	53	42.96	50
3.	2225 (बी)	61.39	32.89	54	27.32	45
4.	2402 (बी)	50.33	30.53	61	25.13	50
5.	2425 (बी)	26.64	15.17	57	11.70	44
6.	2851 (बी)	37.97	24.63	65	20.35	54
7.	4059 (बी)	42.81	30.97	72	26.16	61
8.	4202 (बी)	192.00	102.66	53	76.09	40
9.	4701 (बी)	33.73	21.23	63	18.43	55
10.	4702 (बी)	118.28	75.30	64	71.58	61
11.	4711 (बी)	119.54	70.86	59	50.00	42
	योग	926.51	553.17	60	434.74	47

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

निक्षेप लेखा नहीं खोला गया। 31 मार्च 2011 तक इन लेखों में पड़े शेष की स्थिति निम्नवत है:

अंतर्गत दो व्यक्तियों निक्षेप लेख वर्ष के दौरान बन्द किए गए। वर्ष 2010-11 के दौरान कोई नया व्यक्तियों 14 जिला खजानों में 134 व्यक्तियों निक्षेप लेखों का परिचालन किया जा रहा था। इनमें से ₹0.92 लाख से महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कायलिय से प्राप्त सूचना से उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2010-11 के आरम्भ में सम्बन्ध सेवा शीर्षों को शेष के माइनस डेबिट द्वारा विलीय वर्ष के अन्त में बन्द किया जाना चाहिए।

व्यक्तियों निक्षेप लेखों को समकित निधि को डेबिट द्वारा संचित किया जाता है और उसे समकित निधि में

2.5 व्यक्तियों निक्षेप लेखों का परिचालन

आवश्यकता है।

समायोजन न होने से दुर्निर्णयान का जोखिम बना रहता है और इनका खानपूर्वक अनुश्रवण किए जाने की सार आकस्मिक बिलों के आहरण पश्चात् दीर्घावधियों हेतु विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का से वाउचर्स/व्यय के विस्तृत लेखों की प्राप्ति न होना था।

था। बकाया सार आकस्मिक बिलों का समायोजन न होने का कारण सम्बन्धित विभागों के विभिन्न कार्यकर्ताओं विशेष पृषण कार्यक्रम मर्दों की खरीद, पुर्रोल, लेल व स्नेहक पर व्यय तथा प्रशिक्षण हेतु आहरण किया जा रहा यह देखा गया कि अधिकांश सार आकस्मिक बिलों का मध्याह्न भोजन स्कीम, औषधियाँ/वाहनों की खरीद, में दिया गया है।

बिलों को प्रस्तुत करने की प्रतीक्षा में समायोजन हेतु लंबित थे। वर्षवार एवं विभागावार व्यौरा परिशिष्ट-2.12 ₹147.51 करोड़ थी जिसके परिणामस्वरूप ₹81.30 करोड़ के बकाया शेष विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक ₹228.81 करोड़ में से 31 जुलाई 2011 तक प्राप्त विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों की कुल राशि 45 आहरण एवं संवितरण अधिकांशों द्वारा मार्च 2011 तक सार आकस्मिक बिलों पर आहरित समायोजित करवाने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित आहरण एवं संवितरण अधिकारी का है। दिया गया है। इसके अतिरिक्त, उसी विलीय वर्ष जिसमें यह आहरित किए गए हैं, के दौरान अग्रिम को अधिक समय से आहरित सार आकस्मिक बिलों के सम्बन्ध में विस्तृत बिलों की कोषाधिकारी को प्रस्तुत कर अधिकारी को प्रत्येक सार आकस्मिक बिल में प्रमाणित करना होता है कि उस बिल की तिथि से एक मास से हिमाचल प्रदेश खजाना नियमावली के नियम 5.74 और 5.75 के अनुसार प्रत्येक आहरण एवं संवितरण

नबन

2.4.1 सार आकस्मिक बिलों के प्रति विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत करने में

2.4 विभागीय आंकड़ों का मिलान न करना

व्यय के ऊपर निरूपित विलीय नियंत्रण का सूचक था।

चाहिए। इस प्रकार, विलीय नियमन की प्रवृत्ति के विपरीत वर्ष के अंत में विभाग द्वारा खर्च की गई पर्याप्त राशि अकेले मार्च 2011 के महीने में किया गया। संशक्त विलीय प्रबन्धन हेतु व्यय की सम्मत्त गति को बनाए रखना अतिरिक्त, उपरोक्त छः मामलों में कुल व्यय का 50 प्रतिशत की सीमा तक अथवा इससे अधिक का व्यय ₹26.51 करोड़ के कुल व्यय का 60 प्रतिशत विलीय वर्ष के अंतिम तिमाही में खर्च किया गया। इसके संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2010-11 के दौरान पूर्वोक्त मुख्य शीर्षों के प्रति खर्च किए गए

- वर्ष के दौरान ₹74.15 करोड़ (₹0.23 लाख के ऋणात्मक शेष वाले दो व्यक्तिगत निक्षेप लेखे सहित) के शेष वाले 80 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में थे।
- चालू वर्ष के दौरान ₹0.51 करोड़ (₹0.16 लाख के ऋणात्मक शेष वाले एक व्यक्तिगत निक्षेप लेखा सहित) की राशि से अन्तर्ग्रस्त 52 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे परिचालन में नहीं थे। इनमें से ₹3.57 लाख के शेष वाले 11 व्यक्तिगत निक्षेप लेखे पांच वर्षों से अधिक से परिचालन में नहीं थे।
- व्यक्तिगत निक्षेप लेखे सामान्य रूप से क्रेडिट शेष के साथ बन्द होने चाहिए क्योंकि निक्षेप के प्रति भुगतान प्राप्त निक्षेपों से बढ़ना नहीं चाहिए। तीन मामलों (परिशिष्ट-2.13) में ₹0.39 लाख के प्रतिकूल शेष थे जो गलत वर्गीकरण, अधिक भुगतानों, लेखों का मिलान न करने अथवा कुछ अन्य कारणों जिनकी जांच तथा संशोधन किया जाना अपेक्षित था, से हो सकते थे।

वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् व्यक्तिगत निक्षेप लेखे में निधियों को रखने की प्रथा निधियों के दुरुपयोग का जोखिम बढ़ाती है और इसलिए इसे रोकने की आवश्यकता है।

2.6 चयनित अनुदान की समीक्षा के परिणाम

एक अनुदान (अनुदान संख्या 23-विद्युत विकास) की समीक्षा से निम्नलिखित उद्घाटित हुआ:

(i) बजट प्रावधान की तुलना में आधिक्य नियमन के लिए प्रतीक्षित

2010-11 के दौरान ₹634.73 करोड़ (राजस्व प्रवर्ग: ₹631.76 करोड़; पूंजीगत प्रवर्ग: ₹2.97 करोड़) का कुल आधिक्य था। ऐसे आधिक्य को अंशदान देने वाले अनुदान के मुख्य शीर्ष का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका-2.9: बजट प्रावधान की तुलना में अधिक व्यय

क्रमांक	मुख्य शीर्ष	कुल बजट प्रावधान				व्यय	आधिक्य	अधिक व्यय की प्रतिशतता
		राजस्व (दत्तमत)	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन			
1.	2801-विद्युत	153.85	7.12	(-) 0.44	160.53	792.88	632.35	394

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

₹632.35 करोड़ का आधिक्य मुख्यतः फरवरी 2004 और फरवरी 2007 के मध्यावधि से सम्बन्धित गलत वर्गीकरण के संशोधन के सम्बन्ध में हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड सीमित से सम्बन्धित मुख्य शीर्ष 6003-109-12 से ₹643.08 करोड़ के अंतरण के कारण था। इसके अतिरिक्त, उपरोक्त मामले में ₹7.12 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान भी आधिक्य व्यय को आवृत्त करने में अपर्याप्त सिद्ध हुआ।

(ii) निधियों का अभ्यर्पण

अनुदान संख्या 23 के अंतर्गत समग्र बजट प्रावधान तथा व्यय की समीक्षा से उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2010-11 के दौरान ₹634.73 करोड़ का कुल आधिक्य था। तथापि, विभाग ने निधियों के अधिक प्रावधान हेतु अनुरोध करने की अपेक्षा वर्ष के दौरान ₹0.49 करोड़ राशि का अभ्यर्पण किया।

वर्षों का या तो अत्यल्प न करने अथवा लिक्विड अंत में अत्यल्प करने से दूसरे आवश्यकता वाले क्षेत्रों में विकासोन्मुख कार्यों हेतु निधियों का उपयोग करने के लिए कोई अवसर नहीं रहता है। इसलिए विन विभाग द्वारा निधियों की आवश्यकता वाले दूसरे विभागों द्वारा उनकी प्रभावी प्रयुक्ति हेतु पहले से बचतों की गणना

व्यय की सख्ती से रोकना चाहिए।
बचत निधियों की सही विभागों में सुदृढ़ किया जाना चाहिए जहां विगत पांच वर्षों से निरन्तर आधिक्य/बचत है। सही विभागों की आर्बिट्ररी के प्रति व्यय का ध्यानपूर्वक अनुज्ञापन करना चाहिए और अनुदानों से आधिक्य वाली है और इसलिए इसे रोकने की आवश्यकता है।

दृष्टान्त शी। निक्षेप लेखों और व्यक्तिसंगत निक्षेप लेखों में निधियों का अवरोधन निधियों के दुरुपयोग का जोखिम अथवा अपयोजना की इंगित करता है, के अतिरिक्त अपयोजना प्रबंधन तथा अविवेकपूर्ण पुनर्विनियोजनों के अधिक शी। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय के तीव्र प्रवाह, जो विभागों में बचत निधियों का अभाव था। नौ मामलों में अत्यल्प राशि (प्रत्येक मामले में ₹50 लाख अथवा इससे अधिक) वास्तविक बचत से अनुपूर्वक प्रबंधन अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि व्यय को पूरा करने के लिए मूल प्रबंधन लिक्विड पर्याप्त वर्ष के दौरान तीन मामलों में (प्रत्येक मामले में ₹10 लाख अथवा इससे अधिक) प्राप्त कुल ₹3.72 करोड़ का पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य: ₹13.94 करोड़) खर्च किए गए।

2010-11 के दौरान बचत निधियों से आधिक्य में ₹233.54 करोड़ (लोक निर्माण: ₹219.60 करोड़; निरन्तर किए गए आधिक्य व्यय की इंगित किया गया था। यह अनियमितता अथवा भी निरन्तर शी क्योंकि विगत पांच वर्षों के दौरान दो अनुदानों अर्थात् लोक निर्माण तथा पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य के अंतर्गत 31 मार्च 2010 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य के विन पर भारत के निरन्तर-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में ₹2237.63 करोड़ के आधिक्य व्यय का राज्य विधानमंडल से नियमन करवाना अपेक्षित है।

₹663.83 करोड़ की बचत द्वारा प्रतिशतित ₹2237.63 करोड़ के आधिक्य का शी परमाणु था। इस प्रकार वर्ष 2010-11 के दौरान अनुदानों/विनियोजन के अंतर्गत पाया गया ₹1573.80 करोड़ का समग्र आधिक्य,

2.7 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

बचत नियमावली के अनुसार अनुशिक्षित की जाने वाली अपेक्षित अपकटित/अनुसूचित देयताओं पर दृष्टि रखने के लिए दायित्व पंजीकृत शी निदेशक, ऊर्जा द्वारा अनुशिक्षित नहीं की गई थी।
अंतर्गत अपेक्षित था।

वर्ष 2010-11 के दौरान निदेशक, ऊर्जा द्वारा विन विभाग को नहीं भेजा गया जैसा कि बचत नियमावली के व्यय पर प्रभावी नियंत्रण रखने एवं सही बचत प्राकल्पनों को तैयार करने हेतु दायित्व विवरणियों को

(iii) विन विभाग को दायित्व विवरणियां प्रस्तुत न करना

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि वित्तीय प्रबंधन से संबंधित विभाग में दूरदर्शिता और योजना का अभाव था जिसके परिणामस्वरूप ₹0.49 करोड़ का अविवेकपूर्ण अत्यल्प हुआ।

करने तथा निर्धारित तिथि तक उनके अभ्यर्पण को सुनिश्चित करने के लिए सभी विभागों को विशेष अनुरोध
जाती करने चाहिए।
आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा उसी वित्तीय वर्ष के अन्दर सार आकस्मिक बिलों के समायोजन को
सुनिश्चित करने हेतु एक सूक्ष्म तथा सज्ज अनुश्रवण तंत्र बनाया जाना चाहिए।

अध्याय-3
वित्तीय विवरण

प्रासंगिक एवं विश्वसनीय सूचना सहित ठोस आंतरिक वित्तीय विवरण राज्य सरकार के कुशल तथा प्रभावी शासन को महत्वपूर्ण सहयोग देता है। इस प्रकार ऐसी अनुपालनाओं की स्थिति पर विवरण की सामयिकता तथा गुणवत्ता के साथ-साथ वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व दिशासूचकों की अनुपालना सफल शासन के गुणों में से एक है। अनुपालना एवं नियंत्रणों पर विवरण यदि प्रभावी व परिचालनात्मक है तो राज्य सरकार को अनुकूल योजना तथा निर्णय लेने सहित इसकी मूल प्रबन्धकता उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने में सहयोग देता है। यह अध्याय चालू वर्ष के दौरान विभिन्न वित्तीय नियमों, प्रक्रियाओं व दिशासूचकों सहित राज्य सरकार की अनुपालना के विहंगावलोकन तथा स्थिति को उपलब्ध करवाता है।

3.1 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

वित्तीय नियमों में प्रावधान है कि विशिष्ट उद्देश्य हेतु दिए गए अनुदानों के उपयोगिता प्रमाणपत्र विभागीय अधिकारियों द्वारा अनुदानग्राहियों से प्राप्त किए जाने चाहिए तथा सत्यापन के बाद इन्हें इनकी संस्वीकृति की तिथि से एक वर्ष के भीतर अन्यथा जब तक निर्दिष्ट न हो, महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को प्रेषित किए जाने चाहिए। तथापि मार्च 2011 तक ₹1547.57 करोड़ के अनुदानों व ऋणों के सम्बन्ध में देय 42,439 उपयोगिता प्रमाणपत्रों में से ₹907.68 करोड़ की कुल राशि के 9,547 उपयोगिता प्रमाणपत्र (22 प्रतिशत) मार्च 2011 तक लम्बित थे जिनमें से ₹29.03 करोड़ के 262 उपयोगिता प्रमाणपत्र पांच वर्षों से अधिक की अवधि से लम्बित थे। बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्रों का विभाग-वार ब्यौरा परिशिष्ट-3.1 में दिया गया है तथा उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में अवधि-वार विलम्ब तालिका 3.1 में सारांशित किया गया है।

तालिका-3.1: 31 मार्च 2011 तक उपयोगिता प्रमाणपत्रों का अवधि-वार बकाया

क्रमांक	विलम्बावधि (संख्या वर्षों में)	प्रदत्त कुल अनुदान		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
		मामलों की संख्या	राशि	संख्या	राशि
1.	0-1	16382	718.09	5341	465.44
2.	1-3	24730	740.77	3423	379.20
3.	3-5	950	52.60	521	34.01
4.	5-7	223	24.31	110	21.39
5.	7-9	151	6.27	151	6.27
6.	9 व इससे ऊपर	3	5.53	1	1.37
	योग	42,439	1547.57	9547	907.68

स्रोत: महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय

लम्बित उपयोगिता प्रमाणपत्र मुख्यतया शिक्षा विभाग (3185 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹45.74 करोड़), ग्रामीण विकास (3236 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹525.45 करोड़), उद्योग (818 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹12.90 करोड़), कला एवं संस्कृति (765 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹3.81 करोड़), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता (504 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹71.35 करोड़), शहरी विकास (59 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹112.22 करोड़), क्रीड़ा एवं युवा सेवाएं (67 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹8.64 करोड़), पर्यटन (चार उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹1.84 करोड़), सचिवालय एवं सामाजिक सेवाएं (24 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹7.65 करोड़), चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य (646 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹46.11 करोड़) तथा सामान्य प्रशासनिक सेवाएं (57 उपयोगिता प्रमाणपत्र: ₹6.90 करोड़) से सम्बन्धित थे।

प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जा रहा था जबकि लघु शीर्ष 112-स्रोत पर कर को कटौती के अंतर्गत चार्ज शेष था। 102-उचन लेखा (सिविल) के अंतर्गत कुछ शेष बहूत पुराने थ और इनको बट्टे खाते में डालने के लिए ₹69.91 करोड़ (क्रेडिट) की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्शाई। महलेखाकार (लेखा व हकदारी) ने बताया कि जबकि लघु शीर्ष 129-सामग्री खरीद समायाजन उचन लेखा के अंतर्गत शूल्ड शेष विगत वर्षों की तुलना में 112-स्रोत पर कर कटौती उचन के अंतर्गत शूल्ड शेष की ₹12.48 करोड़ (क्रेडिट) तक की भी वृद्धि हुई है। 102-उचन लेखा (सिविल) के अंतर्गत ₹7.82 करोड़ (डेबिट) की शूल्ड वृद्धि है। लघु शीर्ष गत तीन वर्षों की मुख्य उचन शीर्षों के अंतर्गत उचन शीर्षों की स्थिति **परिशिष्ट-3.5** में दी गई है। 2009-10 राशि को उनके सम्बद्ध अन्तिम लेखा शीर्षों को बुक की जाती है।

की माहानस डेबिट अथवा माहानस क्रेडिट द्वारा अन्तिम रूप से समायोजित किया जाता है जब उनके अन्तर्गत बुक नहीं किया जा सकता है, को प्रदर्शित करने हेतु सरकारी लेख में संचालित किया जाता है। इन लेखा शीर्षों लेन-देनों, जिनको उनकी प्रकृति अथवा दूसरे कारणों से सूचना की कमी के कारण लेख के अन्तिम शीर्ष में 'उचन शीर्षों' से शीत लेखाओं के निरिचत मध्यस्थ/समायाज्य शीर्षों की प्राप्ति और अदायगी के

3.4 मुख्य उचन शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेष

दुर्विनिर्वाजनों तथा हानियों से सम्बन्धित मामलों का शीघ्रता से समायोजन सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी तंत्र को बनाए जाने की आवश्यकता है तथा व्यवस्थित पद्धतियों को स्थापित करने की भी आवश्यकता है।

विवरण/बकाया लेखित मामलों के कारण	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
(i) विभागीय एवं अपर्याप्तिक वाच के लिए प्रतीक्षित	25	53.89
(ii) विभागीय कर्तव्यों शूल्ड की गई परन्तु अन्तिम रूप नहीं दिया गया	1	2.57
(iii) वर्सूली अथवा बट्टे खाते में डालने हेतु आदेशों के लिए प्रतीक्षित	12	8.93
(iv) न्यायालय में लम्बित	7	12.87
(v) आदेश जारी किए गए किन्तु वर्सूली लम्बित	3	1.52
योग	48	79.78

तालिका-3.4: दुर्विनिर्वाजन, हानियाँ, गबनों आदि के बकाया मामलों के कारण

विश्लेषण आगे इंगित करता है कि बकाया मामलों के कारणों का वर्गीकरण **तालिका-3.4** में सूचीबद्ध श्रेणियों में किया जा सकता था।

श्रेणी वर्ष	मामलों की संख्या	अनर्पित राशि (₹ लाख में)	मामलों का स्वरूप/विवरण/ मामलों की संख्या	अनर्पित राशि (₹ लाख में)	
लेखित मामलों की अवधि-रूपरेखा			लेखित मामलों का स्वरूप		
0-5	6	17.22	चौरी	8	6.66
5-10	11	11.98			
10-15	11	43.54	दुर्विनिर्वाजन/सामग्री की हानि	40	73.12
15-20	1	1.05			
20-25	6	1.87	योग	48	79.78
25 व इससे ऊपर	13	4.12	वर्ष के दौरान बट्टे खाते डाले गए हानियों के मामले	3	1.82
योग	48	79.78			

तालिका-3.3: दुर्विनिर्वाजन, हानियाँ, गबनों आदि की रूपरेखा

30 दिसम्बर 2010 तक जारी किए गए तथा 31 मार्च 2011 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों और परिच्छेदों सहित।
2 शिक्षा (माध्यमिक) : 1276; हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय: एक; सहकारिता: 17; उद्योग: 23 तथा पुलिस: 24

परिच्छेद-3.6 तथा अनियमितताओं के प्रकार **परिच्छेद-3.7** में विवरणित किए गए हैं।
समायोजित नहीं किया गया था। इन बकाया 2105 निरीक्षण प्रतिवेदनों और 5765 परिच्छेदों की वर्षवार स्थिति सम्बन्धित सबसे पुरानी मर्चों तथा ₹69.53 करोड़ के वित्तीय आशय वाले 1780 परिच्छेदों की 10 वर्षों से अधिक से आशय वाले 5765 परिच्छेद बकाया थे। इनमें से वर्ष 1969-70 के दौरान जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों से उद्घाटित हुआ कि 31 मार्च 2011 के अन्त में 2105 निरीक्षण प्रतिवेदनों से सम्बन्धित ₹502.93 करोड़ के वित्तीय सम्बन्धित 1341 आदेश एवं संवितरण अधिकाधिकारों की जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा से दिसम्बर 2010 तक शिक्षा (माध्यमिक), सहकारिता, उद्योग, पुलिस विभागों और हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से परिच्छेदों की समायोजित किया गया।
2010-11 के दौरान तदर्थ समिति की 40 बैठकों आयोजित की गईं जिसमें 375 निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा 1937

क्रमांक	विभाग का नाम	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	अनियमित राशि
1.	सिखित विभाग	5518	15377	4562.92
2.	लोक निर्माण (घरन एवं मार्ग)	724	2017	3613.10
3.	सिचाई एवं जन स्वास्थ्य	390	1067	3891.31
4.	वन	827	1781	238.97
	योग	7459	20242	12306.30

तालिका- 3.5: बकाया निरीक्षण प्रतिवेदन/परिच्छेद

(₹ करोड़ में)
20242 लेखापरीक्षा अभ्युक्तिगतों नीचे सारणीबद्ध की गईं हैं:
नमूना लेखापरीक्षा के परिणाम पर आधारित 31 मार्च 2011 को बकाया 7459 निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट

इस विभागों के ध्यान में भी लाई जाती हैं।
को भेजे गए लिखित निरीक्षण प्रतिवेदनों के अर्द्ध वार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से महालेखाकार के कार्यालय उनकी अनुपालना महालेखाकार को सूचित करना अपेक्षित होता है। गम्भीर अनियमितताएं प्रधान सचिव (विन) कार्यालय प्रमुखों तथा आगे उच्चतर प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्राप्ति के चार सप्ताह के भीतर कार्यालय प्रमुखों को जारी किया जाता है।

पता तो इन निरीक्षण प्रतिवेदनों को आगे उच्चतर प्राधिकारियों को एक प्रति सहित निरीक्षण किए गए जाते हैं। जब निरीक्षण के दौरान पाई गईं महत्वपूर्ण अनियमितताओं आदि का कार्यस्थल पर समाधान नहीं हो जाया है। इन निरीक्षणों के पश्चात् निरीक्षण प्रतिवेदनों को जारी किया जावेगा और अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण का संस्थापन करने के लिए सरकारी विभागों का महालेखाकार (लेखापरीक्षा) निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार लेन-देनों की नमूना-जांच तथा महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा प्रभावपूर्ता-उत्तरदायित्व का अपरदन

3.5 लेखापरीक्षा प्रभावपूर्ता-उत्तरदायित्व का अपरदन

का निपटन प्रबलता से किया जाना अपेक्षित होगा।
प्राप्तियों और व्यय की स्थिति सही रूप से प्रदर्शित नहीं होगी। इस प्रकार उच्चतम शीर्षों के अंतर्गत बकाया शेषों यदि इन राशियों का निपटन नहीं होता है तो उच्चतम शीर्षों के अंतर्गत शेषों का संवय होगा तथा सरकार की

के हित) का फिलान और निपटन करने हेतु सम्बन्धित मंडलों के परामर्श से प्रयास किए जा सकते हैं।
इस प्रकार, लघु शीर्ष 129-सामग्री खरीद समायोजन उच्चतम लेखा के अंतर्गत भारी शेषों (शुद्ध ₹69.91 करोड़

विभागीय अधिकारी निर्धारित समय सीमा के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट अभ्युक्तियों पर कार्रवाई करने में असफल रहे जिसके परिणामस्वरूप उत्तरदायित्व का अपरदन हुआ।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार को लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों का शीघ्र एवं उपयुक्त प्रत्युत्तर सुनिश्चित करने के लिए मामले की जांच करनी चाहिए।

3.6 निष्कर्ष एवं सिफारिशें

9547 मामलों में ₹907.68 करोड़ की कुल राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्रों (22 प्रतिशत) को वित्तीय नियमावली के प्रावधान के अनुसार महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को नहीं भेजा गया जिसमें प्रस्तुत करने के लिए देय सबसे पुराने उपयोगिता प्रमाणपत्र वर्ष 1998-99 से सम्बन्धित है। समयबद्ध तरीके से उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत न करना सशक्त वित्तीय प्रबन्धन के नियमों के विपरीत है और सरकार को तत्काल ध्यान देने की आवश्यकता है। ₹79.78 लाख की राशि से अंतर्ग्रस्त दुर्विनियोजन, हानि, गबन आदि के 48 बकाया मामलों में से ₹53.89 लाख की राशि से अंतर्ग्रस्त 25 मामलों में लंबित अंतिम कार्रवाई, विभागीय कार्यवाही तथा आपराधिक जांच शुरू नहीं की गई जो उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिए सरकार की ओर से पहल न करने को दर्शाता है। 31 मार्च 2011 को 7459 निरीक्षण प्रतिवेदनों में समाविष्ट 20242 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां बकाया थी जिसके परिणामस्वरूप उत्तरदायित्व का अपरदन हुआ।

धोखाधड़ी और दुर्विनियोजन मामलों में दोषियों को दण्डित करने के लिए विभागीय जांच शीघ्र की जानी चाहिए। ऐसे मामलों की घटना को रोकने के लिए सभी संगठनों में आंतरिक नियंत्रण को सुदृढ़ किया जाना चाहिए।

शिमला
दिनांक:

6 FEB 2012

जे. विल्सन

(जे. विल्सन)

महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक:

8 FEB 2012

विनोद राय

(विनोद राय)

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक



परिशिष्ट

परिशिष्ट-1

राज्य रूपरेखा

क सामान्य आंकड़े

क्रमांक	विवरण	आंकड़े
1	क्षेत्र	55673/वर्ग किमी
2	जनसंख्या	
	क (2001) जनगणना के अनुसार	6077900 अथवा 0.61 करोड़
	ख 2011	0.69 करोड़

3	(क) जनसंख्या की घनता (2001) (ख) जनसंख्या की घनता (2011) (अखिल भारतीय औसत=325 व्यक्ति/वर्ग किमी) (अखिल भारतीय औसत=382 व्यक्ति/वर्ग किमी)	109 व्यक्ति/वर्ग किमी 123 व्यक्ति/वर्ग किमी
---	--	--

4	गरीबी रेखा से नीचे की जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत = 27.5%)	10%
5	(क) साक्षरता (2001) (ख) साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत = 64.8%) (अखिल भारतीय औसत = 74%)	76.50% 83.78%

6	निजी गुणक ^{****}	
	क ग्रामीण (अखिल भारतीय = 0.30) ख शहरी (अखिल भारतीय = 0.37)	0.30 0.32
7	सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2010-11	₹52426 करोड़
8	सकल राज्य घरेलू उत्पाद संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (2001-02 से 2010-11)	13.21%

ख वितीय आंकड़े

क्र	विवरण	शे
क	राजस्व प्राप्ति	14.63%
ख	कर राजस्व	14.01%
ग	कर-निम्न राजस्व	26.91%
घ	कुल व्यय	13.12%
ङ	पूँजीगत व्यय	11.89%
च	निर्माण पर राजस्व व्यय	13.23%
छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	12.69%
ज	वेतन एवं मजदूरी	12.84%
झ	शे	18.98%

संयुक्त वार्षिक वृद्धि दर (2001-02 से 2010-11)

स्रोत: विन लेख एवं लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, गरीबी रेखा से नीचे (योजना आयोग व एनएसएसओ) आंकड़े, 61वाँ राजपत्र, निजी गुणक (योजना आयोग व एनएसएसओ) आंकड़े का गैर-सरकारी आकलन, 61वाँ राजपत्र 2004-05 एमआरपी), जनसंख्या घनता (भारत के महानगरों का आकलन, गृह मामलों का मंत्रालय), साक्षरता (भारत के महानगरों का आकलन, गृह मामलों का मंत्रालय) तथा विभाजन प्रदर्शक का आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

भाग 3: लोक लेखा: लघु बचत, भविष्य निधियां, आरक्षित निधियां, निक्षेप, उचन, प्रेषणों आदि जैसे कुछ लेन-देनों के सम्बन्ध में प्राप्ति तथा संवितरणों, जो कि समकित निधि का भाग नहीं होते, को संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत गठित लोक लेखा में रखे जाते हैं तथा इन पर राज्य विधानमण्डल द्वारा मत नहीं दिया जाता है।

भाग 2: आकस्मिकता निधि: संविधान के अनुच्छेद 267(2) के अंतर्गत स्थापित राज्य की आकस्मिकता निधि राज्यपाल के अधिकार में रखे गए अग्रदाय के रूप में है, जो उसे विधानमण्डल द्वारा लम्बित प्राधिकरण हेतु आवश्यक अनपेक्षित व्यय को बहान करने के लिए अग्रियों को देने हेतु समर्थ बनाती है। समकित निधि से ऐसे व्यय और समकष राशि के आहरण हेतु विधानमण्डल का अनुमोदन बाद में प्राप्त किया जाता है, तत्पश्चात् अग्रियों की आकस्मिकता निधि से निधि की पूर्ति की जाती है।

भाग 1: समकित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, खजाना बिलों को जारी करके जुटाए गए समस्त ऋण, आंतरिक एवं बाह्य ऋण तथा सरकार द्वारा ऋणों की चुकौती में प्राप्त समस्त धन के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अंतर्गत स्थापित "राज्य की समकित निधि" नामक एक समकित निधि होगी।

सरकारी लेखों की संरचना: राज्य सरकार के लेखों को तीन भागों में रखा जाता है (1) समकित निधि; (2) आकस्मिकता निधि; तथा (3) लोक लेखा।

सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप

भाग-क

परिशिष्ट-1.1

II	वेतन पर गुलनामक व्यय
III	उपदान पर गुलनामक व्यय
VI	सहायता अनुदान (स्कीम वार व संस्था वार)
V	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाएं
VI	योजनागत स्कीम व्यय (केन्द्रीय व राज्य योजनागत स्कीम)
IIA	कार्यान्वयन एजेंसियों की निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण
IIIA	शेषों का सारांश
XI	निर्वाह स्कीमों के वित्तीय परिणाम
X	अपूर्त कर्ष
IIIX	वेतन व गैर-वेतन भुगतान के पृथक्करण के साथ अंतरिक्षण व्यय
भाग III: परिशिष्ट	
19	विनिर्देशित निधियों के निवेशों पर विस्तृत विवरण
18	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों की विस्तृत विवरण
17	स्वीडॉ तथा राजस्व लेखा के अतिरिक्त व्यय हेतु निधियों की प्रयुक्ति की विस्तृत विवरण
16	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों व अग्रिमों की विस्तृत विवरण
15	उधारों एवं अन्य दायित्वों की विस्तृत विवरण
14	सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरण
13	लघु शीर्षा द्वारा पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरण
12	लघु शीर्षा द्वारा राजस्व व्यय की विस्तृत विवरण
11	लघु शीर्षा द्वारा राजस्व एवं पूंजीगत प्राप्ति/व्ययों की विस्तृत विवरण
भाग II	
10	दामन व प्रथमित व्यय की विवरण
9	सरकार द्वारा दी गई गारण्टियों की विवरण
8	सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों की विवरण
7	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों व अग्रिमों की विवरण
6	उधारों एवं अन्य दायित्वों की विवरण
5	प्रतिशोधित पूंजीगत व्यय की विवरण
भाग I	
2	खण्ड I: शीर्षा व शेष तथा शीर्षा व शेष का निवेश
1	वित्तीय स्थिति की विवरण
2	प्राप्तियों एवं संवितरणों की विवरण
3	प्राप्तियों की विवरण (समेकित निधि)
4	व्यय की विवरण (समेकित निधि)
	कार्य व स्वरूप द्वारा
	लेखा टिप्पणियां
	परिशिष्ट I: शीर्षा व शेष तथा शीर्षा व शेष का निवेश
खण्ड 1	

अध्याय

भाग-ख : विन लेख की रूपरेखा

विन लेख को दो खण्डों-खण्ड I व II में विभाजित किया गया है। खण्ड I सरकार की वित्तीय विवरणियों को सारांशित रूप में दर्शाता है जबकि खण्ड II विस्तृत वित्तीय विवरणों को दर्शाता है। विन लेख को बनाने की विनियमित रीति से रूपरेखा की गई है:

परिशिष्ट-1.1

सकल राज्य धरलें उत्पाद राज्य की कुल आय अथवा श्रम का उपयोग करके उत्पन्न हुई वस्तुओं एवं सेवाओं के बाजार मूल्य तथा उत्पादन के समस्त अन्य कारकों के रूप में परिभाषित किया गया है।

शब्द		गणना आधार	
धैरमीटर की उत्प्लावकता	धैरमीटर की वृद्धि दर/सकल राज्य धरलें उत्पाद वृद्धि दर		
अन्य धैरमीटर (बाईं) के संबंध में धैरमीटर (एक्स) की वृद्धि दर/धैरमीटर (बाईं) की वृद्धि दर			
(एक्स) की उत्प्लावकता			
वृद्धि दर	[चालू वर्ष की राशि/विगत वर्ष की राशि]-1]*100		
विकसित व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं		
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत व्यय	व्यय भूभाग/[(विगत वर्ष के राजकोषीय दायित्वों+चालू वर्ष के राजकोषीय दायित्वों) की राशि]*100		

गढ़े हैं:

राजकोषीय पूर्णयोगों की प्रवृत्तियों एवं प्रतिमान के निर्धारणार्थ प्रयोग किए गए कुछ चयनित शब्दों की परिभाषाएं नीचे दी

सकल राज्य धरलें उत्पाद (₹ करोड़ में)	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
सकल राज्य धरलें उत्पाद की वृद्धि दर (प्रतिशत में)	11.6	12.2	13.6	12.2	21.1
सकल राज्य धरलें उत्पाद (₹ करोड़ में)	30274	33963	38571(पी)	43281(क्यू)	52426(यू)

की/ आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

गत पांच वर्षों हेतु राज्य सकल धरलें उत्पाद की प्रवृत्ति को नीचे दर्शाया गया है:

सकल राज्य धरलें उत्पाद की प्रवृत्ति

करने में उपयोग किया गया है।

के निर्देशक आर्थिक तथा सांख्यिकी द्वारा प्रकाशित किया गया है, इन प्रतिशतताओं और उत्प्लावकता दरों का आकलन गया है। 2004-05 को आधार के रूप में मानते हुए नई सकल राज्य धरलें उत्पाद श्रृंखला को जैसा कि राज्य सरकार पूर्णयोगों को सकल राज्य धरलें उत्पाद के अतिरिक्त कारकों द्वारा भी प्रभावित किया गया है, करने के लिए भी संशोधित किया संशोधनों की गतिशीलता, व्यय का प्रतिमान इत्यादि का आधार में परिवर्तन के साथ गति रख रहे हैं अथवा इन राजकोषीय संदर्भ में कर राजस्व, कर-फ़िन राजस्व, राजस्व व्यय इत्यादि के लिए उत्प्लावकता गुणांक का यह निष्पत्ति, कि क्या सकल राज्य धरलें उत्पाद की प्रतिशतता के रूप में दर्शाया गया है। सकल राज्य धरलें उत्पाद द्वारा प्रतिनिधित्व आधार के कर-फ़िन राजस्व, राजस्व तथा पूर्णयोग व्यय, आन्तरिक ऋण तथा राजस्व एवं राजकोषीय घाटे को चालू बाजार दरों पर राज्य धरलें उत्पाद राज्य की अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन का एक अच्छा सूचक है, मुख्य राजकोषीय पूर्णयोगों जैसे कर एवं की प्रवृत्तियों एवं प्रतिमान का गुणात्मक निर्धारण करने के लिए उपयोग किया गया है। यह पूर्वानुमान करते हुए कि सकल के अंतर्गत विधानसभा में प्रस्तुत की जाने वाली अर्थात् अन्य विवरणियों में चालू वर्ष के दौरान मुख्य राजकोषीय पूर्णयोगों राजकोषीय पूर्णयोगों हेतु इसके प्रक्षेपणों के साथ तेरहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य एवं मानकों/सीमाओं तथा अधिनियम में निर्दिष्ट किया गया। राज्य सरकार द्वारा अपने राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में की गईं बचनबद्धताओं/प्रक्षेपणों सहित जैसा कि मध्यम से दीर्घकालीन अवधि की आवृत्त करते हुए उनके संबद्ध राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों/निधिमवलियाँ सभी राज्य राजकोषीय उत्तरदायित्व अधिनियमों में संशोधन करें ताकि राज्य की राजकोषीय स्थिति में सुधार किया जा सके की तथा अन्य के लिए मानकीय प्रक्षेपणों की भी बनाया। इसके अतिरिक्त, तेरहवें वित्त आयोग ने यह भी सिफारिश की कि के वित्त की इसकी पुनर्संरचना योजना में तेरहवें वित्त आयोग ने कुछ राजकोषीय पूर्णयोगों के लिए मानकों/सीमा की सिफारिश प्रवृत्तियों का, जहाँ कहीं भी आवश्यक था, विश्लेषण किया गया तथा उनकी व्यावहारिकता पर अर्थविकारों की गईं हैं। राज्य वित्त लेखों की विवरणियों से 2006-11 की अवधि में प्रकट हुईं प्रवृत्तियों तथा व्यय के मुख्य राजकोषीय पूर्णयोगों में

भाग-क: राजकोषीय स्थिति का निर्धारण करने के लिए अपनाई गईं कार्यपद्धति

परिशिष्ट-1.2

सकल राज्य धरेल उपादे वॉल्यू-औसत ब्याज दर	शुण स्टॉक* ब्याज विस्तार	बकाया शुणों के प्रति प्रतिशत के रूप में प्राप्त प्राप्त ब्याज [(अध शेष + शुणों तथा अग्रिमों के अंतर्शेष) 2] * 100	राजस्व ब्याज	राजस्व ब्याज - राजस्व ब्याज	राजस्व ब्याज + पूर्वीगत ब्याज + निवल शुण व अग्रिम - राजस्व प्रविष्टियाँ - विविध पूर्वीगत प्रविष्टियाँ	राजकीय ब्याज - ब्याज अदायगीयता	बालू राजस्व से शेष (बीसीआर)	राजस्व प्रविष्टियाँ धारा 2048-शुण के बचाव को कम करने के लिए विनियोजन के अन्तर्गत अधिलिखित ब्याज को छोड़कर समस्त योजनगत अनुदानों तथा धरे-योजनगत राजस्व ब्याज
--	--------------------------	---	--------------	-----------------------------	---	--------------------------------	-----------------------------	---

इसके अतिरिक्त, अधिनियम की धारा 7 की भी संशोधित किया गया जिसमें परिकल्पित है कि इस अधिनियम के अन्तर्गत राज्यकोषीय सुधार पथ की समीक्षा व अनुश्रवण करने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र तौर पर स्थापित किया जाएगा।

- पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में कुल राजस्व ग्रामिण के चालीस प्रतिशत से नीचे दीर्घवर्षीय ऋण पर बकाया जोखिम धारित गारण्टियों को बनाए रखना जिसके लिए वास्तविक वित्त लेख के अनुसार उपलब्ध है।
- वित्तीय वर्ष 2010-11 तक बकाया ऋण को सकल राज्य धरौं उत्पाद के 49.70 प्रतिशत तक कम करना; तथा
- वित्तीय वर्ष 2010-11 तक राजकोषीय घाटे को सकल राज्य धरौं उत्पाद के 3.5 प्रतिशत अथवा उससे कम करना तथा उसके पश्चात् राजकोषीय घाटे को सकल राज्य धरौं उत्पाद के तीन प्रतिशत तक अथवा उससे कम पर बनाए रखना;
- वित्तीय वर्ष 2011-12 तक राजस्व घाटे को खत्म करना तथा उसके पश्चात् राजस्व अधिशेष को बनाए रखना;

लिए अधिनियम में राज्य सरकार हेतु निम्नवत् राजकोषीय लक्ष्यों को निर्धारित किया गया है:

तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में यथा निर्धारित राजकोषीय प्रबन्धन सिद्धान्तों को प्रभावी बनाने के पारदर्शिता तथा मध्यवर्षीय ढांचे में राजकोषीय नीति के संचालन को सुनिश्चित किया जा सके। अधिनियम धारणीयता के साथ विवेकी ऋण प्रबन्धन समरूपता, सरकार के राजकोषीय प्रचालनों में अधिकतर राजस्व घाटे में प्रगतिशील कमी द्वारा राजकोषीय प्रबन्धन तथा राजकोषीय स्थिरता में दृष्टिगत, राजकोषीय को अधिनियमित किया जिसकी 2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा पुनः संशोधित किया गया ताकि विभाजन प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2005 में राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबन्धन अधिनियम, 2005

राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजटीय प्रबन्धन अधिनियम, 2005
(2011 की अधिनियम संख्या 25 द्वारा संशोधित)

भाग-ख

परिशिष्ट-1.2

* बुक समावोजन के रूप में ₹643.08 करोड़ की राशि सम्मिलित है।
 † बुक समावोजन के रूप में ₹699.96 करोड़ (₹643.08 करोड़+₹56.88 करोड़) की राशि सम्मिलित है।

भाग-क: प्राप्ति	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
1. राजस्व प्राप्ति	7,835	9,142	9,308	10,346	12,711
(I) कर राजस्व	1,656 (21)	1,958 (21)	2,242 (24)	2,574 (25)	3,643 (29)
विक्री, व्यापार आदि पर कर	914 (55)	1,092 (56)	1,246 (56)	1,487 (58)	2,101 (58)
राज्य आबकारी	342 (21)	389 (20)	432 (19)	500 (19)	562 (15)
वाहन कर	106 (6)	114 (6)	136 (6)	134 (5)	163 (4)
स्टीम एवं पंजीकरण फीस	93 (6)	87 (4)	98 (4)	113 (4)	133 (4)
विद्युत कर एवं शिफ्ट	30 (2)	82 (4)	79 (4)	39 (2)	302 (8)
भू-राजस्व	2 (-)	2 (-)	20 (1)	15 (1)	50 (1)
माल व यात्री कर	50 (3)	55 (3)	62 (3)	89 (3)	93 (3)
अन्य कर	119 (7)	137 (7)	169 (7)	197 (8)	284 (8)
(II) कर-निम्न राजस्व	1,337 (17)	1,823 (20)	1,756 (19)	1,784 (17)	1,695 (13)
(III) संघीय करों व शिल्कों में राज्यांश	629 (8)	794 (9)	838 (9)	862 (8)	1,715 (13)
(IV) भारत सरकार से सहायता अनुदान	4,213 (54)	4,567 (50)	4,472 (48)	5,126 (50)	5,658 (45)
2. विविध पूंजीगत प्राप्ति	--	--	--	--	646
3. ऋण व अग्रिमों की बर्तियां	23	26	21	34	73
4. कूल राजस्व एवं गैर-ऋण पूंजीगत प्राप्ति (1+2+3)	7,858	9,168	9,329	10,380	13,430
5. लोक ऋण प्राप्ति	2,080	1,849	2,249	2,553	2,411
आंतरिक ऋण (अर्थात्पण अग्रिमों व अधिबर्तियों को छोड़कर)	2,042 (98)	1,798 (97)	2,237 (99)	2,484 (97)	2,372 (98)
अर्थात्पण अग्रिमों व अधिबर्तियों के अंतर्गत निवल लेन-देन	--	--	--	--	-
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	38 (2)	51 (3)	12 (1)	69 (3)	39
6. संयुक्त निधि में कूल प्राप्ति (4+5)	9,938	11,017	11,578	12,933	15,841
7. आकस्मिकता निधि प्राप्ति	--	--	--	--	--
8. लोक लेखा प्राप्ति	5,265	6,223	6,760	6,821	8,507
9. राज्य की कूल प्राप्ति (6+7+8)	15,203	17,240	18,338	19,754	24,348
भाग ख. व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	7,644	8,292	9,438	11,151	13,946
योजनागत	1,325 (17)	1,202 (14)	877 (9)	1,238 (11)	1,652 (12)
अयोजनागत	6,319 (83)	7,090 (86)	8,561 (91)	9,913 (89)	12,294 (88)
सामान्य सेवाएं	3,300 (43)	3,429 (41)	3,918 (42)	4,377 (39)	5,279 (38)
(व्याज अदायगीयों सहित)					
सामाजिक सेवाएं	2,586 (34)	2,876 (35)	3,332 (35)	3,902 (35)	4,979 (35)
आर्थिक सेवाएं	1,755 (23)	1,984 (24)	2,184 (23)	2,868 (26)	3,682 (26)
सहायता अनुदान व अंशदान	3 (-)	3 (-)	4 (-)	4 (-)	6 (-)

(₹ करोड़ में)

राज्य सरकार के विन पर समावोजनी आंकड़े

(संदर्भ: परिच्छेद 1.3, 1.4.3, 1.6.4 तथा 1.7.2; पृष्ठ-8, 15, 24 व 25)

परिशिष्ट-1.3

	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11
11. पूंजीगत व्यय	1,110	1414	2079	1943	1789
योजनागत	1,043 (94)	1,313 (93)	1,992 (96)	1895(98)	1774(99)
आयोजनेत्तर	67 (6)	101 (7)	87 (4)	48(2)	15(1)
सामान्य सेवाएं	61 (5)	59 (4)	64 (3)	63(3)	73(4)
सामाजिक सेवाएं	575 (52)	586 (42)	833 (40)	610(31)	611(34)
आर्थिक सेवाएं	474 (43)	769 (54)	1,182 (57)	1270(65)	1105(62)
12. ऋण व अग्रिमों का संवितरण	26	14	90	70	227
13. जोड़ (10+11+12)	8,780	9,720	11,607	13164	15962
14. लोक ऋण की चुकौतियां	1,311	937	885	867	870
आंतरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों को छोड़कर)	1,182 (90)	839	829	811	808
अर्थोपाय अग्रिमों व अधिविकर्षों के अंतर्गत निवल लेन-देन	--	42	--	--	--
भारत सरकार से ऋण व अग्रिम	129 (10)	56	56	56	62
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	--	--	--	--	--
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	10,091	10,657	12,492	14031	16832
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	--	--	--	--	--
18. लोक लेखा संवितरण	5,370	5,737	5,690	6421	7162
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	15,461	16,394	18,182	20,452	23,994
भाग ग. घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/ राजस्व अधिशेष (+) (1-10)	(+) 191	(+) 850	(-) 130	(-) 805	(-)1235
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-) 922	(-) 552	(-) 2,278	(-) 2784	(-)2532
22. प्राथमिक घाटा (-)/अधिशेष (+) (21+23)	(+) 747	(+) 1,151	(-) 384	(-) 828	(-)582
भाग घ: अन्य आंकड़े					
23. ब्याज अदायगियां (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	1,669	1,703	1,894	1956	1950
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	399	467	582	718	849
25. प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष (दिवस)	01	--	--	--	--
प्राप्त किए गए अर्थोपाय अग्रिम (दिवस)	01	--	--	--	--
प्राप्त किए गए अधिविकर्ष (दिवस)	--	--	--	--	--
26. अर्थोपाय अग्रिम/अधिविकर्ष पर ब्याज	0.89	--	--	--	--
27 सकल राज्य घरेलू उत्पाद [®]	30274	33963	38571	43281	52426
28 बकाया राजकोषीय दायित्व (वर्षान्त)	18,071	19,419	21,819	23713	26415
29. बकाया गारण्टियां (वर्षान्त) (ब्याज सहित)	2,976	2,632	2,291	1949	3910
30. गारंटीकृत अधिकतम राशि (वर्षान्त)	6,347	6,450	6,076	4361	6232
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	30	20	17	29	11
32. अपूर्ण परियोजनाओं में पूंजी अवरोधन	160	121	96	108	86
भाग ड: राजकोषीय स्थिरता सूचक					
I संसाधन गतिशीलता					
स्वकीय कर राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07
स्वकीय कर-भिन्न राजस्व/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.04	0.05	0.05	0.04	0.03
केन्द्रीय अंतरण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.02	0.02	0.02	0.02	0.03
II व्यय प्रबन्धन					
कुल व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद	0.29	0.29	0.30	0.30	0.30

2
बुक समाप्ति के रूप में ₹699.96 करोड़ (₹643.08 करोड़+₹56.88 करोड़) की राशि सम्मिलित है।
कुल व्यय में अणु एवं अग्रिम सम्मिलित नहीं है।

@ सरकार द्वारा संचालित सकल राज्य धरौले उत्पाद के आंकड़ों की अपेक्षा गयी है।
कोष्ठकों के आंकड़े प्रत्येक उप-शीर्ष के जोड़ की प्रतिशतताओं (पूर्णांक) को दर्शाते हैं।

	2010-11	2009-10	2008-09	2007-08	2006-07
कुल व्यय/राजस्व प्रविधियाँ	1.26	1.27	1.25	1.06	1.12
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.87	0.85	0.81	0.85	0.87
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.35	0.34	0.36	0.36	0.36
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.30	0.31	0.29	0.28	0.25
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.11	0.15	0.18	0.15	0.13
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	0.11	0.14	0.17	0.14	0.12
III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबन्धन (प्रतिशत में)					
राजस्व घाटा (अधिर्षण)/सकल राज्य धरौले उत्पाद	(-2.36)	(-1.86)	(-0.34)	2.50	0.63
राजकोषीय घाटा/सकल राज्य धरौले उत्पाद	(-4.83)	(-6.43)	(-5.91)	(-1.63)	(-3.05)
राजकोषीय घाटा (अधिर्षण)/सकल राज्य धरौले उत्पाद	(-1.11)	(-1.91)	(-1.00)	3.39	2.47
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	(-48.78)	(-28.92)	(-5.71)	बाण नहीं	बाण नहीं
राजस्व घाटा/सकल राज्य धरौले उत्पाद (अनुपात)	0.240	0.236	0.237	0.267	0.256
IV राजकोषीय दायित्वों का प्रबन्धन					
राजकोषीय दायित्वों/सकल राज्य धरौले उत्पाद	0.50	0.55	0.57	0.57	0.60
राजकोषीय दायित्वों/राजस्व प्रविधि	2.07	2.29	2.34	2.12	2.31
प्रभावी विस्तार के प्रति प्रारम्भिक घाटा	(-0.165)	(-0.591)	(-0.364)	1.741	2.223
अणु विभाजन (मूलधन+आवा)/कुल अणु प्रविधियाँ	0.22	0.94	0.92	1.02	1.27
V अन्य राजकोषीय स्थिरता सूचक					
निवेश पर प्रतिफल	64.11	73.49	89.58	0.52	1.80
बालू राजस्व से शेष	(-2607)	(-2,642)	(-1,423)	(+113)	(-281)
विविध परिसम्पत्तियाँ/दायित्व	0.66	0.67	0.68	0.60	0.57
राजस्व व्यय: मूल धाराधारा	13946	11,151	9,438	8,292	7,644
राजस्व व्यय	25.06	18.15	13.82	8.48	18.22
राजकोषीय व्यय	12294	9,913	8,561	7,090	6,319
वर्द्धि दर (प्रतिशत) आयाजनेतर राजस्व व्यय	24.01	15.79	20.75	12.20	19.59
वर्द्धि दर (प्रतिशत) राजस्व व्यय	1652	1,238	877	1,202	1,325
वर्द्धि दर (प्रतिशत) आयाजनात राजस्व व्यय	33.44	41.16	(-27.04)	(-9.28)	12.10
आयाजनेतर राजस्व व्यय/सकल राज्य धरौले उत्पाद (प्रतिशत)	23.45	22.90	22.20	20.87	20.87
राजस्व व्यय/कुल व्यय (प्रतिशत)	88.63	85.16	81.95	85.43	87.32
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में आयाजनेतर राजस्व व्यय	77.02	75.30	73.76	72.94	71.97
राजस्व प्रविधि के प्रतिशत के रूप में आयाजनेतर राजस्व व्यय	96.72	95.81	91.97	77.55	80.65
राजस्व व्यय की तुलना में आयाजनेतर राजस्व व्यय की प्रतिशतता	88.15	88.90	90.70	85.50	82.67
राजस्व व्यय की तुलना में आयाजनात राजस्व व्यय	11.85	11.10	9.30	14.50	17.33
के साथ राजस्व व्यय की उत्पत्तिकता					
सकल राज्य धरौले उत्पाद (अनुपात)	1.19	1.49	1.02	0.70	1.57
सकल राज्य धरौले उत्पाद (अनुपात)	1.09	1.63	7.59	0.51	0.94
राजस्व प्रविधियाँ (अनुपात)	1.04	1.15	0.67	0.70	0.93
आयाजनेतर राजस्व व्यय (अनुपात)	0.75	0.44	(-0.51)	(-0.91)	1.51

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1 तथा 1.7.1: पृष्ठ 1 व 24)

भाग-क

वर्ष 2010-11 हेतु प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)							(₹ करोड़ में)			
प्राप्तियां						संवितरण				
2009-10			2010-11		2009-10			2010-11		
						आयोजनेत्तर	योजनागत	जोड़		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
प्रवर्ग-क राजस्व										
10346.36	I-राजस्व प्राप्तियां		12710.61	11151.00	I-राजस्व व्यय		13946.05 [#]			
2574.52	(i)	कर राजस्व	3642.38		सामान्य सेवाएं	5248.70	30.56	5279.26		
1783.66	(ii)	कर-भिन्न राजस्व	1695.31		सामाजिक सेवाएं	4080.57	898.31	4978.88		
861.63	(iii)	संघीय करों एवं शुल्कों का राज्यांश	1715.35		शिक्षा, क्रीड़ा, कला एवं संस्कृति	2345.34	343.55	2688.89		
2052.08	(iv)	आयोजनेत्तर अनुदान	2633.09		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	691.67	71.33	763.00		
2730.95	(v)	राज्य योजना स्कीमों हेतु अनुदान	2680.22		जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं शहरी विकास	623.63	146.07	769.70		
343.52	(vi)	केन्द्रीय योजनागत एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु अनुदान	344.26		सूचना एवं प्रसारण	20.57	0.61	21.18		
					अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ी श्रेणियों का कल्याण	9.61	56.29	65.90		
					श्रम एवं श्रम कल्याण	35.17	5.87	41.04		
					सामाजिक कल्याण एवं पोषण	344.94	273.29	618.23		
					अन्य	9.64	1.31	10.95		
					आर्थिक सेवाएं	2959.32	722.84	3682.16		
					कृषि एवं सम्बद्ध कार्यकलाप	628.53	439.34	1067.87		
					ग्रामीण विकास	202.73	137.43	340.16		
					सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	255.24	3.67	258.91		
					ऊर्जा	795.36	1.66	797.02		
					उद्योग एवं खनिज	32.46	21.89	54.35		
					परिवहन	1008.32	109.91	1118.23		
					विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	2.11	1.49	3.60		
					सामान्य आर्थिक सेवाएं	34.57	7.45	42.02		
					सहायता अनुदान एवं अंशदान	5.75	-	5.75		
					योग	12294.34	1651.71	13946.05		
804.64	II-प्रवर्ग-ख को लाया गया राजस्व घाटा		1235.44		II-खण्ड-ख को लाया गया राजस्व अधिशेष					
11151.00	योग:		13946.05 [#]	11151.00	योग:				13946.05 [#]	

[#] बुक समायोजन के रूप में ₹699.96 करोड़ (₹643.08 करोड़ + ₹56.88 करोड़) की राशि सम्मिलित है।

2009-10		2010-11		2009-10		2010-11				
				आयोजनेतर	योजनागत	जोड़				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	2552.51	VII-लोक ऋण प्रादियां		2411.06	866.81	VII-लोक ऋण की चुकोती				869.65
2483.49		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण	2372.26*			अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अतिरिक्त आंतरिक ऋण		807.39		
--		अधिविकर्ष सहित अर्थोपाय अग्रिमों के अंतर्गत निवल लेन-देन	-	-		अर्थोपाय अग्रिमों एवं अधिविकर्ष के अंतर्गत निवल लेन-देन		--		
69.02		केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	38.80			केन्द्रीय सरकार को ऋणों एवं अग्रिमों की चुकोती		62.26		
		VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोजन			-	VIII-आकस्मिकता निधि को विनियोजन				
		IX-आकस्मिकता निधि को अंतरित राशि				IX-आकस्मिकता निधि से व्यय				
	6821.13	X- लोक लेखा प्रादियां		8506.79	6421.00	X-लोक लेखा संवितरण				7161.95
1659.48		लघु बचतें एवं भविष्य निधियां	2165.72			लघु बचतें एवं भविष्य निधियां		1277.48		
294.82		आरक्षित निधियां	433.20			आरक्षित निधियां		494.15		
1223.55		निक्षेप एवं अग्रिम	1630.05			निक्षेप एवं अग्रिम		1297.09		
346.68		उचन्त एवं विविध	413.57			उचन्त एवं विविध		276.93		
3296.60		प्रेषण	3864.25			प्रेषण		3816.30		
		XI-भारतीय रिजर्व बैंक से इतिशेष अधिविकर्ष	-	-	281.16	XI-अंत में रोकड़ शेष				634.86
						खजानों में रोकड़ एवं स्थानीय प्रेषण		2.25		
						स्थायी अग्रिमों सहित विभागीय रोकड़ शेष		0.19		
						रिजर्व बैंक के पास निक्षेप		(-274.11)		
						रोकड़ शेष निवेश		906.53		
10386.72		योग:		11917.45	10386.72	योग:				11917.45

* बुक समायोजन के रूप में ₹643.08 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

* प्रादिकर्षों की तुलना में व्यय का संवर्धनी आधिक्य निम्न है न कि चालू वर्ष हेतु राजकीय/राजस्व घाटे से।

31.03.2010 को	प्रादिकर्षिता	31.03.2011 को	27256.56
5657.85	स्वाधीन प्रादिकर्षिताओं पर सकल पूंजीगत प्रादिकर्षिता-	16800.99	
2662.52	कर्मचारियों, निगमों आदि के श्रेणियों में निवेश	2863.53	
12995.33	अन्य पूंजीगत प्रादिकर्षिता	13937.46	
329.31	ऋण एवं अधिप्रादिकर्षिता	483.28	
200.47	विद्युत प्रादिकर्षिताओं हेतु ऋण	336.29	
76.84	अन्य विकास ऋण	99.52	
52.00	सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण	47.47	
	आरक्षित निधि निवेश		
281.16	रीकॉर्ड -	634.86	
3.46	खर्चों में रीकॉर्ड तथा स्थानीय प्रेषण	2.25	
(-) 305.09	भारतीय रिजर्व बैंक में निवेश	(-)274.11	
0.16	विभागीय रीकॉर्ड शेष	0.16	
0.03	स्थायी अधिप्रादिकर्षिता	0.03	
582.60	रीकॉर्ड शेष निवेश	906.53	
8099.67	प्रादिकर्षिताओं की तुलना में व्यय का संवर्धनी आधिक्य*	9337.43	
24367.99			27256.56

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2011 को हिमाचल प्रदेश सरकार की सांशुधित वित्तीय स्थिति

भाग-ख

(सन्दर्भ: परिच्छेद 1.1 तथा 1.7.1; पृष्ठ 1 व 24)

प्रादिकर्षिता-1.4

31.03.2010 को	दायित्व	31.03.2011 को
16129.00	आंतरिक ऋण	17693.88
8834.90	ब्याज वाले बाजार ऋण	9224.26
0.14	ब्याज रहित बाजार ऋण	0.03
379.86	भारतीय जीवन एवं सामान्य बीमा निगम से ऋण	331.27
964.32	नाबार्ड से ऋण	1131.60
13.16	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	31.03
4285.64	केन्द्र सरकार की एनएसएसएफ को जारी विशेष प्रतिभूतियां	4935.51
--	क्षतिपूर्ति एवं अन्य बंधपत्र	30.32
1650.98	अन्य संस्थाओं से ऋण	2009.86
983.95	केन्द्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम -	960.48
14.18	आयोजनेत्तर ऋण	11.82
930.89	राज्य योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	913.82
0.14	केन्द्रीय योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	0.12
38.61	केन्द्रीय प्रायोजित योजनागत स्कीमों हेतु ऋण	34.59
0.13	अन्य ऋण	0.13
5.00	आकस्मिकता निधि	5.00
5214.11	लघु बचतें, भविष्य निधि आदि	6102.35
1247.18	निक्षेप	1580.14
138.30	आरक्षित निधियां	77.35
170.73	उचन्त एवं विविध शेष	309.69
479.72	प्रेषण शेष	527.67
24367.99		27256.56

भारत सरकार की स्कीम	कार्यान्वयन एजेंसी	भारत सरकार द्वारा जारी	2010-11	2009-10	(₹ लाख में)
राज्य में कार्यान्वयन एजेंसियों को केन्द्रीय स्कीम निधियों का प्रत्यक्ष अंतरण (राज्य बजट से बाहर रखी गई निधियां) (लेखापरीक्षा रहित आंकड़े)					
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	6,36,25.00	3,95,42.50		
सर्व शिक्षा अभियान	डि०ए० प्राथमिक शिक्षा संस्था	1,37,86.66	86,08.00		
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान एनआईटी डीएचई	एनआईआईटी हमीरपुर	41,89.00	57,93.00		
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना	आरआईडीएफ	1,99,30.00	53,95.50		
एकीकृत जलानाम प्रबंधन कार्यक्रम	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	1,07,81.33	35,60.62		
विशेष श्रेणी राज्य हेतु पैकेज	डि०ए० राज्य औद्योगिक विकास निगम	29,84.00	19,00.00		
पर्वत स्थलों का विकास	डि०ए० पर्वत विकास बोर्ड	23,30.62	18,86.00		
उत्पाद/अवसंरचना	डि०ए० पर्वत विकास बोर्ड	23,30.62	18,86.00		
ग्रामीण आवास आइएचडी	परियोजना निदेशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	22,59.85	18,63.81		
संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास	उपायुक्त	16,00.00	12,00.00		
अस्पताल एवं औषधालय (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत)	डि०ए० में आयुष संस्थानों के विकासार्थ संस्था	21,54.13	11,18.87		
केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता स्कीम	राज्य जल एवं स्वच्छता मिशन	7,53.00	7,08.40		
केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता स्कीम	जिला जल एवं स्वच्छता मिशन उपायुक्त एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिमला	--	--		

को अंतरित निधियों को दर्शाने वाली विवरणी

2010-11 के दौरान राज्य बजट से बाहर कार्यक्रम/स्कीमों के अंतर्गत राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों

(सन्दर्भ: परिच्छेद 1.2.2; पृष्ठ 6)

परिशिष्ट-1.5

केन्द्रीय ग्रामीण स्वच्छता स्कीम	परियोजना निर्देशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	21,86.78	4,08.40
स्वर्ण ज्योती ग्राम स्वरोजगार योजना	परियोजना निर्देशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	12,78.48	9,92.78
जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्रशासन	परियोजना निर्देशक, जिला ग्रामीण विकास एजेंसी	6,37.63	8,17.74
ई-गवर्नेंस	एसआइटीईजी	4.35	7,84.00
एसटीडी निवृत्त सहित राष्ट्रीय एड्स निवृत्त कार्यक्रम	हि०५० राज्य एड्स निवृत्त संस्था	11,02.81	7,51.89
विस्तार सुधारों हेतु राज्य की सहायता	राज्य कृषि प्रबंधन एवं विस्तार प्रशिक्षण संस्थान हिमाचल प्रदेश	4,02.61	5,14.83
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज योजना	प्रधानाचार्य पंचायती राज प्रशिक्षण संस्थान, झिमा	2,43.00	4,89.26
राष्ट्रीय वनरोपण कार्यक्रम	वन विकास एजेंसी	3,45.00	3,59.04
पंचायत युवा क्रीडा एवं खेल अभियान	हि०५० क्रीडा परिषद्	10,12.85	3,27.60
कृषि आर्थिक नीति एवं विकास अध्ययन	हि०५० विश्वविद्यालय झिमा	4,06.54	2,68.09
विपणन बाई का विकास	एचपीएसए विपणन बाई झिमा	1,26.80	2,19.98
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु स्वास्थ्य बीमा योजना	राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्था	--	1,02.65
असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों हेतु स्वास्थ्य बीमा (राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना)	हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य बीमा संस्था	7,37.86	61.59
स्विर ग्रामीण जलपूर्ति स्कीम	राज्य जल स्वच्छता मिशन	--	1,27,81.60
नवीन एवं नवीकरणा ऊर्जा प्रौद्योगिकी में अनुसंधान एवं अधिग्रहण	चौधरी सरवण कुमार हि०५० कृषि विश्वविद्यालय	9.65	5.87
योग		9.65	5.87
सकल योग:	135218.57	92348.02	

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	बचत	प्रतिशतता
राजस्व					
1	03	स्वाय प्रशासन (राजस्व-दत्तमत)	97.04	16.51	
2	06	आवकरी एवं करायान (राजस्व-दत्तमत)	36.13	2.04	
3	08	शिक्षा (राजस्व-दत्तमत)	2505.02	33.53	
4	15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना (राजस्व-दत्तमत)	43.56	7.78	
5	20	ग्रामीण विकास (राजस्व-दत्तमत)	304.88	4.06	
6	22	खाद्य एवं नगरिक आपूर्ति (राजस्व-दत्तमत)	119.38	25.65	21
7	25	सड़क एवं जल परिवहन (राजस्व-दत्तमत)	101.44	3.38	
8	28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना तथा आवास (राजस्व-दत्तमत)	117.80	25.83	22
9	29	वित्त (राजस्व-प्रभारित)	2232.20	282.43	
पूर्जीगत					
10	03	स्वाय प्रशासन (पूर्जीगत-दत्तमत)	28.47	2.04	
11	08	शिक्षा (पूर्जीगत-दत्तमत)	135.05	30.57	23
12	10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल तथा भवन (पूर्जीगत-दत्तमत)	261.16	1.58	
13	15	योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना (पूर्जीगत-दत्तमत)	170.42	27.62	
14	19	सामाजिक स्वाय एवं अधिकारिता (पूर्जीगत-दत्तमत)	9.54	1.22	
15	25	सड़क एवं जल परिवहन (पूर्जीगत-दत्तमत)	33.02	15.32	46
16	28	शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना व आवास (पूर्जीगत-दत्तमत)	26.38	1.63	
17	29	वित्त (पूर्जीगत-दत्तमत)	7.96	1.84	23
18	31	जनजातीय विकास (पूर्जीगत-दत्तमत)	134.92	1.67	
19	32	अनुपूर्वित्त जालि उप-योजना (पूर्जीगत-दत्तमत)	423.38	18.49	
20	29	वित्त (पूर्जीगत-प्रभारित)	1026.04	156.39	

(₹ करोड़ में)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहाँ बचत प्रत्येक में ₹ एक करोड़ अथवा कम प्रावधान के पांच मामलों में 20 प्रतिशत से अधिक थी

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 34)

परिशिष्ट-2.1

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.2; पृष्ठ 35)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहां व्यय प्रत्येक में ₹ एक करोड़ से अधिक तथा कुल प्रावधान का 20 प्रतिशत से अधिक था

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोजन का नाम	कुल अनुदान/विनियोजन	व्यय	अधिक व्यय	अधिक व्यय की प्रतिशतता (20 प्रतिशत से अधिक)
राजस्व-दत्तमत						
1.	05	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	358.11	769.26	411.15	115
2.	07	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	481.06	489.33	8.27	--
3.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	655.67	690.98	35.31	--
4.	10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	1614.22	1833.83	219.61	--
5.	11	कृषि	184.33	196.54	12.21	--
6.	12	बागवानी	124.54	131.28	6.74	--
7.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	1049.50	1636.22	586.72	56
8.	14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	163.88	177.82	13.94	--
9.	16	वन एवं वन्य प्राणी	309.11	313.00	3.89	--
10.	18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति तथा सूचना प्रौद्योगिकी	45.11	48.63	3.52	--
11.	23	विद्युत विकास	163.37	795.13	631.76	387
12.	27	श्रम रोजगार तथा प्रशिक्षण	56.80	59.83	3.03	--
13.	29	वित्त	1936.00	2138.59	202.59	--
14.	31	जनजातीय विकास	483.83	519.11	35.28	--
15.	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	329.32	336.72	7.40	--
पूंजीगत-दत्तमत						
16.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	396.80	443.84	47.04	--
17.	23	विद्युत विकास	251.10	254.07	2.97	--
पूंजीगत-प्रभारित						
18.	10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	3.32	5.42	2.10	63
योग			8606.07	10839.60	2233.53	

परिशिष्ट-2.3

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.5; पृष्ठ 37)

विगत वर्षों के प्रावधान की तुलना में आधिक्य के नियमितिकरण की आवश्यकता

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों/विनियोजनों की संख्या	अनुदान/विनियोजन संख्या	आधिक्य राशि	लोक लेखा समिति द्वारा विचाराधीन अवस्था
2008-09	11 अनुदान 3 विनियोजन	7, 10, 12, 13, 14, 16, 20, 28, 30, 31 तथा 32 2,3 तथा 29	556.52	लेखापरीक्षा टिप्पणियां वित्त विभाग/हिमाचल प्रदेश विधानसभा को भेज दी गईं। लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन पर अभी चर्चा की जानी है।
2009-10	19 अनुदान 1 विनियोजन	1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 14, 16, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29 तथा 32 10	887.80	स्वयंमेव उत्तर वित्त विभाग से अभी तक प्रतीक्षित हैं। लोक लेखा समिति द्वारा प्रतिवेदन पर अभी चर्चा की जानी है।
योग			1444.32	

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.6; पृष्ठ 37)

2010-11 के दौरान प्रावधान की तुलना में आधिक्य के नियमितकरण की आवश्यकता

(राशि ₹ में)

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन की संख्या तथा शीर्षक (राजस्व तथा पूंजीगत)	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य
1.	01-विधान सभा	12,73,31,000	12,97,12,761	23,81,761
2.	04-सामान्य प्रशासन	93,83,41,116	94,80,78,714	97,37,598
3.	05-भू-राजस्व तथा जिला प्रशासन	358,11,03,919	769,26,00,526	411,14,96,607
4.	07-पुलिस तथा सम्बद्ध संगठन	481,06,15,295	489,32,57,367	8,26,42,072
5.	09-स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	655,67,34,000	690,98,43,116	35,31,09,116
6.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन	1614,22,34,000	1833,82,55,928	219,60,21,928
7.	11-कृषि	184,33,25,000	196,53,53,818	12,20,28,818
8.	12-बागवानी	124,54,07,000	131,27,54,734	6,73,47,734
9.	13-सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	1049,49,88,000	1636,21,70,729	586,71,82,729
10.	14-पशुपालन, दुग्ध विकास व मत्स्य	163,87,55,200	177,81,89,537	13,94,34,337
11.	16-वन व वन्य प्राणी	309,11,00,000	313,00,25,060	3,89,25,060
12.	18-उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	45,11,38,000	48,63,27,445	3,51,89,445
13.	23-विद्युत विकास	163,36,72,000	795,12,92,899	631,76,20,899
14.	26-पर्यटन एवं नागरिक विमानन	8,50,00,000	8,88,34,076	38,34,076
15.	27-श्रम, रोजगार एवं प्रशिक्षण	56,80,39,000	59,82,66,977	3,02,27,977
16.	29-वित्त	1935,99,87,000	2138,59,32,863	202,59,45,863
17.	30-विविध सामान्य सेवाएं	48,18,57,000	48,83,82,303	65,25,303
18.	31-जनजातीय विकास	483,82,77,000	519,10,86,689	35,28,09,689
19.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	329,32,05,000	336,71,54,314	7,39,49,314
20.	07-पुलिस तथा सम्बद्ध संगठन (पूंजीगत-दत्तमत)	20,20,94,000	20,90,64,000	69,70,000
21.	11-कृषि (पूंजीगत-दत्तमत)	64,32,80,000	64,52,99,282	20,19,282
22.	13-सिंचाई, जल आपूर्ति एवं स्वच्छता (पूंजीगत-दत्तमत)	396,80,37,075	443,84,43,123	47,04,06,048
23.	14-पशुपालन, दुग्ध विकास व मत्स्य (पूंजीगत-दत्तमत)	8,31,46,000	9,19,78,000	88,32,000
24.	23- विद्युत विकास (पूंजीगत-दत्तमत)	251,10,01,000	254,07,25,000	2,97,24,000
25.	02-राज्यपाल तथा मंत्री परिषद् (राजस्व-प्रभारित)	3,29,66,000	3,39,98,864	10,32,864
26.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन (पूंजीगत-प्रभारित)	3,32,10,000	5,41,81,949	2,09,71,949
	योग	8865,48,43,605	11103,12,10,074	2237,63,66,469 अथवा ₹2237.64 करोड़

परिशिष्ट-2.5

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.7; पृष्ठ 38)

मामले जहां अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए

(रु हजार में)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचतें	अनुपूरक प्रावधान
पूजीगत					
1.	16-वन व वन्य प्राणी	2,80,01	2,47,69	32,32	11,99
2.	31-जनजातीय विकास	134,01,38	133,24,26	77,12	90,23
3.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	420,68,00	404,89,30	15,78,70	2,69,89
	योग	557,49,39	540,61,25	1,68,814	3,72,11 अथवा रु3.72 करोड़

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.7; पृष्ठ 38)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों की विवरणी जहां अनुपूरक प्रावधान प्रत्येक मामले में ₹ एक करोड़ से अधिक तक अपर्याप्त सिद्ध हुए

क्रमांक	अनुदान संख्या	अनुदान तथा विनियोजन का नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	जोड़	व्यय	आधिक्य (₹ करोड़ में)
राजस्व							
1.	05	भू-राजस्व एवं जिला प्रशासन	324.19	33.92	358.11	769.26	411.15
2.	07	पुलिस एवं सम्बद्ध संगठन	421.77	59.29	481.06	489.33	8.27
3.	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	588.68	66.99	655.67	690.98	35.31
4.	11	कृषि	122.71	61.62	184.33	196.54	12.21
5.	12	बागवानी	95.33	29.21	124.54	131.28	6.74
6.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	999.16	50.34	1049.50	1636.22	586.72
7.	14	पशुपालन, दुग्ध विकास एवं मत्स्य	135.37	28.50	163.87	177.82	13.95
8.	23	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	156.21	7.16	163.37	795.13	631.76
9.	29	वित्त	1885.54	50.46	1936.00	2138.59	202.59
10.	31	जनजातीय विकास	467.91	15.92	483.83	519.11	35.28
पूंजीगत							
11.	10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन (प्रभारित)	0.00	3.32	3.32	5.42	2.10
12.	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता	334.17	62.63	396.80	443.84	47.04
योग			5531.04	469.36	6000.40	7993.52	1993.12

क्रमांक	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्षक	पूर्वावधि	अन्तिम आधिसूच्य (+) / वधत (-)
1	05	भू-राजस्व व जिला प्रशासन	2245-05-101-01	8,491.00	(-) 11,767.70
2	07	पुलिस एवं सशस्त्र संगठन	2055-109-01	171.60	542.04
3	09	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2210-02-001-02	29.63	582.69
4			2210-03-110-01	1,351.68	385.57
5			2210-04-101-02	39.02	1,280.96
6	10	लोक निर्माण-सड़कें, पुल एवं भवन	2059-80-799-01	6,651.94	3,663.11
7			3054-04-105-06	(-)8,615.53	616.99
8	11	कृषि	2401-800-12	(-)0.02	284.68
9			2401-800-13	127.32	593.30
10	12	बागवानी	2401-119-19	2.27	203.65
11	13	सिंचाई, जलापूर्ति एवं खजला	2215-01-001-01	34.62	561.50
12			2215-01-001-02	432.23	384.40
13			2215-01-101-02	(-)36.78	1,283.81
14			2215-01-102-03	(-)0.02	997.90
15			2215-01-102-03	1,298.06	2,232.01
16			2215-01-799-01	45.25	14,843.22
17			2702-80-001-02	(-)83.49	1,406.33
18			2702-80-001-01	(-)1,325.81	1,058.71
19			4215-01-102-01	(-)0.20	4,801.62
20			4215-01-102-18	(-)0.01	520.81
21			4215-01-102-19	(-)0.01	1,266.12
22			4701-12-800-02	(-)0.29	201.07
23			4702-799-01	2,769.70	(-) 387.93
24	16	वन एवं वन्य प्राणी	2406-01-001-02	203.28	374.96
25	17	सूना	2015-109-01	(-)248.25	236.34
26	18	उद्योग, खनिज, आपूर्ति एवं सूचना प्रौद्योगिकी	2851-102-19	(-)747.15	202.18
27	19	सामाजिक स्थाप एवं अधिकांश	2235-60-200-11	1,183.58	205.75
28	29	वित्त	2071-01-101-02	(-)4,112.48	15,724.67
29			2071-01-102-02	4,045.53	(-)1,229.42
30			2071-01-105-02	4,232.19	7,275.86
31			2071-01-115-01	1,778.31	1,142.63
32			2071-01-101-03	(-)3,384.64	(-) 4,063.83
33			2071-01-101-04	(-)288.44	(-) 786.34

(₹ लाख में)

निधियों का आधिसूच्य/अनावश्यक/अध्याय पूर्व निर्दिष्ट

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.8; पृष्ठ 38)

परिशिष्ट-2.7

क्रमांक	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	पुनर्विनियोजन	अन्तिम आधिक्य (+)/ बचत (-)
34			2049-01-101-01	1,651.99	(-)1,652.00
35			2049-01-101-02	821.99	(-) 822.00
36			2049-01-101-03	1,649.99	(-)1,650.00
37			2049-01-101-05	4,898.75	(-) 4,898.76
38			2049-01-101-51	432.90	(-) 432.91
39			2049-01-200-07	200.00	(-) 235.35
40			2049-01-200-19	(-)500.00	(-) 212.71
41			2049-01-200-21	1,177.79	(-) 41,500.00
42			2049-01-101-04	2,555.99	(-)1,731.00
43			2049-03-104-03	(-)152.08	235.72
44			2049-03-108-01	(-)205.58	342.69
45			6003-106-01	702.47	(-)702.48
46	31	जनजातीय विकास	2202-02-796-03	60.48	201.01
47			2215-01-796-01	239.74	(-) 221.21
48			2215-01-796-01	13.96	260.03
49			3054-04-796-02	(-)29.12	980.22
50			2215-01-796-09	137.41	(-) 288.31
51	32	अनुसूचित जाति उप-योजना	2210-03-789-01	(-)13.96	405.07
52			4202-01-789-05	(-)6.25	(-) 618.75
53			4210-02-789-01	(-)4.71	(-) 466.30
54			4701-01-789-05	(-)300.00	300.00
55			4701-20-789-04	299.99	(-) 300.00

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.10; पृष्ठ 38)

वर्ष के दौरान किए गए पर्याप्त अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (₹ लाख में)	अभ्यर्पण राशि (₹10 लाख तथा इससे ऊपर)	कुल प्रावधान के सम्बन्ध में अभ्यर्पण की प्रतिशतता
1	3	2014-105-04	555.00	555.00	100
2	3	2014-114-05	100.00	82.72	83
3	3	2059-01-053-40	71.00	51.00	72
4	3	2070-105-04	20.80	18.79	90
5	3	4059-01-051-29	200.00	200.00	100
6	8	2202-111-01	3300.00	2475.00	75
7	8	2202-800-05	21.80	20.69	95
8	15	3451-101-01	350.00	350.00	100
9	15	5002-01-120-01	2500.00	2500.00	100
10	15	5475-800-05	200.00	200.00	100
11	16	4406-01-070-01	50.00	26.32	53
12	19	4225-80-800-03	50.00	50.00	100
13	25	5055-800-01	1532.00	1532.00	100
14	29	3454-02-112-03	163.00	120.62	74
15	29	2049-01-200-05	400.00	289.90	72
16	29	2049-01-200-08	1000.00	999.00	99.90
17	29	2049-01-200-20	27900.00	15730.00	56
18	29	2049-03-104-03	160.00	152.08	95
19	29	7610-201-01	36.00	24.75	69
		योग	38609.60	25377.87	
			अथवा	अथवा	
			₹386.10	₹253.78	
			करोड़	करोड़	

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.10; पृष्ठ 38)

वर्ष के दौरान शत प्रतिशत अभ्यर्पण को दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	अनुदान संख्या व शीर्षक	स्कीम का नाम (लेखा शीर्ष)	अभ्यर्पण राशि (₹ लाख में)	अभ्यर्पण की प्रतिशतता
1.	03-न्याय प्रशासन	13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत प्रातःकालीन व सांयकालीन न्यायालयों पर व्यय (2014-105-04)	555.00	100
कोडल औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
2.	03-न्याय प्रशासन	13वें वित्त आयोग के अन्तर्गत न्यायिक अकादमी के भवन निर्माण पर व्यय (4059-01-051-29)	200.00	100
कोडल औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
3.	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	मुख्यालय (3451-101-01)	350.00	100
कोडल औपचारिकताओं को पूरा न करने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
4.	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	रेलवे लाईनों का निर्माण (5002-01-120-01)	2,500.00	100
मुख्य कार्यों के निष्पादन हेतु योजना सीमा में कमी के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
5.	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	जिला योजना अधिकारी/स्टॉफ को सरकारी आवास का निर्माण (5475-800-05)	200.00	100
योजना सीमा में कमी के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया। 2008-09 तथा 2009-10 के दौरान समस्त राशि भी अभ्यर्पित की गई				
6.	19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	अन्य पिछड़े वर्ग के लड़कों/लड़कियों के छात्रावास का निर्माण (4225-80-800-03)	50.00	100
मुख्य कार्यों का निष्पादन न करने के कारण समस्त प्रावधान अभ्यर्पित किया गया				
7.	25-सड़क एवं जल परिवहन	हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा जुटाए गए ऋण की चुकौती (5055-800-01)	1,532.00	100
			योग	5387.00
				अथवा
				₹53.87
				करोड़

क्रमांक	अनुदान/विनियोजन की संख्या व नाम	कुल अनुदान/ विनियोजन	बचत	अभ्यर्षित राशि	राशि अधिक अभ्यर्षित
राजस्व-दस्तावेज					
1.	06-आवकती एवं करायाम	36.13	2.04	3.41	1.37
2.	15-योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना	43.56	7.78	8.64	0.86
3.	19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	288.91	0.54	3.36	2.82
4.	20-ग्रामीण विकास	304.88	4.06	5.84	1.78
5.	21-सहकारिता	27.34	0.70	0.76	0.06
6.	25-सड़क एवं जल परिवहन	101.44	3.38	3.40	0.02
7.	28-शहरी विकास, नगर एवं ग्राम योजना व आवास	117.80	25.83	25.93	0.10
राजस्व-प्रशासन					
8.	03-न्याय प्रशासन	23.03	0.66	0.68	0.02
9.	29-विद्युत	2232.20	282.43	288.11	5.68
योग		3175.29	327.42	340.13	12.71

₹ करोड़ में)

वार्षिक बचत से अधिक का अभ्यर्षण (₹50 लाख अथवा इससे अधिक)

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.11; पृष्ठ 39)

परिशिष्ट-2.10

परिशिष्ट-2.11
(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.13; पृष्ठ 40)

व्यय का तीव्र प्रवाह

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	अनुदान संख्या व नाम	स्कीम/सेवा का लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2011 के दौरान किया गया व्यय	मार्च 2011 में किया गया व्यय	कुल व्यय	अवधि के दौरान किए गए कुल व्यय की प्रतिशतता	
						जनवरी-मार्च 2011	मार्च 2011
1.	03-न्याय प्रशासन	4059-01-051-15	12.39	10.75	17.94	69	60
2.	05-भू-राजस्व व जिला प्रशासन	2245-80-102-01	150.00	150.00	150.00	100	100
3.	08-शिक्षा	2202-01-111-01	46.50	25.65	46.50	100	55
4.	08-शिक्षा	2202-01-111-02	13.26	13.26	13.26	100	100
5.	08-शिक्षा	2202-03-102-01	26.51	26.51	26.51	100	100
6.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	2059-80-053-04	12.67	10.09	18.72	68	54
7.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	3054-03-103-11	57.30	43.21	84.07	68	51
8.	10-लोक निर्माण-सड़कें, पुल व भवन	3054-04-105-06	155.48	117.86	216.18	72	55
9.	11-कृषि	2401-00-800-13 (SONA)	20.40	19.11	34.25	60	56
10.	13-सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	2702-80-001-06	47.83	37.80	65.34	73	58
11.	13-सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	4215-01-101-01	12.15	11.88	14.00	87	85
12.	13-सिंचाई, जल आपूर्ति व स्वच्छता	4702-00-101-06	10.94	10.26	13.26	83	77
13.	19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2235-60-102-01	38.51	38.51	38.51	100	100
14.	19-सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	2235-60-102-02	15.81	15.81	15.81	100	100
15.	23-विद्युत विकास	2801-80-101-02	643.07	643.07	650.10	99	99
16.	23-विद्युत विकास	4801-01-190-07	32.75	32.75	45.00	73	73
17.	29-वित्त	2049-01-101-71	12.78	12.78	13.08	98	98
18.	29-वित्त	2049-01-101-82	34.38	34.38	51.18	67	67
19.	29-वित्त	2071-01-101-02	166.96	164.83	196.12	85	84
20.	29-वित्त	3054-04-796-05	27.15	26.93	28.64	95	94
21.	31-जनजातीय विकास	5054-04-796-01 (SONM)	18.74	17.95	33.02	57	54
22.	32-अनुसूचित जाति उप-योजना	4215-01-789-04 (SOOS)	34.11	33.91	36.46	94	93
23.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	4702-00-789-06 (SOOS)	12.23	11.92	12.50	98	95
24.	32- अनुसूचित जाति उप-योजना	6801-00-789-06 (SOOS)	58.20	58.20	58.20	100	100

परिशिष्ट-2.12
(संदर्भ: परिच्छेद 2.4.1; पृष्ठ 41)

(i) 2006-11 के लिए सार आकस्मिक तथा विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का वर्ष-वार ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सार आकस्मिक बिल		विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल		सार आकस्मिक बिलों की प्रतिशतता के रूप में विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिल	बकाया सार आकस्मिक बिल	
	संख्या	राशि	संख्या	राशि		संख्या	राशि
2006-07	340	25.38	335	20.66	99	5	4.72
2007-08	314	25.43	306	21.64	97	8	3.79
2008-09	308	69.95	282	40.58	92	26	29.37
2009-10	241	83.77	219	63.12	91	22	20.65
2010-11	276	24.28	225	1.51	82	51	22.77
योग	1479	228.81	1367	147.51		112	81.30

(ii) सार आकस्मिक बिलों के प्रति विस्तृत आकस्मिक बिलों को प्रस्तुत करने में लम्बन की विभागवार स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विभाग	सार आकस्मिक बिलों की संख्या	राशि
1.	पशुपालन	1	0.0006
2.	आयुर्वेद	36	11.52
3.	सहकारिता	2	0.0007
4.	प्रारम्भिक शिक्षा	41	65.57
5.	वित्त (कोषालय एवं लेखा)	2	0.08
6.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	16	3.76
7.	श्रम एवं रोजगार	6	0.0017
8.	भाषा, कला एवं संस्कृति	1	0.001
9.	पंचायती राज	1	0.0008
10.	राजस्व (भूमि अभिलेख)	1	0.003
11.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	1	0.004
12.	जनजातीय विकास	1	0.005
13.	युवा सेवाएं एवं क्रीड़ा	3	0.36
	योग	112	81.3068 अथवा ₹81.30 करोड़

स्रोत: विभागों द्वारा आपूरित सूचना से लेखापरीक्षा द्वारा संकलित आंकड़े

परिशिष्ट-2.13

(संदर्भ: परिच्छेद 2.5; पृष्ठ 42)

31 मार्च 2011 को प्रतिकूल/नकारात्मक शेष को दर्शाने वाली विवरणी

(राशि ₹ में)

मुख्य शीर्ष/लघु शीर्ष	खजाना/आहरण एवं संवितरण अधिकारी	अथ शेष	क्रेडिट	डेबिट	अन्त शेष
8448- स्थानीय निधि निक्षेप					
102-नगर निधि	अधिसूचित क्षेत्र समिति चौपाल	(-) 16,438	--	--	(-) 16,438
8448-स्थानीय निधि निक्षेप					
109-पंचायत निकाय निधि	पी एस बंजार	(-) 25,036	38,590	36,090	(-) 22,536
8449-अन्य निक्षेप					
120-विविध निक्षेप	प्रधानाचार्य एस वी एस डी महाविद्यालय भटोली	2,09,226	71,12,052	73,21,778	(-) 500
	योग	1,67,752	71,50,642	73,57,868	(-) 39,474

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: परिच्छेद 3.1; पृष्ठ 45)

31 मार्च 2011 को बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र

(₹ लाख में)

क्रमांक	लेखा शीर्ष	वर्ष	देय उपयोगिता प्रमाणपत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाणपत्र	
			मद संख्या	राशि	मद संख्या	राशि
1	2011- संसद/राज्य/संघ क्षेत्र विधानसभा	2009-10	1	8.23		
			1	8.23	-	-
2	2055- पुलिस	2008-09	1	25.00	1	25.00
			1	25.00	1	25.00
3	2070 - अन्य प्रशासकीय सेवाएं	2009-10	11	221.77	11	221.77
			11	221.77	11	221.77
4	2075- विविध सामान्य सेवाएं	2006-07	9	128.25	9	128.25
		2007-08	18	211.54	18	211.54
		2008-09	17	181.92	17	181.92
		2009-10	13	168.10	13	168.10
		57	689.81	57	689.81	
5	2202- सामान्य शिक्षा	2006-07	23	1242.01	-	-
		2007-08	2,887	1857.13	-	-
		2008-09	15,981	13086.81	-	-
		2009-10	13,736	14181.30	3185	4574.42
		32,627	30367.25	3,185	4574.42	
6	2204- क्रीड़ा एवं युवा सेवाएं	2005-06	3	110.43	-	-
		2006-07	13	87.43	9	66.38
		2007-08	10	52.84	10	52.84
		2008-09	23	383.88	17	254.48
		2009-10	31	490.43	31	490.43
80	1125.01	67	864.13			
7	2205- कला एवं संस्कृति	2005-06	66	50.66	1	16.50
		2006-07	220	68.94	160	36.74
		2007-08	229	46.55	229	46.55
		2008-09	344	46.56	344	46.56
		2009-10	31	234.44	31	234.44
890	447.15	765	380.79			
चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य						
8	2210- चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	2006-07	5	8.50	-	-
		2007-08	3	3.00	-	-
		2008-09	123	484.98	123	484.98

		2009-10	504	2973.22	504	2973.22
			635	3469.70	627	3458.20
9	2211-परिवार स्वास्थ्य	2009-10	19	1152.58	19	1152.58
			19	1152.58	19	1152.58
	योग (चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य)		654	4622.28	646	4610.78
	शहरी विकास					
10	3054- सड़क एवं पुल	2008-09	2	600.00	2	600.00
		2009-10	2	600.00	2	600.00
			4	1200.00	4	1200.00
11	2217- शहरी विकास	2007-08	15	2277.89	3	400.52
		2008-09	34	3373.65	24	2945.77
		2009-10	42	10563.26	28	6675.00
			91	16214.80	55	10022.29
	योग (शहरी विकास)		95	17414.80	59	11222.29
	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता					
12	2225- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति व अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	2006-07	15	653.67	11	607.17
		2007-08	37	1114.91	29	974.96
		2008-09	46	1355.54	34	1157.92
		2009-10	34	1670.99	34	1670.99
			132	4795.11	108	4411.04
13	2235- सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	2006-07	40	72.49	40	72.49
		2007-08	158	995.50	52	858.80
		2008-09	743	1233.28	100	702.53
		2009-10	283	1505.71	204	1089.94
			1,224	3806.98	396	2723.76
14	2250- अन्य सामाजिक सामुदायिक सेवाएं	2006-07	1	0.88	-	-
		2007-08	1	0.27	-	-
		2008-09	1	0.27	-	-
		2009-10	1	0.27	-	-
			4	1.69		
	योग (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता)		1360	8603.78	504	7134.80
15	2230- श्रम एवं रोजगार	2009-10	1	5.00	-	-
			1	5.00		
	सचिवालय व सामाजिक सेवाएं					
16	2052 - सचिवालय सामान्य सेवाएं	2009-10	8	71.75	-	-
			8	71.75		
17	2251- सचिवालय सामाजिक सेवाएं	2007-08	2	94.26	2	94.26
		2008-09	8	275.43	8	275.43
		2009-10	14	395.81	14	395.81
			24	765.50	24	765.50
	योग (सचिवालय व सामाजिक सेवाएं)		32	837.25	24	765.50
18	2401- फसल कृषि	2008-09	1	50.00	-	-
		2009-10	10	296.50	-	-
			11	346.50		

19	2403- पशुपालन	2007-08	1	50.00	1	50.00
		2008-09	14	387.10	6	116.53
		2009-10	15	635.40	7	105.00
			30	1072.50	14	271.53
20	2404- दुग्ध विकास	2009-10	8	1290.00	-	-
			8	1290.00	-	-
21	2405- मत्स्य	2009-10	10	22.53	-	-
			10	22.53	-	-
22	2406- वानिकी व वन्य प्राणी	2007-08	1	21.69	1	4.70
		2008-09	8	339.75	4	127.28
		2009-10	25	1377.60	24	603.37
			34	1739.04	29	735.35
23	2408- खाद्य भण्डारण एवं गोदाम	2008-09	1	5.00	-	-
		2009-10	49	28.85	-	-
			50	33.85	-	-
24	2415- कृषि अनुसंधान व शिक्षा	2007-08	9	191.00	-	-
		2008-09	22	3798.00	5	283.25
		2009-10	42	8443.12	24	4121.12
			73	12432.12	29	4404.37
25	2425- सहकारिता	2007-08	3	0.62	-	-
		2008-09	80	12.57	-	-
		2009-10	219	141.38	62	13.99
			302	154.57	62	13.99
	ग्रामीण विकास					
26	2216- आवास	2003-04	6	110.13	-	-
		2004-05	23	103.43	-	-
		2005-06	20	275.93	-	-
		2006-07	31	420.55	13	71.51
		2007-08	83	1158.62	49	552.62
		2008-09	111	1731.62	76	1202.43
		2009-10	129	2792.67	125	2667.52
			403	6592.95	263	4494.08
27	2501- विशेष कार्यक्रम	2000-01	2	415.78	-	-
		2004-05	38	656.09	2	27.02
		2005-06	50	443.08	9	61.04
		2006-07	66	1099.22	17	305.69
		2007-08	111	1109.62	58	539.49
		2008-09	190	1469.28	108	840.52
		2009-10	172	1411.97	161	1262.85
			629	6605.04	355	3036.61
28	2505- ग्रामीण रोजगार	2003-04	10	67.01	-	-
		2004-05	5	83.97	2	55.99
		2006-07	11	328.81	6	217.35
		2007-08	39	1270.54	5	104.83

		2008-09	73	3503.35	2	816.89
		2009-10	39	5454.09	10	3401.53
			177	10707.77	25	4596.59
29	2515- अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2001-02	151	627.41	151	627.41
		2002-03	45	1214.18	37	1118.51
		2003-04	162	1039.48	73	1020.50
		2004-05	325	1789.40	205	1575.34
		2005-06	415	1742.24	298	1665.33
		2006-07	566	4774.20	302	4111.65
		2007-08	685	8182.26	314	5911.03
		2008-09	890	13399.98	500	11750.00
		2009-10	765	13545.05	713	12638.01
			4,004	46314.20	2,593	40417.78
	योग (ग्रामीण विकास)		5213	70219.96	3,236	52545.07
30	2801- विद्युत	2009-10	4	90.00	-	-
			4	90.00	-	-
31	2810- ऊर्जा के गैर-परम्परागत स्रोत	2009-10	3	126.00	-	-
			3	126.00	-	-
32	2851- ग्राम एवं लघु उद्योग	2005-06	4	0.21	4	0.21
		2006-07	514	73.54	514	73.54
		2007-08	93	87.56	93	87.56
		2008-09	93	86.15	90	85.00
		2009-10	124	1042.74	117	1042.42
			828	1290.20	818	1289.73
33	3425- अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	2006-07	2	60.83	-	-
		2007-08	6	60.52	-	-
		2009-10	4	69.57	-	-
			12	190.92	-	-
34	3435- पारिस्थितिकी पर्यावरण	2009-10	7	28.69	1	5.20
			7	28.69	1	5.20
35	3451- सचिवालय आर्थिक सेवाएं	2009-10	5	338.00	1	3.66
			5	338.00	1	3.66
36	3452- पर्यटन	1998-99	1	137.00	1	137.00
		2004-05	1	4.40	-	-
		2008-09	1	45.00	1	45.00
		2009-10	3	3.00	2	2.00
			6	189.40	4	184.00
37	3604- स्थानीय निकायों को क्षतिपूर्ति व समनुदेशन	2008-09	16	396.58	16	396.57
		2009-10	18	429.35	18	429.36
			34	825.93	34	825.93
	सकल योग:		42,439	154757.54	9547	90768.12

परिशिष्ट-3.2

(संदर्भ: परिच्छेद 3.2; पृष्ठ 46)

स्वायत्त निकायों का प्रदर्शन दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	निकाय का नाम	सौंपने की अवधि	वर्ष जब तक लेखे प्रस्तुत किए गए	अवधि जब तक पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करना	लेखाओं को प्रस्तुत करने में विलम्ब	विलम्ब की अवधि
1	हिमाचल प्रदेश राज्य पशु-चिकित्सा परिषद्, शिमला	2005-06 से आगे	2010-11	2009-10	2008-09	2010-11	2 महीने
2	हिमाचल प्रदेश राज्य विधि सेवाएं प्राधिकारी, शिमला	लेखापरीक्षा को विधि सेवाएं प्राधिकारी अधिनियम, 1987 की धारा 18(2) में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जा रहा है	2010-11	2009-10	2009-10	कोई विलम्ब नहीं	--
3	जिला विधि सेवाएं प्राधिकारी, शिमला		2010-11	2009-10	2009-10	2010-11	1 महीना
4	जिला विधि सेवाएं प्राधिकारी, सोलन		2010-11	2009-10	2009-10	कोई विलम्ब नहीं	--
5	जिला विधि सेवाएं प्राधिकारी, हमीरपुर		2010-11	2009-10	2009-10	2010-11	2 महीने
6	जिला विधि सेवाएं प्राधिकारी, धर्मशाला		2010-11	2009-10	2009-10	2010-11	2 महीने
7	जिला विधि सेवाएं प्राधिकारी, ऊना		2010-11	2009-10	2009-10	2010-11	2 महीने
8	जिला विधि सेवाएं प्राधिकारी, मंडी		2010-11	2009-10	2009-10	2010-11	1 महीना
9	जिला विधि सेवाएं प्राधिकारी, नाहन		2010-11	2009-10	2009-10	2010-11	1 महीना
10	जिला विधि सेवाएं प्राधिकारी, बिलासपुर		2010-11	2009-10	2009-10	2010-11	1 महीना
11	जिला विधि सेवाएं प्राधिकारी, चम्बा		2010-11	2009-10	2009-10	2010-11	1 महीना
12	जिला विधि सेवाएं प्राधिकारी, किन्नौर स्थित रामपुर		2010-11	2009-10	2009-10	2010-11	2 महीने
13	जिला विधि सेवाएं प्राधिकारी, कुल्लू एवं लाहौल स्पीति स्थित कुल्लू		2010-11	2009-10	2009-10	2010-11	2 महीने

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: परिच्छेद 3.3; पृष्ठ 46)

दुर्विनियोजन, गबन आदि के मामलों का विभागवार/अवधिवार ब्यौरा

क्रमांक	विभाग का नाम	5 वर्षों तक		5 से 10 वर्ष		10 से 15 वर्ष		15 से 20 वर्ष		20 से 25 वर्ष		25 वर्षों से अधिक		मामलों की कुल संख्या	
		ग	क	ग	क	ग	क	ग	क	ग	क	ग	क	ग	क
1	शिक्षा	2	2.19	1	0.71	1	0.48	--	--	1	0.59	1	0.14	6	4.11
2	ग्रामीण विकास	1	4.68	1	शून्य	--	--	--	--	--	--	--	--	2	4.68
3	कृषि	2	9.46	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	9.46
4	भू-राजस्व	--	--	--	--	1	2.57	--	--	--	--	--	--	1	2.57
5	पुलिस	--	--	2	1.51	--	--	--	--	--	--	--	--	2	1.51
6	राजस्व	--	--	1	0.31	--	--	--	--	--	--	1	0.02	2	0.33
7	गृह रक्षा	--	--	--	--	2	25.37	--	--	--	--	1	0.05	3	25.42
8	पशुपालन	--	--	1	0.17	--	--	--	--	--	--	2	0.93	3	1.10
9	निदेशक योजना	--	--	1	2.97	--	--	--	--	--	--	--	--	1	2.97
10	हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग	--	--	1	2.96	--	--	--	--	--	--	--	--	1	2.96
11	स्वास्थ्य	--	--	1	0.95	--	--	--	--	--	--	--	--	1	0.95
12	वन	--	--	1	2.38	--	--	--	--	1	0.20	1	0.20	3	2.78
13	लोक निर्माण	--	--	--	--	6	7.43	1	1.05	2	0.77	7	2.78	16	12.03
14	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	1	0.89	1	0.02	1	7.69	--	--	2	0.31	--	--	5	8.91
योग:		6	17.22	11	11.98	11	43.54	1	1.05	6	1.87	13	4.12	48	79.78

ग: मामलों की संख्या
क: राशि (₹ लाख में)

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: परिच्छेद 3.3; पृष्ठ 46)

चोरी, सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हानि मामलों का
विभागवार/श्रेणीवार ब्यौरा

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सामग्री का दुर्विनियोजन/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ लाख में)
शिक्षा	2	2.19	4	1.92	6	4.11
ग्रामीण विकास	--	--	2	4.68	2	4.68
कृषि	--	--	2	9.46	2	9.46
भू-राजस्व	--	--	1	2.57	1	2.57
पुलिस	--	--	2	1.51	2	1.51
राजस्व	1	0.31	1	0.02	2	0.33
गृह रक्षा	--	--	3	25.42	3	25.42
पशुपालन	1	0.17	2	0.93	3	1.10
योजना	1	2.97	--	--	1	2.97
हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग	--	--	1	2.96	1	2.96
स्वास्थ्य	--	--	1	0.95	1	0.95
वन	--	--	3	2.78	3	2.78
लोक निर्माण	2	0.77	14	11.26	16	12.03
सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	1	0.25	4	8.66	5	8.91
योग:	8	6.66	40	73.12	48	79.78

परिशिष्ट-3.5
(संदर्भ: परिच्छेद 3.4; पृष्ठ 47)

गत तीन वर्षों की मुख्य उच्चत शीर्षों के अन्तर्गत उच्चत शेष की स्थिति

(₹ करोड़ में)

मुख्य शीर्ष का नाम	2008-09		2009-10		2010-11	
	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट	डेबिट	क्रेडिट
101-वेतन व लेखा कार्यालय-उच्चत	73.49	7.37	80.64	17.34	25.24	20.24
शुद्ध	66.12 डेबिट		63.30 डेबिट		5.00 डेबिट	
102-उच्चत लेखा (सिविल)	61.58	9.58	8.44	0.42	115.37	99.53
शुद्ध	52.00 डेबिट		8.02 डेबिट		15.84 डेबिट	
107-नकद समायोजन उच्चत लेखा	5.46	1.08	4.38	1.12	3.26	2.42
शुद्ध	4.38 डेबिट		3.26 डेबिट		0.84 डेबिट	
109-रिज़र्व बैंक उच्चत-मुख्यालय	(-)0.50	(-)0.10	(-)12.96	(-) 19.76	(-)1.32	(-)0.10
शुद्ध	0.40 क्रेडिट		6.80 डेबिट		1.22 क्रेडिट	
110-रिज़र्व बैंक उच्चत-केन्द्रीय लेखा कार्यालय	5.96	0.10	4.17	0.10	4.19	0.20
शुद्ध	5.86 डेबिट		4.07 डेबिट		3.99 डेबिट	
112-स्रोत पर काटा गया कर उच्चत	53.84	64.50	91.39	108.50	239.60	269.19
शुद्ध	10.66 क्रेडिट		17.11 क्रेडिट		29.59 क्रेडिट	
129-सामग्री क्रय समायोजन उच्चत लेखा	24.90	195.94	47.66	278.13	58.09	358.47
शुद्ध	171.04 क्रेडिट		230.47 क्रेडिट		300.38 क्रेडिट	

परिशिष्ट-3.6

(संदर्भ: परिच्छेद 3.5; पृष्ठ 48)

चयनित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के मार्च 2011 तक बकाया निरीक्षण
प्रतिवेदनों/परिच्छेदों का वर्ष-वार ब्यौरा

अवधि	शिक्षा				सहकारिता		उद्योग		पुलिस		योग	
	माध्यमिक शिक्षा		हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय		निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद
	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद								
मार्च 2001 तक	776	1634	6	103	14	17	16	20	5	6	817	1780
2001-02	88	234	1	4	2	3	1	2	1	2	93	245
2002-03	104	269	1	11	3	5	1	1	4	6	113	292
2003-04	94	266	1	11	3	10	4	7	5	6	107	300
2004-05	83	260	2	42	3	3	3	8	4	15	95	328
2005-06	201	648	1	31	1	1	4	5	3	8	210	693
2006-07	249	814	1	21	4	6	5	12	9	28	268	881
2007-08	210	606	1	14	6	16	4	10	6	13	227	659
2008-09	96	278	1	64	3	11	5	13	4	6	109	372
2009-10	22	58	2	12	1	5	1	3	1	3	27	81
2010-11	25	68	1	10	1	5	6	35	6	16	39	134
योग	1948	5135	18	323	41	82	50	116	48	109	2105	5765

परिशिष्ट-3.7

(संदर्भ: परिच्छेद 3.5; पृष्ठ 48)

31 मार्च 2011 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों तथा परिच्छेदों में बताई गई अनियमितताओं को दर्शाने वाली विवरणी

(₹ लाख में)

क्रमांक	अनियमितता का प्रकार	शिक्षा				सहकारिता		उद्योग		पुलिस		कुल	
		माध्यमिक शिक्षा		हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय		परिच्छेद	राशि	परिच्छेद	राशि	परिच्छेद	राशि	परिच्छेद	राशि
		परिच्छेद	राशि	परिच्छेद	राशि								
1	आवश्यकता से पूर्व निधियों का आहरण	29	243.99	7	54.06	0	0	4	81.26	15	1642.78	55	2022.0
2	आकस्मिक अग्रिमों का समयोजन न करना	24	8.59	24	973.04	1	0.12	0	0	0	0	49	981
3	संस्वीकृति के अभाव में अधिक/अनियमित व्यय	1169	10041.12	81	1414.35	12	28.07	7	1394.71	11	45.99	1280	1292
4	अपव्ययी/निष्फल/अलाभकारी व्यय	85	1169.11	13	1262.09	2	3.70	8	2318.70	3	188.55	111	494
5	निधियों का विचलन	3	2.03	2	46.74	0	0	0	0	1	73.63	6	1
6	अधिक भुगतान, क्रियायें की अवसूली, अग्रिम/विविध वसूलियाँ	1915	1699.08	43	199.92	19	226.89	20	366.96	30	3256.73	2027	57
7	वास्तविक प्राप्तकर्ता रसीदों का प्रस्तुत न करना	61	220.50	6	17.46	6	8.25	0	0	2	13.12	75	
8	बकाया ऋण	1	0.09	3	171.13	5	345.18	19	1011.73	0	0	28	1528.13
9	वाहनों सहित बेकार मशीनरी /उपस्कर	30	34.06	10	248.45	1	0.37	1	8.54	5	144.68	47	436.10
10	लेखाकरण न करना/भण्डार/रोकड़ इत्यादि की कमी	235	342.88	8	11.82	3	0.30	4	1.07	3	1109.89	253	1465.96
11	व्यय की क्षतिपूर्ति न करना	3	0.08	8	200.05	0	0	1	107.94	1	24.04	13	332.1
12	स्टोर/नकद/निधियों का दुर्विनियोजन	83	86.73	6	50.36	2	0	3	0.32	1	1.93	95	139.3
13	अपूर्ण/परित्यक्त कार्य	25	1331.50	7	292.71	5	97.56	12	548.36	13	5622.99	62	7893.1
14	हानि/चोरी/गबन/व्यपहरण	228	102.84	16	365.55	4	49.58	4	309.94	7	7.94	259	835.85
15	उपयोगिता प्रमाणपत्र का प्रस्तुत न करना	12	73.78	6	37.03	1	0	8	1719.86	0	0	27	1*30.6
16	स्टोर की अनुपयोगी वस्तुओं का निपटान न करना	163	586.98	8	2.74	3	0.55	1	5.15	2	19.99	177	
17	कोषालय/बैंक के साथ मेल-मिलाप न करना	154	339.86	2	0.01	1	0.01	0	0	0	0	157	
18	सहायता अनुदान की प्रयुक्ति न करना	72	994.31	5	58.29	2	22.85	8	844.18	1	1.50	88	1
19	कोषालय में ब्याज का जमा न करना	39	11.36	10	28.19	1	1.14	8	947.72	2	51.29	60	
20	विविध अनियमितताएं	804	1444.11	58	2632.18	14	299.71	8	233.99	12	304.22	896	4914..
योग		5135	18733.00	323	8066.17	82	1084.28	116	9900.43	109	12509.27	5765	50293.15